वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

TM-04

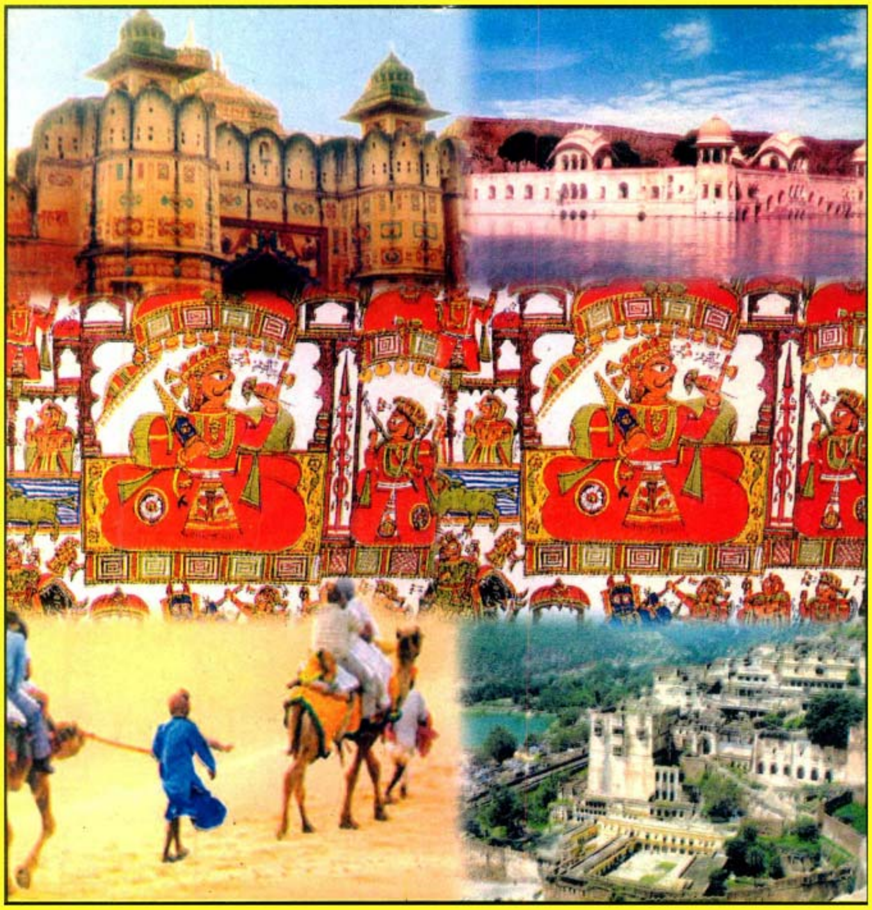

राजस्थान पर्यटन

खण्ड 4 एवं 5

खण्ड -4 : पर्यटन की नई उभरती प्रवृतियाँ

इकाई -13	भू - पर्यटन	7–13
इकाई -14	धरोहर पर्यटन	14–29
इकाई -15	ग्रामीण पर्यटन	30–39
इकाई -16	धार्मिक पर्यटन	40–55
इकाई - 17	पारिस्थितिक पर्यटन एवं वन्य जीवन	56–73

खण्ड -5 : राजस्थान में पर्यटन

इकाई -05	राजकीय नीति	74–88
इकाई -06	पर्यटन संगठन	89–100
इकाई -07	पर्यटन आकर्षण एवं व्यवस्थाएं	101–111

पाठ्यक्रम अभिकल्पना समिति

डॉ .आर.वी. व्यास
कुलपति
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा

प्रो. पी.के. शर्मा
आचार्य (प्रबन्ध) एवं
समन्वयक, पर्यटन अध्ययन,
निदेशक, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. राजेश कुमार व्यास
पर्यटन विषय विशेषज्ञ,
जयपुर

प्रो. संदीप कुलश्रेष्ठ
समन्वयक, भारतीय पर्यटन एवं
यात्रा प्रबन्ध संस्थान
गोविन्दपुरी, ग्वालियर (म.प्र.)

पाठ्यक्रम लेखन

प्रो. राजेश कुमार व्यास
पर्यटन विषय विशेषज्ञ,
जयपुर

पाठ्यक्रम सम्पादन

श्री राम कुमार
पर्यटन विषय विशेषज्ञ,
55, न्यू आकाशवाणी कालोनी,कोटा

आवरण पृष्ठ सज्जा

डॉ. राजेश कुमार व्यास
पर्यटन विषय विशेषज्ञ,
जयपुर

सामग्री उत्पादन

प्रो. पी.के. शर्मा
निदेशक,
पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा

श्री योगेन्द्र गोयल
सहायक उत्पादन अधिकारी
पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा

प्रस्तावना

राजस्थान पर्यटन

राजस्थान पर्यटन नामक पाठ्यक्रम में पर्यटन विषय पर राजस्थान के संदर्भ में समसामयिक जानकारी दी गई है । इस पाठ्यक्रम में वर्णित सामाग्री पाँच खण्डों में विभक्त बीस इकाइयों में लिखी हुई है । इसका उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन उत्पादों, नई प्रकृतियों एवं पर्यटन नीति व व्यवस्थाओं की जानकारी देना है ।

प्रथम खण्ड - ऐतिहासिक परिदृशय में वर्णित चार इकाइयां राजस्थान के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक इमारतें एवं संग्रहालयों की जानकारी प्रदान करती है ।

द्वितीय खण्ड - राजस्थान के पर्यटन उत्पाद पर केन्द्रित है । इसमें वर्णित तीन इकाइयों में विभिन्न पर्यटन उत्पादों के साथ प्रदर्शनकारी कलाओं एवं लोक संगीत व नृत्यों का समावेश है।

तृतीय खण्ड - मिश्रित पर्यटन उत्पाद में प्रयुक्त पाँच इकाइयों में राजस्थानी रहन-सहन, खान-पान, वेश भूषा, मेले एवं त्यौहार,हस्तकलाएं, साहसिक पर्यटन एवं मनोरंजन के साथ पधारो म्हारे देश...की अवधारणा का वर्णन किया जाता है ।

चतुर्थ खण्ड- पर्यटन की नई उभरती प्रवृतियों में वर्णित पाँच इकाइयों में भू-पर्यटन, धरोहर पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, धार्मिक पर्यटन एवं पारिस्थितिकी व वन्य जीवन पर्यटन का विश्लेषण किया गया है ।

पंचम खण्ड - राजस्थान में पर्यटन के संदर्भ में तीन इकाइयों में क्रमश: राजकीय नीति, पर्यटन संगठन एवं पर्यटन व्यवस्थाओं पर आधारित है ।

खण्ड -4 : पर्यटन की नई उभरती प्रवृतियाँ

इकाई -13 भू - पर्यटन

इकाई -14 धरोहर पर्यटन

इकाई -15 ग्रामीण पर्यटन

इकाई -16 धार्मिक पर्यटन

इकाई - 17 पारिस्थितिक पर्यटन एवं वन्य जीवन

खण्ड-4: पर्यटन की नई उभरती प्रवृत्तियां

इकाई 13 भू पर्यटन

रूपरेखा:

13.0 उद्देश्य
13.1 प्रस्तावना
13.2 भू पर्यटन की अवधारणा
13.3 भू पर्यटन विकास के तत्व
13.3.1 किशनगढ़ नेफलीन साईनाइट
13.3.2 सेंदडा ग्रेनाइट
13.3.3 बर कोगलोमरेट
13.3.4 जोधपुर मालानी कान्टेक्ट
13.3.5 वेल्डेड टफ
13.3.6 आकल फोसिल्स वुड पार्क
13.3.7 वुड फोसिल्म पार्क आकल
13.3.8 बून्दी जिले में सातुर में महान सीमान्त भ्रन्स
13.3.9 स्ट्रोमेटोलाइट पार्क भोजुन्दा जिला चित्तौडगढ
13.3.10 घोसेन, राजपुरा दरीबा जिला राजसमंद
13.4 राजस्थान में भू पर्यटन
13.5 सारांश

13.0 उद्देश्य:

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- भू-पर्यटन की अवधारणा को जान सकेंगे।
- भू-पर्यटन विकास के तत्वों से अवगत हो सकेंगे।
- राजस्थान में भू-पर्यटन को समझ सकेंगे।

13.1 प्रस्तावना:

पर्यटन के अंतर्गत कोई पर्यटक, सुन्दर प्राकृतिक दृश्य, नदियां, झीलें, पर्वत आदि देखना चाहता है तो कोई दूर तक लहराते रेत के सौन्दर्य को ही निहारने की चाह रखता है। किसी को बर्फ के पहाड़ लुभाते हैं तो कोई मैदानी भागों में घने जंगलों का ही आनंद लेना चाहता है। कुल मिलाकर विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियां एवं भू-दृश्य पर्यटकों के लिए आकर्षण पैदा करती है। यही आकर्षण पर्यटन केन्द्रों की ओर पर्यटकों को खींच लाता है। इधर पर्यटन के जो विविध नए आयाम विकसित हु ए हैं उनमें जीयो-टूरिज़्म अर्थात भू-पर्यटन भी विशेष रूप से पर्यटकों की पंसद

बना है। क्या है भू-पर्यटन? कैसे इसका किया जा सकता है विकास? कैसे यह पर्यटन के दूसरे विभिन्न आयामों से भिन्न हैं? आईए जानें-

13.2 भू-पर्यटन की अवधारणा:

भू-पर्यटन की सोच का विकास पिछले कुछ वर्षों में ही हुआ है। भू-पर्यटन का शाब्दिक अर्थ है- "जमीन जैसी है, वैसे ही दिखे।" इस अर्थ का विस्तार जमीन से हटकर वहां की वनस्पति, पशुधन, वन्य प्राणी तथा भूमि उपयोग तक भी हैं परन्तु भू-पर्यटन मूलतः भू विज्ञान से संबंधित है। शाब्दिक मायनों में भू-पर्यटन किसी स्थान के सम्पूर्ण चारित्रय अर्थात् वहां की परिस्थिति (environment) संस्कृति, सौंदर्यबोध (aesthetics), थाति (heritage) एवं वहां के रहने वालों की भलाई (well being) को जीवंत एवं विकसित करता है।

भूविज्ञान की विशेषता है कि कोई कहीं भी जाएं, वहां धरती अपनी अद्भूत एवं बहुआयामी इतिहास को समेटे उपस्थित हैं। भूमि की स्थितियां स्थान-स्थान पर भिन्न होती है तो कई स्थानों की भू-आकृतियां रहस्यमय रूप लेती पर्यटन आर्कषण एवं जिज्ञासा पैदा करने का भी कार्य करती हैं। विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियों के अंतर्गत चट्टानों की विविध चित्ताकर्षक आकृतियां जैसी हैं वैसी ही हो जाती हैं जो अपने आप में किसी निर्माण का ही सहसा अहसास कराती हैं।

राजस्थान के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यहां पर्यटन आकर्षण में विविधताएं हैं। कहीं यहां रेत का सौन्दर्य सैलानियों को लुभाता है तो यहां की विरासत से जुड़े किले, महल, स्मारक भी अद्भूत आकर्षण लिए निरंतर पर्यटन विकास की राह प्रशस्त करते हैं। गौरवमयी इतिहास से जुड़े राज्य के पर्यटन स्थलों से आकर्षित होकर ही सुदूर देशों से पर्यटक निरंतर राजस्थान आते रहते हैं। राज्य की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर एवं यहां की मध्यकालीन ऐतिहासिक स्मारक सम्पदा एवं साहस पूर्ण गाथाओं (folklore) ने पर्यटन वृद्धि की दिशा में महत्ती कार्य किया है।

इधर पर्यटक राजस्थान में पारंपरिक (traditional) स्थानों के अलावा भी नए आकर्षणों को ढूंढना चाहते हैं। इस दृष्टि से भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा इधर भू-पर्यटन विकास के लिए किए प्रयास काफी कारगर हो सकते हैं। भू-वैज्ञानिकों ने राज्य के कुछ ऐसे स्थलों को चिन्हित किया हैं जिन्हें भू-पर्यटन के लिए सर्वथा उपयुक्त माना जा सकता है। जी.एस.आई. द्वारा भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किए ऐसे स्थानों की सैर की समुचित व्यवस्था अगर की जाती है तो निश्चित ही राज्य में भू-पर्यटन विदेशी मुद्रा प्राप्ति का बड़ा स्त्रोत साबित हो सकता है। पर्यटन को नया आयाम देते भू-पर्यटन स्थलों का समुचित प्रचार-प्रसार भी किया जाना जरूरी है। वैसे भी राजस्थान देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां भू पर्यटन के लिए भू वैज्ञानिकों ने एक साथ बहुत से स्मारकों की खोज कर उन्हें चिन्हित किया है।

13.3 भू पर्यटन विकास के तत्व:

पर्यटन विकास के तत्वों की ही तरह भू पर्यटन विकास के भी दो प्रमुख तत्व हैं। ये दो तत्व हैं-

- पुश फैक्टर अर्थात आगे बढाना।
- पुल फैक्टर अर्थात आकर्षित करना।

इन दो तत्वों के अंतर्गत भू-पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों का विकास सभी स्तरों पर किया जाए तो भू-पर्यटन में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनकर सामने आ सकता है। पुश फैक्टर के अंतर्गत भू-पर्यटन के लिए राजस्थान में पर्यटकों को आने के लिंए प्रेरित करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है तो पुल फैक्टर के अंतर्गत भू-पर्यटन स्थानों पर सामान्य पर्यटक सुविधाओं का विकास इस रूप में किया जाए कि एक बार पर्यटक यदि इन स्थानों को देखने यहां आता है तो वह बार-बार यहां आने के लिए आतुर रहे।

भू-पर्यटन चूंकि पर्यटन का सर्वथा नया आयाम है, इसलिए यह जरूरी है कि इससे संबद्ध विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विकास किया जाए। इसके साथ ही भू-पर्यटन से संबंधित प्रशिक्षित गाईड की व्यवस्था भी सभी स्तरों पर की जानी आवश्यक है। वैसे भी भू-पर्यटन के अंतर्गत भू-वैज्ञानिकों द्वारा राज्य के कुछ विशेष स्थानों को चिन्हित किया गया है। जो भू-स्मारक पर्यटन के लिए चिन्हित किए गए हैं, उनको पर्यटन विभाग द्वारा अपने नियंत्रण में लेकर वहां अन्य पर्यटक सुविधाओं का विकास किए जाने के साथ ही चिन्हित भू-पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी यदि समुचित रूप से किया जाता है तो निश्चित ही पर्यटन के इस नये आयाम का दूरगामी लाभ राज्य को प्राप्त हो सकता है। मूल बात यही है कि भू-पर्यटन विकास से संबंधित समग्र पहुलओं पर विचार करते हुए इस संबंध में प्रभावी नीति के तहत कार्य किया जाए।

13.4 राजस्थान में भू-पर्यटन:

राजस्थान में भू-पर्यटन से संबंधित विशिष्ट स्थानों की खोज कर भू-वैज्ञानिकों ने कुछ स्मारकों को भू-पर्यटन स्मारक घोषित किया है। हालांकि थियोलोजिकल सोसायटी ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक में इन स्थानों के छायाचित्र एवं स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी है परन्तु अभी पर्यटन की दृष्टि से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हो सका है। गुजरात सरकार द्वारा खेड़ा में स्थापित डायनोसार उद्यान की तरह ये पर्यटन स्थल राजस्थान सरकार के लिए धनार्जन का स्त्रोत एवं आसपास की जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने का साधन बन सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क भी भूपर्यटन के लिए इसी प्रकार संरक्षित एंव सुरक्षित किया गया हैं। जो सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र हैं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने वर्षों से अपने राष्ट्र निर्माण कार्यो द्वारा राजस्थान के भूपटल पर ऐसे कई आकर्षक स्थलों की पहिचान की हैं जो भूवैज्ञानिकों एवं सैलानियों दोनों का चाहत केन्द्र बन सकते हैं।

राजस्थान में कुल नौ स्मारक हैं जिसमें से अकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान को, जैसलमेर आने वाले सैलानी अधिकाधिक देखने जाते है। यह भूविज्ञान स्थल बहुत सोच कर चुने गये हैं ताकि आम सैलानी एवं वैज्ञानिक दोनों ही समान रूप से इनका अवलोकन कर आनन्द प्राप्त कर सकें। वर्तमान में इन स्थलों तक पहुंचने के लिए समुचित साधन उपलब्ध हैं। यदि इनके रखरखाव, संचार प्रणाली एवं मूलभूत सुविधाओं के नेटवर्क को राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया जाए तो ये सैलानियों को आकर्षित कर मशहूर पर्यटन स्थल बन सकते हैं।

इस सब के लिए भू-पर्यटन गाईडस की व्यवस्था की जाएगी। ये गाईड आम पर्यटकों एवं वैज्ञानिकों को समान रूप से इन स्थलों की जानकारी दे सकेंगे। इस तरह भूपर्यटन यहां के युवाओं के जीविकोपार्जन का उत्तम साधन एवं क्षेत्र विकास का कारक बन सकता हैं।

राजस्थान में भू-पर्यटन के लिए चिन्हित कुछ प्रमुख स्थान इस प्रकार से हैं-

- किशनगढ़ नेफलीन साइनाइट, अजमेर जिला
- सेन्द्रा ग्रेनाईट, पाली जिला
- बर काग्लोमिरेट, पाली जिला
- जोधपुर ग्रूप- मलानी अग्नेय सूट कन्टेक्ट व वेल्डेड टुफ, जोधपुर
- अकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान, जैसलमेर
- ग्रेट बाउण्ड्री फाल्ट, सतूर बूंदी जिला
- भोजुन्दा में स्ट्रोमेटोलाइट पार्क, चित्तोड़गढ़ जिला
- राजपुरा-दरीबा गोसान, राजसमंद जिला
- झामर कोटड़ा स्ट्रोमेटोलाईट, उदयपुर जिला

13.4.1 किशनगढ़ नेफलीन साईनाइट:

राजस्थान के किशनगढ जिला अजमेर में नेफलीन साईनाइट (1590 मिलियन इयर से 1910 मिलियन इयर) की चट्टानें पायी जाती है जो अरावली पर्वत श्रखंला में और कहीं नहीं पायी जाती। इस कारण से 1976 में इसे राष्ट्रीय भू-गर्भीय/ भू-वैज्ञानिक स्मारक का दर्जा प्राप्त हुआ।

नेफलीन साईनाइट दरअसल प्रूटोनिक चट्टानें है जो एलक्ली फेल्सपार तथा नेफलीन की बनी होती है जिसमें एलक्ली फेरोमेगनिशियम मिनरल- एनपीवोल या पायरोक्सीन पाये जाते है।

इस प्रकार की चट्टानों की आकृति गुम्बद या हुक के आकार की होती है। पर्यटन की दृष्टि से इन चट्टानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर यहां देश-विदेश से पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है।

13.4.2 सेंदडा ग्रेनाइट:

सेंदडा ग्रेनाइट विशुद्ध रूप से प्रूटोनिक इग्नियस चट्टानें है। इन चट्टानों में भू-गर्भीय एजेन्टस पानी और हवा के हजारों वर्ष की क्रियाओं के फलस्वरूप इन चट्टानों में कई प्रकार के संरचनायें बन जाती है जिससे चट्टानों में कई प्रकार के बड़े कटान, बुहाये, गुफाये, खम्भे, प्राकृतिक मेहराप आदि बन जाते है।

इस प्रकार की आकृतियों देखनें वालों को बरबस ही आकर्षित करती है। राजस्थान में यह अजमेर से गुजरात के अम्बाजी तक लगभग 350 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुयी है। यह चट्टानें 900 मिलियन इयर पुरानी है जो प्रो-टेरोजोईक तापिय घटना से पूर्व की है। इन चट्टानों में क्वार्टज, मायोकोलिन, परथाईड, प्लेजियोकार्ज, बायोटाइड तथा एम्फीवोल खनिज मुख्य रूप से पाये जाते है।

13.4.3 बर कोगलोमरेट:

पाली जिले के बर के आसपास 50 किलोमीटर लम्बाई तथा 300 किलोमीटर की चौड़ाई में कोगलोमरेट पाया जाता है जो वर कोगलोमरेट के नाम से जाना जाता है।

कोगलोमरेट एक लेटिन शब्द है जिसका अर्थ गेन में फोडा होता है। भू गर्भ शास्त्र के सम्बन्ध में कोगलोमरेट एक दानेदार प्लास्टिक सेडीमेन्ट्री चट्टान होती है जिसमें केल्सियम कारबोनेट, आयरन आक्साइड, सिल्किा कठोर मिट्टी होती है।

13.4.4 जोधपुर मालानी कान्टेक्ट:

मालानी इग्नीयस स्यूइट की चट्टाने भारतीय उपमहादीप में पूर्व केम्ब्रेन युग (600 ± 70 मिलियन वर्ष) थार मरूस्थान में जिसका हवाई क्षैत्र 44500 वर्ग किलोमीटर है। जोधपुर क्षैत्र में ये (वोलकेनिक रॉक) ज्वालामुखी चट्टानें बैंगनी, लाल, राख के रंग की तथा चोकलेट रंग की पाई जाती है। यहां इग्नीयस फैज की तीन अवस्थाये पाई जाती है- वोलकेनिक, प्रूटोनिक तथा हाईपेबाईसल तथा चट्टानों की फूट फिशर प्रकार की है।

इन ज्वालामुखी चट्टानों की ऊपरी बाउण्ड्री लगभग षरित हो चुकी है तथा इसके ऊपर सेण्डस्टोन पाया जाता है। जोधपुर मालानी कान्टेक्ट प्रिकेम्ब्रीनयुग की चट्टानों के सबसे कम उम्र के इग्नियस स्यूट तथा लेट प्रोटरोलोईक से ईकोसिल युग की प्राचीनतम सेडीमेन्ट्री चट्टानों के क्षरणीय कान्टेक्ट है।

13.4.5 वेल्डेड टफ:

ज्वालामुखी फटने पर निकलने वाले उत्पाद जो हवा के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है तथा धीरे-धीरे- वापिस नीचे गिरता है, से बनने वाली चट्टानें वेल्डेड टफ श्रेणी की होती है। यह कॉच क्वार्टज, फेलस्पार की बनी होती है। यह साउथ इण्डिया में कोलार सिस्ट बेल्ट में भी पायी जाती है। यह टफ लावा भी कहलाती है।

जोधपुर में यह चट्टानें जोधपुर किले के नीचे तथा कालयाना झील के आसपास स्थित है। जोधपुर के अलावा पाली, सिरोही, चुरू, बाडमेर, जैसलमेर, एवं जालौर जिलों में भी पाई जाती है। जोधपुर किले की पहाडी मालानी ज्वालामुखी श्रेणी की है।

13.4.6 आंकल फोसिल्स वुड पार्क:

जैसलमेर के पास राजस्थान के पश्चिम में किसी जमाने में समुद्र पाया जाता था तथा यहां बहु त विशाल वन क्षैत्र था। लगभग 180 मिलियन वर्ष पूर्व जुरासिक युग में यहां विशाल वृक्ष पाये जाते थे जो तमिलनाडु के राष्ट्रीय फोसिल्स वुड पार्क टीरूवक्काराई में पाये गये पेडो के फोसिल्स से मेल खाते हु ए यहाँ पेडो के अवशेष मिले है।

पश्चिमी राजस्थान में कई प्रकार के सेड्रीमेन्ट्री बेसिन्स पाये जाते है। जैसलमेर के लाठी क्षैत्र में इस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है। भू-वैज्ञानिक शब्दों में लाठी के इस क्षैत्र को लाठी फौरमेशन के नाम से जाना जाता है जिसके आधार में कोगलोमरेट होराइजन है तथा उसके ऊपर सेन्डस्टोन है इसमें लिग्नाइट का भी एक परत पाई जाती है।

13.4.7 वुड फोसिल्स पार्क आंकल:

जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एनएच 15 पर जुरासिक युग के पेड़ों मोलस्कस तथा अन्य कई जलीय जन्तुओं एवं पौधों के अवशेष पाये गये। आंकल के फोसिल्स पार्क से यहां पर

नाईककोटाइलीडोन के पाये जाने के संकेत स्पष्ट हुए है। यहां तीन चार पेडों के तने पाये गये है जिनकी लम्बाई 14 से 20 मीटर है तथा व्यास लगभग एक मीटर का है।

13.4.8 बून्दी जिले में सतुर में महान सीमान्त भन्स:

बिन्दीयेन बेसिन की पश्चिमी सीमा ग्रेट बाउण्ड्री फाल्ट के नाम से जानी जाती है। इसकी खाईयां काफी गहरी है जो दक्षिण पश्चिम की तरफ ढाल लिए हुए है। ग्रेट बाउण्ड्री फाल्ट ग्वालियर तथा विनध्या चट्टानों को आपस में मिलाता है।

13.4.9 स्ट्रोमेटोलाइट पार्क भोजुन्दा जिला चिलोडगढ :

चित्तोड़गढ़ के भोजुन्दा में बाद वाले बिन्दीयन युग के भगवानपुरा लाइमस्टोन के रूप में स्टोमेटोलाइट की कई इस्पीशीज पाई जाती है। इस भगवानपुरा फोरमेशन में कांगलोमरेट, चेरटीक्वार्टजजाइट, चेल्टी लाइमस्टोन, डोलोमेटिक लाइमस्टोन आदि पाये जाते है।

भोजुन्दा के स्ट्रोमेटेलाइट की प्रजाति कोनोफाइटोन सिलीन्ड्रीकस, मेसलोक, बाईकेलिया, बाईकेलिका, मेसलोव तथा स्ट्रेटीफेरा, कोरोलाइट इस प्रजाति के है।

13.4.10 घोसेन, राजपुरा दरीबा जिला राजसमंद:

घोसेन ऐसे साईन बोर्ड होते है जो सतह के नीचे पाये जाने वाले द्रव्यों का संकेत देते है। घोसेन सल्फर तथा अधिकांश धातुओं की आक्सीकरण से बनते है। जिससे आयरन आक्साइड तथा सल्फेट बनते है। इस क्षैत्र में चट्टानों के उभरे हुए हिस्सों के कारण से इन्हें केपरोक्स या आईरनहेड के रूप में भी जाना जाता है। इन केप्स को देखकर चट्टान में पाये जाने वाले खनिज की प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। जस्ता, चाँदी, सोना की मिनरल डिपोजिट वाले स्थल पर भी इस प्रकार के केप पाये जाते है।

भू-पर्यटन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चट्टानों के साथ ही इधर बहुत से अन्य भू दृश्य भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं। मूलत: राजस्थान के भू-पृष्ठीय (Land Scape) सोन्दर्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं से जुड़े स्थान इस प्रकार से है-

- थार का मरूस्थल (वनस्पति रहित)
- रामसर साईटे (सांभर एवं भरतपुर)
- अरावली के वन क्षैत्र
- छापर का ताल
- जोधपुर की भीम भड़क की गुफा
- चम्बल का नदी क्षैत्र
- जयसमंद
- राजसमंद की झीलें

13.5 सारांश:

राजस्थान में पर्यटन के इधर जो नए स्वरूप उभरकर सामने आ रहे है, उनमें भू-पर्यटन को सर्वथा नया कहा जा सकता है। वैसे तो भू दृश्यों का आकर्षण ही वह प्रमुख तत्व होता है जिसके कारण पर्यटक पर्यटन के लिए प्रेरित होता है परन्तु भू-पर्यटन की अवधारणा इस मायने में

सर्वथा नयी है कि इसमें भू वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कुछ विशिष्ट भू भागों के लिए पर्यटकों को प्रेरित किया जाता है।

भू-पर्यटन के अंतर्गत राजस्थान में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 9 स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर भू-पर्यटन की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विकास की दूरगामी रणनीति पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। पर्यटन विभाग द्वारा भू-पर्यटन का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाता है तो निश्चित ही भू-पर्यटन में राजस्थान, देश का अग्रणी राज्य बनकर सामने आ सकता है। इस इकाई में आपको भू पर्यटन से संबद्ध विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी है ताकि पर्यटन के इस नए आयाम से आप भलीभांति परिचित हो सकें।

बोध प्रश्न

1. भू-पर्यटन से आप क्या समझते हैं? भू-पर्यटन की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डालिए।

   ....

   ....

2. राजस्थान में भू-पर्यटन की संभावनाओं पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए।

   ....

   ....

3. भू-पर्यटन के लिए राजस्थान के चिन्हित स्थानों की विशेषताएं बताते हुए पर्यटन के इसन नए आयाम के विकास के सुझाव दीजिए।

   ....

   ....

इकाई-14: धरोहर पर्यटन

रुपरेखा:

14.0 उद्देश्य
14.1 प्रस्तावना
14.2 धरोहर पर्यटन की अवधारणा
14.3 राजस्थान में धरोहर पर्यटन
14.3.1 सांस्क्रितिक एवं ऐतिहासिक धरोहर
14.3.2 सांस्कृतिक घटनाएं
14.3.3 प्रकृति एवं वन्यजीव धरोहर
14.3.4 रहन-सहन एवं खान-पान
14.3.5 हवेलियां एवं मंदिर स्थापत्य
14.3.6 हैरिटेज होटल
14.3.7 पैलेस ऑन व्हील्स
14.3.8 हैरिटेज ऑन व्हील्स
14.4 धरोहर संरक्षण एवं विकास
14.5 एडोप्ट-ए-मोन्यूमेंट योजना
14.6 धरोहर संरक्षण संबंधी कानून एवं प्रावधान
14.7 यूनेस्को धरोहर संरक्षण कार्यक्रम
14.8 धरोहर संरक्षण एव जन-जुड़ाव
14.9 सारांश

14.0 उद्देश्य:

इस इकाई को पढने के बाद आप-

- धरोहर पर्यटन की अवधारणा से अवगत हो सकेंगे।
- राजस्थान में धरोहर पर्यटन की विविध परम्पराओं के बारे में जान सकेंगे।
- धरोहर पर्यटन संरक्षण एवं विकास की सोच से जुड़ सकेंगे।
- धरोहर पर्यटन विकास से टिकाऊ विकास को क्रियान्वित कर सकेंगें।

14.1 प्रस्तावना:

समृद्ध प्राकृतिक धरोहर एवं पूर्वजों द्वारा निर्मित बेमिसाल विरासत के लिए भारत विश्वभर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। क्या नहीं है भारत में। कहीं दूर तक पसरा रेगिस्तान तो कहीं सदा नीरा नदियां, कहीं गगन चुम्बी पर्वतों की चोटियां तो कहीं झरनों का कल-कल बहता पानी, समुद्र, पेड़-पौधे, वनस्पतियों आदि प्रकृति की अनमोल विरासत के साथ ही मानव निर्मित ऐतिहासिक किले, गढ़, महल और खूबसूरत इमारतें, स्मारक, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिदें, पुरातात्विक स्थल, संग्रहालय आदि अपने आप में बेजोड़ हैं।

वर्षो से चली आ रही सांस्कृतिक परम्पराएं, परिवेश, सभ्यता एवं संस्कृति आदि सभी कुछ हमारी विरासत के ही हिस्से हैं। अतिथि देवो भव: की भारतीय संस्कृति, धर्म एवं संस्कार की हमारी प्राचीन परम्पराओं की ओर विशेष रूझान का ही परिणाम है कि इनके बारे में सुनकर ही दूर देशों से पर्यटक हिन्दुस्तान में खींचे चले आते हैं। अनेकता में एकता की भारतीय संस्कृति की सोच से विदेशी पर्यटकों को परिचित कराने, यहां की परम्पराओं रीति-रिवाजों और मानव निर्मित अनमोल विरासत से रू-ब-रू कराने की सोच की ही परिणति है-धरोहर पर्यटन। पर्यटन के नीत नये उभरते स्वरूपों में धरोहर पर्यटन इधर सर्वाधिक संभावनाएं लिए है। इस रूप में कि हमारा देश धरोहर पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है।

त्याग, तपस्या और बलिदान की अनेकानेक गाथाओं को अपने में समेटे शौर्य और साहस की भूमि राजस्थान तो आरंभ से ही पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रही है। कहीं दूर तक पसरा रेत का रेगिस्तान तो कहीं शीतलता का अहसास कराने वाली यहां की झीलें, नदियां। पन्ना धाय के त्याग, प्रताप के शौर्य, कुंभा के पराक्रम की भूमि राजस्थान का प्राकृतिक वैभव जितना वैविध्यपूर्ण है उतना ही सरस और सजीला है यहां का सांस्कृतिक वैभव। मीरा की भक्ति, पद्मिनी के जौहर, हमीर हठ, पन्ना धाय के त्याग, प्रताप की वीरता, कुंभा के कलानुराग की गाथाओं को अपने आंचल में समेटे राजस्थान का सुनहरा अतीत ही पर्यटन की बेमिशाल धरोहर है। स्वतन्त्रता से बहुत पहले ही राजस्थान में धरोहर पर्यटन की शुरुआत हो गयी थी। अंग्रेजों के समय में राज्य के कुछ राजाओं ने पर्यटन को एक आर्थिक साधन के रूप में अपना लिया था। इस बात के गवाह वे किले और महल हैं जो पर्यटकों के लिए, विशेषकर विदेशी सैलानियों के लिए निरंतर खुलते चले गए। ऐतिहासिक किले महलों के साथ ही यहां की संस्कृति, परम्पराओं, खान-पान, वेशभूषा आदि, धरोहर पर्यटन की अपार संभावनाएं लिए हैं। क्या है धरोहर पर्यटन? राजस्थान में धरोहर पर्यटन की क्या है संभावनाएं? धरोहर संरक्षण से कैसे किया जा सकता है पर्यटन का विकास? आईए, जानें-

14.2 धरोहर पर्यटन की अवधारणा:

धरोहर पर्यटन के अंतर्गत सभी तरह के स्मारक, प्राचीन परम्पराएं, ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति आदि आते हैं। यह पर्यटन का वह प्रकार है जो सदियों पुरानी विरासत, आस्थाओं, विश्वास से प्रेरित है। मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ, बोधगया, जगन्नाथ पुरी, मदुरै, स्वर्ण मंदिर, कोलायत आदि हमारी धरोहर है। धरोहर पर्यटन के अंतर्गत न केवल ऐतिहासिक इमारतें यानी स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट स्मारक शामिल हैं बल्कि तीर्थस्थल या राष्ट्रीय महत्व के स्थान, प्रकृति एवं वन्य जीव, मेले, तीज-त्योहार, सांस्कृतिक परम्पराएं आदि भी सम्मलित हैं। इस तरह के पर्यटन का संबंध सीधे तौर पर हमारी प्राचीन विरासत से है। समृद्ध प्राकृतिक एवं मानव निर्मित धरोहर का संरक्षण सभी स्तरों पर किया जाकर ही धरोहर पर्यटन का अधिकाधिक विकास किया जा सकता है।

धरोहर पर्यटन की सोच सैलानियों को भारतीय धरोहर के बारे में अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही हुई। प्राचीन किले, महलों, स्मारकों के संरक्षण को बढ़ावा देकर उनका अधिकाधिक उपयोग पर्यटन के लिए किए जाने से जुडा धरोहर पर्यटन दरअसल विरासत के विपणन से भी संबद्ध हैं। धरोहर पर्यटन राजा-महाराजाओं के परिवेश, खान-पान की शानदार

परम्परा, राजमहलों एवं हवेलियों को होटलों के रूप में परिवर्तित कर उनमें रहने के विविध अनुभव पर्यटकों को दिए जाने की सोच से जुडा है। धरोहर पर्यटन के उज्जल भविष्य को देखते हुए ही पिछले कुछ वर्षो में देश में हेरिटेज होटल, शाही रेल, परम्परा पर्यटन पैकेज आदि विकसित किए जाने लगे हैं। विदेशों से आने वाले पर्यटक भारत की समृद्ध विरासत को नजदीक से महसूस करना चाहते हैं, वे यहां की परम्पराओं, राजा-महाराजाओं, नवाबों के परिवेश को अनुभूत करना चाहते हैं। सैलानियों को इन सबकी अनुभूति कराने तथा मानव एवं प्रकृति निर्मित विरासत के संरक्षण की सोच से जुड़े धरोहर पर्यटन की अपार संभावनाएं देखते हुए यह जरूरी है कि इसका विकास सभी स्तरों पर किया जाए।

14.3 राजस्थान में धरोहर पर्यटन:

धरोहर पर्यटन के अंतर्गत प्रकृतिक एवं मानव निर्मित विरासत से पर्यटकों को रू-ब-रू कराया जाता है। इस दृष्टि से प्रकृतिक एवं मानव निर्मित धरोहर के संरक्षण की सोच का सभी स्तरों पर विकास किया जाना जरूरी है। हमारा देश समृद्ध प्रकृतिक धरोहर एवं पूर्वजों द्वारा निर्मत विरासत के लिए वैसे भी विश्वभर में विख्यात है। विशेष रूप से राजस्थान तो स्थापत्य कला की शानदार धरोहर यथा किले, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, धार्मिक स्थल आदि से अत्यधिक समृद्ध है तो यहां की लोक संस्कृति, हस्तकलाएं, चित्रकला, लोक संगीत, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, लोक देवी देवता, रीति-रिवाज आदि भी यहां की समृद्ध विरासत के द्योतक हैं। यही नहीं मरू प्रदेश राजस्थान की प्रकृतिक धरोहर भी अपने आप में अनूठी और बेमिशाल हैं। वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी, झीलें, पर्वत, दूर तक पसरा रेगिस्तान आदि सभी कुछ अनुपम हैं। राजस्थान में धरोहर पर्यटन के विविध रूप इस प्रकार से हैं-

14.3.1 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर:

सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत ऐतिहासिक किले, महल, इमारतें, स्मारक आदि आते है। विशेष कलाकृतियां, मूर्तियां, सभ्यता एव संस्कृति के अवशेषों के साथ ही संग्रहालयों में रखी गयी कलाकृतियां, मूर्तियां, प्राचीन विरासत की वस्तुएँ आदि सांस्कृतिक विरासत में आती है। इनका धरोहर पर्यटन के लिए विशेष उपयोग हैं, चूंकि इन्हीं के लिए पर्यटक आकर्षित होकर स्थान विशेष के भ्रमण के लिए प्रेरित होते है।

राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत अत्यधिक समृद्ध है। इस रूप में कि यहां के किले, दुर्ग, गढ़ और महल विश्वभर में अपने स्थापत्य सौन्दर्य के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि वहां का इतिहास भी पर्यटकों के लिए कम महत्व नहीं रखता। चित्तौड़ का दुर्ग हो या फिर रणथम्भौर का किला, जालौर का स्वर्णगिरी दुर्ग हो या फिर जैसलमेर का सोनार किला, कुंभलगढ़ जोधपुर का मेहरानगढ़, भरतपुर का लोहागिरी, अजमेर का अजयगढ़, जयपुर का आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, झालावाड़ का गढ़ गागरोण, हनुमानगढ़ का भटनेर का किला, आबू का अचलगढ़, नागौर का अहिछत्रपुर, शेरगढ़, भँसरोडगढ़ आदि अनेकानेक दुर्गम किले, गढ़ एवं दुर्ग इतिहास की गौरव गाथाएं ही नहीं लिए हुए हैं बल्कि निर्माण की अनुपमता के लिए भी विशेष रूप से जाने जाते हैं।

मुगल व राजपूती शैली का प्रभावी समन्वय लिए राजस्थान के महल यहां की सजीव सांस्कृतिक धरोहर है। राज्य में पुष्कर झील के पास बना राजा मानसिंह का पूर्व निवास मान महल, पुष्कर महल, अलवर का विनय विलास महल, महाराजा जयसिंह का विजय मंदिर पैलेस के अलावा सिलिसेढ़ पैलेस, बीकानेकर का लालगढ़ पैलेस, गजनेर पैलेस, जयपुर का सिटी पैलेस, आमेर महल, जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ आदि भव्यता के अप्रतिम उदाहरण है।

राजस्थान के मुख्य स्मारकों में राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ में बनवाया गया कीर्ती स्तंभ, भारतीय इस्लामी वास्तुशिल्प का उल्लेखनीय उदाहरण अजमेर स्थित अढाई दिन का झोपड़ा, महाराणा प्रताप की वीरता की कहानी का बखान करता हल्दीघाटी का मैदान, महाराणा प्रताप के कठिन समय में स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रखते हुए साथ देने वाले अश्व चेतक की स्वामीभक्ति का बखान करता चेतक स्मारक आदि राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को रोमांचित कर देते है।

राजस्थान पुरातन सभ्यताओं का भी गवाह रहा है। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष तो यहां मिले ही है साथ ही कालीबंगा सभ्यता का साक्षी भी राजस्थान रहा है। पल्लू नामक स्थान से 1000 वर्ष पुरानी विद्या की अधिष्ठाती देवी सरस्वती की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो वर्तमान में बीकानेर के राजकीय संग्रहालय में संग्रहित है।

14.3.2 सांस्कृतिक घटनाएं:

संस्कृति से जुड़े स्थानों, भवनों के अलावा सांस्कृतिक घटनाएं धरोहर पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा देती है। सांस्कृतिक घटनाओं का अर्थ हैं- स्थान विशेष की संस्कृति से जुड़े तीज, त्योहार, मेले, पर्व, उत्सव आदि। किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थल पर होने वाले नृत्य, संगीत समारोह भी सांस्कृतिक घटनाओं में सम्मिलित किए जाते हैं। यही नहीं संगीत एवं नृत्य से जुड़ी परम्पराएं, लोक संगीत आदि भी हमारी धरोहर को ही प्रदर्शित करते हैं।

सांस्कृतिक घटनाओं के तहत उत्सवों का अपना अलग स्थान है। राजस्थान में होलिका दहन के दूसरे दिन से प्रारंभ होने वाला गणगौर उत्सव यहां की युवतियों व सुहागिन महिलाओं के लिए प्रमुख है। युवतियां मनवांछित वर प्राप्ति व विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए इस अवसर पर गणगौर की पूजा करती है। इसी प्रकार सावन-भादों ऋतु में मनाया जाने वाला तीज तो पूरे वातावरण को उल्लासित कर देता है या चैत्र कृष्ण अष्टमी को मां शीतला को समर्पित शीतलाअष्टमी राजस्थान के निवासियों की धार्मिक आस्था को प्रकट करते हैं व साथ ही उनके जीवन में उत्सवों के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। विवाह के लिए अबूझ सावे के रूप में प्रचलित अक्षय तृतीया राजस्थान के निवासियों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत में परस्पर संबंध दर्शाती है|

सांस्कृतिक घटनाओं के अंतर्गत राजस्थान में मेलों की संस्कृति का अभी अनूठा स्थान है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में लगने वाला पुष्कर मेला हो, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगने वाला कैला देवी का मेला, गणेश चतुर्थी को रणथम्मौर में लगने वाला गणेश जी का मेला, भाद्रपदा में पोकरण में लगने वाला रामदेव जी का मेला आदि सभी मेले राजस्थान के निवासियों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था को प्रकट करते है।

जीवन के विशेष अवसरों या किसी विशेष ऋतु में किये जाने वाले नृत्यों का भी यहां की संस्कृति में विशेष स्थान है। नृत्यों का सिरमौर कहा जाने वाला घूमर, होली के अवसर पर मेवाड़ एवं बाड़मेर में किया जाने वाला गैर नृत्य, शेखावटी में नगाड़े की ताल पर किया जाने वाला गीदड़ नृत्य, विशेषकर पुरूषों द्वारा किया जाने वाला डांडिया नृत्य, रामदेव जी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला तेराताली नृत्य, जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा अंगारों पर किया जाने वाला अग्नि नृत्य, नंगी तलवार व कांच के दुकडो को रख कर किया जाने वाला भवई नृत्य आदि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखे हुए है।

14.3.3 प्रकृति एवं वन्य जीव धरोहर:

प्रकृतिक धरोहर के अंतर्गत नदियां, झीलें, पर्वत, दूर तक पसरा रेगिस्तान आदि पारिस्थितिक प्रणालियां, वर्षा, वन, पठार और मैदान आदि आते है। इनके अलावा वन्य जीव, पेड़ पौधों और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां आती हैं। राजस्थान के संदर्भ मे अरावली की पहाड़ियां, मैनाल के झरने, बीकानेर, जैसलमेर के सम के धोरे, दूर तक पसरा रेगिस्तान, रणथम्भौर, सरिस्का, कुंभलगढ़ आदि अभयारण्य, के अलावा आबू की पर्वत श्रंखलाएं, उदयपुर की झीलें, कोटा की चंबल नदी आदि सभी कुछ प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारी बेमिशाल प्रकृतिक धरोहर हैं।

विषम जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियां होने पर भी वन्यजीवों की दृष्टि से राजस्थान अत्यधिक समृद्ध प्रदेश है। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्यजीव अभयारण्य एवं 32 आखेट निषेद्ध क्षेत्र घोषित हुए है।

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में प्रख्यात रणथम्मौर दुर्ग के चारों और रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना है। इस उद्यान में बाघ, बघेरे, चीतल, नीलगाय, रीछ एवं चिंकारों को स्वच्छन्द विचरण करते देखा जा सकता है। इसी प्रकार भरतपुर में एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली केवला देव (घाना) राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है। यूनेस्को ने इसे विश्व प्रकृतिक धरोहर में सम्मिलित किया है। यहां कॉमन क्रेन, दुर्लभ साइबेरियाई सारस, पोचार्ड, बैगरेल, गीज आदि पक्षियों के समूह देखे जा सकते है।

राज्य के अभयारण्यों में अलवर में बाघ परियोजना हेतु संरक्षित सारिस्का जीव अभयारण्य में शेर बाघ के अलावा सांभर, चितल, जंगली सुअर, चिंकारा आदि स्वच्छंद विचरण करते हैं। इसी प्रकार करोड़ो वर्षो से पृथ्वी के गर्भ में दबे जीवाश्मों को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से जैसलमेर व बाड़ेर के तीन हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले राष्ट्रीय मरू उद्यान में प्रकृति के अद्भुत करिश्मे के रूप में लाखों वर्ष पूर्व के सागरीय जीवन के वूड फासिल्स देखे जा सकते है।

कोटा का दर्रा वन्य जीव अभयारण्य सांभर, हिरण के कारण जाना जाता है तो कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य रीछ, जंगली सुअर, मुर्गो एवं भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जयसमंद अभयारण्य बघेरे, लकड़बग्धे, सियार के कारण, सांभर के कारण, सीतामाता अभयारण्य उड़न गिलहरियों के कारण, नाहरगैढ़ जैविक उद्यान चिंकारो, काले हिरण के कारण, जमवारामगढ़ अभयारण्य लंगूरों के कारण, चम्बल अभयारण्य घड़ियालों के कारण, रामगढ़ अभयारण्य राष्ट्रीय पशु बाघ के कारण, गजनेर अभ्यारण्य इम्पीरीयल सेन्डगाउज के लिए, ताल छापर काले हिरणों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इनके अलावा फूलवारी की चाल, भैंसरोढ़गढ़, बस्सी, सज्जनगढ़, शेरगढ़, बंध बारेठा, रावली हाडगढ़, कैला देवी अभ्यारण्य पार्क, आबू अभयारण्य आदि में विविध वन्यजीवों को

स्वच्छन्द विचरण करते देखा जा सकता है। वन्य जीवों में राजस्थान आसाम के बाद दूसरा देश का सबसे समृद्ध प्रांत है। यहां के अभयारण्यों के प्रति आकर्षण का ही परिणाम है कि पर्यटकों से इनके आस पास के क्षेत्र सदैव भरे रहते है।

14.3.4 रहन-सहन एवं खान-पान:

राजस्थान की शान कही जाने वाली पगड़ी यहां के निवासियों की पसंद है। राजस्थान के रहन-सहन का जिक्र आए और पाग (पगड़ी) की चर्चा न हो यह संभव नहीं है। राजस्थान के निवासियों का मुख्य पहनावा कुरता, धोती व सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी है। पगड़ी का रंग व्यक्ति इच्छा पर निर्भर है। कुछ स्थानों पर प्रमुखतः बंधेज की व कुछ स्थानों पर रंगों से रंगे कपड़े की पगड़ी बांधी जाती है।

राजस्थान के निवासियों का खाना लाजवाब है। दाल-बाटी-चूरमा हो या सांगरी की सब्जी एक बार खा चुके पर्यटक को इनका नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। वैसे मुख्यतः प्रदेश के पश्चिमी भाग मे बाजरे व मक्के की रोटी विशेष रूप से प्रचलित है।

14.3.5 हवेलियां एवं मंदिर स्थापत्य:

राजस्थान में हवेलियों का निर्माण भारतीय वास्तुकला के अनुसार ही किया है। यहां के सामन्त और सेठ-साहुकारों ने भव्य हवेलियों का निर्माण किया है। शेखावटी हवेलियों के अंतर्गत, मण्डावा, झुंझुनू नवलगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, रतनगढ़, चुरू आदि की हवेलियों के भित्ती चित्रों तथा स्थापत्य में ऐसी कशिश है कि कई विदेशी पर्यटक तो उन्हें देखने के लिए ही आते है। जैसलमेर की सालमसिंह हवेली, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली के झरोखे, पत्थर की जाली आदि का बारीक कार्य बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। इसी प्रकार बीकानेर की रामपुरिया, डागा की हवेलियां, कोटा, भरतपुर, करौली की हवेलियां भी अपनी कलात्मकता के कारण विश्वप्रसिद्ध है।

राजस्थान में अधिकतर मंदिरों का निर्माण 700 ई. से 1000 ई. के मध्य हुआ। इसके बाद 1000 ई. से 1300 ई. में तो मंदिर निर्माण की इतनी शैलियां विकसित हुई कि इस पूरे दौर को राजस्थान में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल कहा जाने लगा। राजस्थान में 8 वीं एवं 9 वीं शताब्दी के सर्वाधिक मंदिर ओसियां, चित्तौड़गढ़ एवं आभानेरी में है। इसके अलावा भुण्डाना, वुचकला, पीपाड़, लाम्बा आदि में भी ओसियां कला के मिलते-जुलते मंदिर बने। गोठ मंगलोर का दधिमति माता, जयपुर के पास भवानीपुर में नकरीमाता, नीमान में मगरमण्डी माता मंदिर, बालोतरा के पास खेड़ में महेश्वर, रणछोड़ जी के मंदिर 9 वीं शताब्दी के बताये जाते है।

सीकर में हर्षमाता का मंदिर, किराडू का सोमेश्वर मंदिर, मेड़ता का जसनगर मंदिर आदि गुर्जर-प्रतिहार कला के अप्रतिम उदाहरण है। ये सभी 10 वीं से 11 वीं शताब्दी के माने जाते है। बाडोली का धारेश्वर मंदिर, उदयपुर का जगत अंबिका मंदिर, उदयपुर में एकलिंगजी के पास नागदा का सास-बहू मंदिर, मेवाड़ में तूसमंदेसर का सूर्य मन्दिर, आहाड़ का मीरा मंदिर, एकलिंगजी का शिव मंदिर आदि अद्भूत आकर्षण लिए है।

राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का समाधीश्वर मंदिर, ओसियां में सच्चियां माता का विष्णुमंदिर, महावीर मंदिर, किराडू का शिव मंदिर, जालौर के तोपखाना देस, आदि के प्राचीन मंदिर अपने विशिष्ट प्रकार के द्वार, वैरीपट्ट में अन्तर्पट्ट के कारण अपनी अलग पहचान लिए थे।

10 वीं और 13 वीं शताब्दी में राज्य में जैन मंदिर भी काफी संख्या में बनें। ओसियां पाली जिले के सेवाड़ी, घाणोराव, पाली, नाड़ौल-नारलाई, झालरापाटन आदि के साथ ही विभिन्न अन्य स्थानों के प्राचीन जैन मंदिर आज भी अपने स्थापत्य के कारण आकर्षित करते है। माऊंट आबू के देलवाड़ा मंदिर समूह आज भी अपने स्थापत्य कला सौंदर्य से जगप्रसिद्ध हैं तथा निरंतर पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं।

राज्य के भूमिज शैली के मंदिरों में 1010 से 1075 ई. के मध्य बने मंदिर आज भी अपनी विशिष्ट पहचान लिए है। ऐसे मंदिरों में पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर पंचटन व पंचलूम है। झालरापाटन का सूर्य मंदिर भी इसी शैली का है। पन्द्रहवीं शताब्दी में बने रणकपुर के सूर्य मंदिर, चित्तौड़ का अदभुतनाथ मंदिर अपनी विशिष्ट शैली के कारण आज भी अपनी अलग शान रखता है। चौदहवीं शताब्दी एवं उसके बाद की मंदिर शैली गुजरात के सोलंकियों के नाम से जानी जाती है। इस काल के बड़े मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी, एक्लिंग जी के मुख्य मंदिर, केशोरायपाटन के मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणी मंदिर प्रमुख है।

14.3.6 हेरिटेज होटल:

धरोहर पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से हेरिटेज होटलों का विशेष महत्व है। हैरिटेज होटलों के माध्यम से राजस्थान में पर्यटन का तेजी से विस्तार हुआ है। पुराने महलों, हवेलियों, किलों, दुर्गो और 1950 से पहले बने निवासों को आवास एककों में परिवर्तित करने की दृष्टि से हैरिटेज होटलों की अवधारणा आरंभ की गयी थी, क्योंकि ये पारम्परिक ढांचे बीते युग के परिवेश और जीवन शैली को प्रतिबिम्बित करते है। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि हमारी विरासत से जुड़े किले, महल, हवेलियां, लैंडमार्क्स आदि के टूटने के कारण कोई क्षति नहीं हो बल्कि वे पर्यटकों के लिए अतिरिक्त कमरों की क्षमता प्रदान करने वाली वित्तीय रूप से व्यवहार्य सम्पतियां बन सके। हेरिटेज होटलों के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा तीन श्रेणियां की हुई हैं। प्रथम हैरिटेज श्रेणी के अंतर्गत 1950 से पूर्व निर्मित अवासों, हवेलिया, लॉजो, दुर्गो, किलों, महलों के होटल आते हैं। ऐसे होटल में कम से कम पांच कमरे अर्थात् 10 बिस्तर होने चाहिए। दूसरी हैरिटेज क्लासिक श्रेणी के अंतर्गत 1935 से पूर्व निर्मित अवासों, हवेलियां, हटिंग लॉजो, दुर्गो, किलों, महलों के होटल आते हैं। ऐसे होटल में कम से कम 15 कमरे अर्थात् 30 बिस्तर होने चाहिए। तीसरी हैरिटेज ग्रांड श्रेणी के अंतर्गत 1920 से पहले बने निवास स्थानों यथा हवेलियां, शिकार गृहों, दुर्ग, किलों, महलों के होटलों को शामिल किया जाता है।

भारत में हैरिटेज होटलों के संबंध में राजस्थान का आधिपत्य सा है। होटलों के तहत एक ओर जहां पर्यटकों को राज्य की परम्परागत मेहमाननवाजी, संस्कृति का अनुभव है वहीं पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के किले, महल, हवेलियों का भी इससे संरक्षण निजी क्षेत्र द्वारा संभव हुआ है। वैसे भी राजस्थान में औसत हर 10 किलोमीटर की परिधि में कोई न कोई गढ़, किला, महल या हवेली है। ऐसे में यह स्वाभाविक ही है कि राजस्थान हैरिटेज होटलों की दृष्टि से पूरे देश में अग्रणी स्थान रखता है। राजस्थान में 1990 में जहां 14 हैरिटेज होटल ही थे वहीं 2006 में इनकी संख्या बढकर 94 हो गयी। देश के 'ब्राण्ड हेरिटेज' के खजाने का 90 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान को जाता है।

हालांकि आजादी से पहले ही यहां के राजा-महाराजाओं ने अपने किले, गढ़ों के द्वार पर्यटको के लिए खोलकर हैरिटेज होटलों की एक प्रकार से अनौपचारिक शुरुआत कर दी थी परन्तु आजादी के बाद 80 के दशक में हैरिटेज होटलों के कारोबार में तेजी आयी। इस तेजी का कारण था राजा-महाराजाओ, जागीरदारों द्वारा अपने किले, महलों, हवेलियों के रख-रखाव के साथ ही मुनाफे के लिए उन्हें होटलों में तब्दील करना।

14.3.7 पैलेस ऑन व्हील:

पर्यटन के क्षेत्र में भारतीय रेलवे के सहयोग से चलायी जाने वाली राजस्थान 'पैलेस ऑन व्हील' शाही रेलगाड़ी के नाम से जानी जाती है। इसकी खास बात यह है कि पहियों पर राजमहल रूप में इसमें सैर करना किसी रोमाँच से कम नहीं है।

भारतीय रेल एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में वातानुकूलित चलायी जाने वाली शाही रेलगाड़ी को विश्व की 10 प्रमुख रेलगाड़ीयों में से जाना जाता है। राजस्थान के राजमहलों की शानौ-शौकत को अनुभूत करते पर्यटक इस रेल के द्वारा राज्य के भव्य पर्यटन स्थानों की सैर करते हैं। पहियों पर राजमहल यानी 'पैलेस ऑन व्हील' बुधवार को दिल्ली से रवाना होकर जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर के महलों और किलों से होती हुई पर्यटकों को लेकर अमर प्रेम का प्रतीक ताजमहल दिखाने के लिए आगरा। पहुंचती है। ट्रेन में पर्यटक राजा-महाराजा होने का अनुभव करते हैं। रेल में महाराजा और महारानी नाम से दो रेस्तरां और एक बार है। जयपुर पहुंचने पर पर्यटकों को हाथी पर बैठाकर आमेर के किले की सैर करायी जाती है|

वर्ष 2002-2003 में शाही रेलगाड़ी का 1475 पर्यटकों ने उपभोग किया और इससे 522.16 लाख रूपये की आय हुई। इसी प्रकार 2003-2004 में शाही रेलगाड़ी से 2610 पर्यटकों ने सैर की और इससे 844.69 लाख की आय हुई। वर्ष 2004-2005 में दिसम्बर माह तक शाही रेलगाड़ी की सवारी करने वाले पर्यटकों की संख्या 1855 थी और इससे 637.28 लाख रूपये की आय हुई।

14.3.8 हैरिटेज ऑन व्हील्स:

पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर भारतीय रेलवे के सहयोग से राजस्थान में एक और शाही रेल वर्ष 2006 से चलायी जा रही है। राजस्थान की विरासत से रु-ब-रू कराने के उद्देश्य से प्रारंभ इस रेल के अंतर्गत प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों राजस्थान की कला-संस्कृति आदि के बारे में पर्यटकों को अवगत कराया जायेगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रारंभ की जा रही इस रेल की यह भी खास बात है कि यह पूरी तरह से राजस्थान के रंगों से सराबोर है।

हैरिटेज ऑन व्हील्स जयपुर से रवाना होकर दूसरे दिन बीकानेर, तीसरे दिन काले हिरणों के लिये देश भर में विख्यात तालछापर वन्य जीव अभयारण्य और शेखावटी की कलात्मक हवेलियों की सैर कराती हुई चौथे दिन पुन: जयपुर पहुंचती है। कुला 72 बर्थ की क्षमता वाली इस विरासत रेल के प्रति विदेशी पर्यटकों में खासा उत्साह है।

सितम्बर 2006 से प्रारंभ इस रेल की खास बात यह है कि यह मीटर गेज पर चलेगी। शाही रेल की तरह इसको भी पूरी तरह से सज्जित किया गया है। रेल में नौ सैलून रखे गये है तथा हर सैलून में चार बैडरूम की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दो रेस्टोरेंट भी ट्रेन में चलेंगे। इनका नाम महाराजा और महारानी रखा गया है। बार किचन, सर्विस कार के अलावा इसमें लाउण्ड्री की भी पृथक से व्यवस्था रखी गई है।

14.4 धरोहर संरक्षण एवं विकास:

पुरा सम्पदा के महत्व को देखते हुए पुरातात्विक भवनों एवं पुरावस्तुओं के संरक्षण एवं विकास हेतु राज्य में पृथक से विरासत संरक्षण एवं प्रोत्साहन बोर्ड के गठन की बात राज्य सरकार के 2006-2007 बजट में कही गयी है। विरासत संरक्षण एवं प्रोत्साहन बोर्ड के भविष्य के बारे में तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, परन्तु इससे लगातार अपने अस्तित्व से जूझते आ रहे सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध प्रदेश के किलों, महलों, पुरा महत्व के स्थानों को काफी हद तक संरक्षण मिलेगा।

वर्ष 2006-2007 के बजट में राज्य के विभिन्न नगरों के परकोटे एवं नगर द्वार संरक्षण के लिये अलग से योजना प्रारंभ करने इस प्रयोजनार्थ 2 करोड़ की राशि का प्रावधान किये जाने की बात कही गई है। केरल की तर्ज पर आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा पद्धति की दृष्टि से भी बजट में यह घोषणा की गई है कि राज्य के 7 पर्यटन स्थलों पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से पंचकर्म केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। इस हेतु 1 करोड़ 57 लाख रूपये की राशि के प्रावधान की बात बजट में कही गई है। इसी प्रकार पंचगव्य औषधियों के विकास, निर्माण एव वितरण के लिए भी सार्वजनिक-निजी सहभागिता से आधुनिक पंचगव्य रसायनशाला की स्थापना करने तथा इसके लिये आगामी वर्ष में 25 लाख रूपये के प्रावधान की बात बजट में कही गई है। काले हिरणों के लिये प्रसिद्ध चुरू जिले के ताल छापर अभयारण्य के समग्र विकास के लिए वर्ष 2006-2007 से 2010-2011 तक की अवधि के लिये 2 करोड 82 लाख रूपये की पंचवर्षीय कार्ययोजना बजट में प्रस्तावित की गई है। बजट में 10 जिलों में ग्रामीण हाट स्थापित करने की घोषणा, बृज क्षेत्र के धार्मिक एवं पर्यटन विकास हेतु एक करोड़ रूपये की राशि के प्रावधान के साथ ही राज्य की नई होटल नीति घोषित करने और हेरिटेज होटलों पर अतिरिक्त विलासिता कर नहीं लगाने की पहल से निश्चित ही विरासत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

धरोहर संरक्षण की दिशा में आवश्यकता इस बात की भी है कि प्राचीन स्मारकों, महलों व किलों के संरक्षण के लिए सरकार के साथ-साथ निजी भागीदारी को सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जाए। यह सब संभव तब होगा जब किले, महलों व स्मारकों के संरक्षण के प्रति वास्तविक रूप में जन जागरूकता वातावरण बनाया जाए। अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाए जाने के साथ। निजी व सरकारी आधिपत्य वाले प्रदेश के सभी किले, महलों, स्मारकों का चिन्हिकरण करने का अभियान इस दिशा मे प्रभावी कदम उठाए जाएं तो न केवल राज्य मे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हमारी संस्कृति की विरासत को काफी हद तक बचाया भी जा सकेगा। आज भी देश में ऐसे हजारों स्मारक, इमारते हैं जिनपर निजी अथवा अन्य किसी स्तर पर नियंत्रण होने से वे पर्यटकों के लिए महरूम हैं। इन सभी के संरक्षण के साथ ही इन पर पर्यटको के आवागमन को अगर सुनिश्चित किया जाय तो जो आय इन स्थानों पर

पर्यटको के आने से होती है, उसका अंश मात्र हिस्सा खर्च करके ही इनके संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सकता है।

कुछ समय पूर्व प्रदेश के लगभग सभी राजे-रजवाड़ों ने अपने पारिवारिक विवादों को भुलाकर अपने सभी किलों और महलों को इस आधार पर राज्य सरकार से मांगा था कि राज्य सरकारें रख-रखाव करने मे नाकाम रही है। रख-रखाव में राज्य सरकारों की नाकामी की बात कुछ हद तक सही हो सकती है परन्तु इस परिप्रेक्ष्य में यह कहना भी कम अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि ऐतिहासिक इमारतों कों भी राजे-रजवाडो द्वारा जायदाद की तरह देखा जाता है। कोई इसे छोड़ना नहीं चाहता, भले ही उनका संरक्षण सही तरीके से हो भी या नहीं। ऐसी स्थिति में बहुत से किले, प्राचीन स्मारक राजे-रजवाडों की जायदाद न केवल पर्यटकों से महरूम है बल्कि वे अब निंरतर अपने अस्तित्व को ही समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं।

कुल मिलाकर सांस्कृतिक सरोकार रखते हुए सरकार और निजी दोनों ही क्षेत्र ऐतिहासिक इमारतों के साथ ही पुरा महत्व के स्थलों की बदहाली को दूर करने का संकल्प लें तो इसके दूरगामी परिणाम राज्य में पर्यटन विकास के रूप में स्वत: ही सामने होंगे। संस्कृति के संरक्षण की सोच का विस्तार वर्तमान में इस रूप में भी जरूरी है कि इसी से पर्यटन विकास को नए आयाम दिए जा सकते हैं।

14.5 एडोप्ट-ए-मान्यूमेंट योजना:

सांस्कृतिक विरासत का जनसहभागिता से संरक्षण एँव जीर्णोद्धार करने के लिए राजस्थान 'एडोप्ट-ए-मोन्यूमेंट' योजना राज्य सरकार की एक महति योजना है। इस के अंतर्गत राजस्थान की बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत को, जो संरक्षित स्मारकों के रूप में है, संरक्षण, जीर्णोद्धार, एवं उचित प्रबंधन के जरिए जन-जन के आकर्षण का केन्द्र बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा चयनित स्मारकों को विभाग तैयार किए गए मास्टर प्लान के अन्तर्गत, जन सहभागिता और पारदर्शी प्रक्रिया से ओपन टेंडर द्वारा, इन स्मारकों के उचित रख-रखाव, आवश्यक आधारभूत पर्यटक सुविधाएं, लैंडस्कैपिंग, म्यूजियम शॉप, कैफेटेरिया, समुचित प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए लाइसेंस के जरिये एक निश्चित समयावधि व निर्धारित शर्तो पर संचालन एवं संरक्षण हेतु दिया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत स्मारकों का स्वामित्व सरकार का यथावत बना रहेगा। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति, व्यावसायिक घरानों, संस्थाओं एवं गैर प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग लिया जायेगा तथा निवेशक द्वारा इन स्मारकों पर व्यय की गयी राशि से होने वाली आय में से निवेशक को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो के वांछित पुर्नभरण किया जायेगा।

कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत फिलहाल जतर-मंतर एवं हवामहल का मास्टर प्लान तैयार करवाया गया है। जंतर-मंतर के मास्टर प्लान के अंतर्गत स्मारक का विकास, संरक्षण, विद्युत कार्य, आधारभूत पर्यटक सुविधाएं, संग्रहालय विकास, कैफेटेरिया आदि कार्य सम्मिलित किए गए हैं जिन पर 5.60 करोड़ रूपये की राशि का व्यय होना संभावित है। इस योजना के तहत जंतर-मंतर का उचित रख-रखाव, नौ-दस भाषाओं का ऑडियो गाइड सिस्टम, म्यूजियम शॉप, सार्वजनिक सुविधाओं, रात्रि अवलोकन एव उद्यान संधारण आदि कार्य करवाए जाकर पुरातातविक महत्व के इस स्मारक को पर्यटकों के लिए इतना आकर्षक और

जीवंत बनाया जाएगा ताकि पर्यटक इसे बार-बार न केवल देखना चाहे अपितु विदेशों में इसके सौन्दर्य का व्यापक प्रचार-प्रसार करे।

इसी भांति हवामहल के मास्टर प्लान के अंतर्गत भी स्मारक के विकास, संरक्षण, विद्युत कार्य, आधारभूग पर्यटक सुविधाएं, संग्रहालय विकास, कैफेटेरिया आदि कार्य सम्मिलित किए गए हैं जिन पर 8.46 करोड रूपये की राशि व्यय होना संभावित है। हवामहल को गोद लेने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिद्धान्तत: सहमति प्रदान कर दी है।

भारत में ख्याति प्राप्त टाटा कनसलटैंसी सर्विसेज द्वारा विशेषज्ञ कंजरवेशन आर्कीटेक्ट्स के प्रोफाइल्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। शीध्र ही इनके आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा जो स्मारकों के मास्टर प्लान तैयार करेगा। वर्ष 2006-07 के लिए कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत गोद दिए जाने वाले 30 स्मारकों को चिन्हित किया गया है।

राजस्थान में 225 संरक्षित स्मारक हैं। इन सभी स्मारकों के उचित संरक्षण हेतु एक मुश्त राशि लगभग रूपए 1000 से 1200 करोड़ की आवश्यकता है तथा पर्याप्त मात्रा में मैनपॉवर भी आवश्यक है। नवम्बर 2005 में राज्य सरकार ने प्रदेश के पग-पग फैली पुरा संपदाओं का एक वृहद सर्वेक्षण कार्य करवाया था। इस सर्वेक्षण में 7000 अन्य पुरा संपदाएं चिन्हित की गई हैं। इन संपदाओं के संरक्षण एवं रख-रखाव का कार्य करवाया जाना भी सरकार का ही दायित्व है। सरकार के पास सीमित आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जन सहभागिता की यह महति योजना निश्चित रूप से लाभदायक होगी। इस योजना के लागू होने से किसी व्यक्ति, फर्म या न्यास के सहयोग से निर्धारित समय के लिए स्मारक को अनुज्ञा पर दिया जा सकेगा जिससे राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और स्मारकों के संरक्षण, सुरक्षा तथा उचित रख-रखाव के साथ पर्याप्त आय भी होगी।

यह सहभागिता खुली निविदाओं के माध्यम से कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत दी जाएगी। इसके अंतर्गत किए जाने वाले अनुबंध का प्रारूप विधि विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार कर लिया गया है। इस प्रारूप को किसी श्रेष्ठ विधिवेत्ता एंव महाधिवक्ता से अनुमोदित करवाया जा रहा है। स्मारकों में प्रवेश शुल्क की दरों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा ही किया जाएगा जो कि राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के बाद लागू किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्धारित प्रवेश शुल्क में पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी श्रेणी के व्यक्ति के लिए शुल्क मुक्ति का अधिकार अपने पास रख सकेगी। स्मारकों पर करवाये जाने वाले कार्यो का पर्यवेक्षण विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा निरंतर किया जाएगा। मूल अधिनियम 1961 व उसके अंतर्गत बने नियम 1968 के सभी प्रावधान स्मारक के निजी सहभागिता के बाद भी यथावत लागू रहेंगे।

गत वर्ष स्मारकों से 5.53 करोड़ की आय अर्जित की गई है। इस योजना से स्मारकों के स्वरूप में निखार आएगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी एवं पर्यटकों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकैंगी और राजस्थान में पर्यटकों की आवा-जाही बढ़ेगी, आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी तथा प्रदेश का पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र में विशिष्ट स्थान होगा।

14.6 धरोहर संरक्षण संबंधी कानून एवं प्रावधान:

जिन धरोहरों का पुरातात्विक, ऐतिहासिक ओर कलात्मक महत्व है, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्राथमिकताओं के अनुसार उनको केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संरक्षित स्मारक, प्राचीन

निवसित स्थल, पुरावशेष घोषित किया हुआ है। भारत सरकार के “प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958” के अन्तर्गत राजस्थान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लगभग एक सौ पचास प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल संरक्षित घोषित हैं। राजस्थान सरकार के “राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961” के अन्तर्गत पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान के अधीन दो सौ तेईस स्मारक, पैंतालीस प्राचीन स्थल और सात पुरावशेष संरक्षित घोषित हैं।

भारत सरकार के “पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972” के प्रावधानों के अंतर्गत एक सौ वर्षो से अधिक प्राचीन किसी भी माध्यम में विनिर्मित मूर्ति, शिल्प और रंगचित्र तथा पचहत्तर वर्षो से अधिक प्राचीन हस्तलिखित चित्रित, अलंकृत ग्रंथ, पाण्डुलिपियां या उनके पृष्ठों का उनके स्वामी द्वारा अधिनियम में विहित प्रक्रियानुसार रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य है। अरजिस्ट्रीकृत पुरावशेष को किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी संग्रह में रखना दण्डनीय अपराध है। केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी पुरावशेष का निर्यात पूर्णत: प्रतिबंधित है। निजी स्वामित्व के संरक्षित घोषित पुरावशेषों और कलाकृतियों के अतिरिक्त विशाल संख्या में पुरा, कला एवं ऐतिहासिक महत्व की सामग्री विभिन्न राजकीय संग्रहालयों तथा कुछ निजी प्रन्यासाधीन संग्रहालयों में संग्रहित और प्रदर्शित है।

पुरा, कला और ऐतिहासिक महत्व की सामग्री हमारे अपने आसपास की ढाणियों, गांवों, वनों, खेतों, जलाशयों, कस्बों और नगरीय बस्तियों में विपुल संख्या में यंत्र-तंत्र बिखरी हुई है, जो अभी तक अज्ञात अथवा अल्पज्ञात है और मानवीय उदासीनता, अज्ञानता एवं उपेक्षा के कारण हमारी इस महत्वपूर्ण धरोहर का निरन्तर क्षय हो रहा है, जो देश और समाज के साथ वैश्विक स्तर की भी हानि है।

धरोहर पर्यटन के लिए यह “विविधतापूर्ण सांस्कृतिक धरोहर” ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा एवं संरक्षा के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को संभालना इसलिए भी जरूरी कि इसीसे यह भावी पीढियों, सन्ततियों को क्रमिक रूप से सुरक्षित रूप में हस्तान्तरित होती रहे।

हमारे संविधान में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी यह बात जोर देकर कही गयी है कि कानून के अनुसार जिन इमारतों और स्थानों को राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारक के रूप में घोषित किया गया है उन्हें खराब होने, नुकसान पहुंचाये जाने, बिगाड़े जाने, नया निर्माण करने, उनके निपटान या निर्यात आदि से संरक्षण किया जाना चाहिए। हमारे देश के विभिन्न राज्यों ने ऐतिहासिक ईमारतों और स्मारकों के संरक्षण के लिए नगर नियोजन अधिनियम बनाए हुए हैं।

14.7 यूनेस्को धरोहर संरक्षण कार्यक्रम:

यूनेस्कों पिछले 50 वर्षो से पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करता रहा है। रिओ डी जेनरों में पृथ्वी सम्मेलन के बाद से यूनेस्को ने अपने कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को नये सिरे से निर्धारित किया है ताकि स्थायी विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता की तरफ ध्यान दिया जा सके। हमारी प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को का ऐसा ही एक

कार्यक्रम है, मनुष्य और जैव मंडल कार्यक्रम जिसे भारत समेत समूचे विश्व में लागू किया गया है|

यूनेस्को का विश्व धरोहर कार्यक्रम मानव निर्मित और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण की आवश्यकता को महसूस करते हुए शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम दुनिया के 148 से अधिक देशों द्वारा विश्व धरोहर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अस्तित्व में आया है और 1972 में यूनेस्को के महाधिवेशन में इसकी पुष्टि की गयी है। आज विश्व धरोहरों की सूची में दुनिया भर के 500 से अधिक प्रकृतिक और सांस्कृतिक स्मारक शामिल है। प्रकृतिक धरोहर वाले स्थलों में बेहद खूबसूरत स्थान धरती के इतिहास के प्रमुख चरणों से संबंधित ऐसे स्थान जिनसे मौजूदा समय में चल रही पारिस्थितिकीय और जैव प्रक्रियाओं का पता चलता हो या लुप्त होने की आशंका वाली प्रजातियों के स्वाभाविक निवास स्थान शामिल है। इनमें से कई का प्रबंधन आरक्षित जैव मंडल के तहत किया जाता है। इसके अलावा भूगर्भ वैज्ञानिक महत्व के कुछ स्थान तथा स्थायी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान भी इसके अंतर्गत शामिल है।

14.8 धरोहर संरक्षण एवं जन-जुड़ाव:

राजस्थान में कुछ समय पूर्व राज्य की बहुरंगी कला एवं संस्कृति को व्यापक बनाने के लिए प्राचीन स्मारकों को संरक्षित करने के साथ ही वहां सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की भी बात कही थी परन्तु इस पर कोई खास काम अभी तक हो नहीं पाया है। इस दिशा में अगर कार्य होता है तो निश्चित लगातार अपने अस्तित्व से जूझते आ रहे सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध प्रदेश के किलों, महलों, पुरा महत्व के स्थानों को संरक्षण मिलेगा। वैसे भी तेजी से होते शहरीकरण से प्रदेश की पुरा सम्पदा के साथ ही प्राचीन स्मारक, किले निरंतर बदहाली के शिकार हो रहे हैं। स्वर्णनगरी जैसलमेर का सोनार किला हो या फिर बीकानेर का जूनागढ़ या फिर चित्तौड़ का दुर्ग-इन सबकी नींवे खोखली होती निरंतर ढहने की ओर अग्रसर है। कारण है- इनमें रहने वाले लोगों या आसपास के लोगों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले पानी की निकासी की व्यवस्था सही नहीं होना। परिणामत: न केवल प्रदेश के किले और महल निरंतर ढहने की ओर अग्रसर है बल्कि प्राचीन स्मारकों के आसपास होने वाले अतिक्रमणों, उनकी सार संभाल नहीं होने से वे निरंतर हादसों के शिकार भी हो रहे हैं।

नागौर व लक्ष्मणगढ़ किले के साथ ही बहुत से राज्य के और भी ऐसे किले हैं जिनके मुख्य द्वारों के आसपास इतने अतिक्रमण हो गये हैं कि वे बाहर से दिखाई ही नहीं देती। इसी प्रकार प्राचीन स्मारक व पुरा महत्व के बहुत से स्थलों के आसपास अतिक्रमण व कचरा डालने की प्रवृति का ही परिणाम है कि ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के ऐसे स्थलों की गरिमा का निरंतर ह्रास होता जा रहा है। इस संदर्भ में बीकानेर का उदाहरण ही काफी होगा। बीकानेर में सागर रोड पर बनी प्राचीन शासकों की याद में संगमरमर के पत्थर की बनायी छतरियां अपने स्थापत्यकला सौन्दर्य से पर्यटकों को आरंभ से ही आकर्षित करती आयी है परंतु इधर के कुछ वर्षो में इनके आसपास अतिक्रमणों की इतनी भरमार हो गई है कि अब ये सड़क से नजर ही नहीं आती। इसी प्रकार जालौर में परमारकालीन संस्कृत पाठशाला अपने स्थापत्य सौन्दर्य के कारण पूरे देश में अपनी विशिस्ट आभा लिए है। पाठशाला के आसपास के अतिक्रमणों व इसकी समुचित सार-संभाल नहीं होने से अब यह पाठशाला विलुप्ति के कगार पर है। हमारी ऐतिहासिक व

सांस्कृतिक विरासत के ऐसे बहुत से स्मारक, किले व महल सार संभाल व संरक्षण के अभाव मे निरंतर अपनी दुर्दशा से आंसू बहा रहे है।

आवश्यकता इस बात की भी है कि प्राचीन स्मारकों, महलों व किलों के संरक्षण के लिये सरकार के साथ-साथ निजी भागीदारी को सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जाए। यह सब संभव तब होगा जब किले, महलों व स्मारकों के संरक्षण के प्रति वास्तविक रूप में जन जागरूकता का वातावरण बनाया जाए। अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाए जाने के साथ ही निजी व सरकारी आधिपत्य के प्रदेश के सभी किले, महलों, स्मारकों का चिन्हीकरण करने का अभियान चलाकर इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाए तो न केवल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हमारी संस्कृति की विरासत को काफी हद तक बचाया भी जा सकेगा।

स्थापत्य कला से समृद्ध देश की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों का अगर समुचित संरक्षण किसी भी स्तर पर होता है और वहां पर निरंतर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाकर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है तो निश्चित ही ऐसे स्थल पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही देश को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का भी अर्जन करा सकते हैं। आज भी देश में ऐसे हजारों स्मारक, इमारते है जिनपर निजी अथवा अन्य किसी स्तर पर नियन्त्रण होने से वे पर्यटकों के लिये महरूम है। इन सभी के संरक्षण के साथ ही इन पर पर्यटकों के आवागमन को अगर सुनिश्चित किया जाता है तो जो आय इन स्थानों पर पर्यटको के आने से होती है उसका अंश मात्र हिस्सा खर्च करके ही इनके संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सकता है।

सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता आज इसी बात की है कि ऐतिहासिक इमारतों, धरोहरों को सभी स्तरों पर संरक्षित किया जाये। हाल के वर्षो में मोर्यो द्वारा बनवाए गए चित्तौड़ के किले में निर्मित रानी पद्मिनी के महल के पुनरूद्वार के लिये केन्द्र द्वारा 1 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी करना, कुम्भलगढ़ दुर्ग के लिये भी राशि जारी करने के साथ ही जैसलमेर दुर्ग के संरक्षण के लिए भी पहल करने से निश्चित ही किलों, महलों के दिन फिरेंगे। इनके साथ ही निजी क्षेत्र भी अगर इस दिशा में निरंतर प्रयास करें तो निश्चित ही इसके सुखद परिणाम प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से राजस्व वृद्धि के रूप में हमारे सामने होगी, तब पर्यटन से प्राप्त राजस्व से ऐतिहासिक इमारतों का रखरखाव भी और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इस दिशा में लगभग जर्जर हो चुके नागौर के किले का मेहरानगढ़ ट्रस्ट द्वारा जीर्णोद्धार करने का प्रयास इस रूप में कम महत्वपूर्ण नहीं है कि अब पुन: यह अपने पूर्ववर्ती स्वरूप में पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इसे यूनेस्को अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है।

सांस्कृतिक सरोकार रखते हुये सरकार और निजी दोनों ही क्षेत्र अगर ऐतिहासिक इमारतों के साथ ही पुरा महत्व के स्थलों की बदहाली को दूर करने का संकल्प लें तो इसके दूरगामी परिणाम राज्य में पर्यटन विकास के रूप में स्वत: ही सामने होंगे। धरोहर संरक्षण की सोच का विस्तार वर्तमान में इस रूप में भी जरूरी है कि इसी से पर्यटन विकास को नए आयाम दिए जा सकते।

14.9 सारांश:

वर्षो से चली आ रही सांस्कृतिक परम्पराएं, परिवेश, सभ्यता एवं संस्कृति आदि सभी कुछ हमारी विरासत के ही हिस्से हैं। अतिथि देवो भव: की भारतीय संस्कृति, धर्म एवं संस्कार की हमारी प्राचीन परम्पराओं की ओर विशेष रूझान का ही परिणाम है कि इनके बारे में सुनकर ही दूर देशों से पर्यटक हिदुस्तान में खींचे चले आते हैं। अनेकता में एकता की भारतीय संस्कृति की सोच से विदेशी पर्यटकों को परिचत कराने, यहां की परम्पराओं, रीति-रिवाजों और मानव निर्मित अनमोल विरासत से रू-ब-रू कराने की सोच की ही परिणति है- धरोहर पर्यटन। धरोहर पर्यटन के अंतर्गत सभी तरह के जीवित और मृत स्मारक, प्राचीन परम्पराएं, ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति आदि आते हैं। यह पर्यटन का वह प्रकार है जो सदियों पुरानी विरासत, आस्थाओं, विश्वास से प्रेरित है।

राजस्थान तो स्थापत्य कला की शानदार धरोहर यथा किले, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, धार्मिक स्थल आदि से अत्यधिक समृद्ध है तो यहां की लोक संस्कृति, हस्तकलाएं, चित्रकला, लोक संगीत, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, लोक देवी देवता, रीति-रिवाज भी यहाँ की समृद्ध विरासत के द्योतक हैं। यही नहीं मरू प्रदेश राजस्थान की प्राकृतिक धरोहर भी अपने आप में अनूठी और बेमिसाल है। वन्य जीव, अभ्यारण्य, पक्षी, झीलें, पर्वत, दूर तक पसरा रेगिस्तान आदि सभी कुछ अनुपम हैं।

राजस्थान में धरोहर पर्यटन के अंतर्गत पिछले कुछ समय से हैरिटेज होटल, हैरिटेज ऑन व्हील, पैलेस ऑन व्हील आदि के रूप में सैलानियों को लुभाने के लिए किए गए प्रयासों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया है। धरोहर संरक्षण के लिए बने विभिन्न कानून एवं नियमों के बारे में वातावरण निर्माण किए जाने के साथ ही इस संबंध में जन-जुड़ाव किया जाए तो निश्चित ही इसके दूरगामी परिणाम हमारे सामने आएंगे। यह सुखद है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रदेश में धरोहर बोर्ड स्थापित किए जाने की बात कही गयी है। सरकार, स्वयंसेवी संगठन, निजी क्षेत्र तथा आम जन यदि मिल-जुलकर धरोहर संरक्षण के समन्वित प्रयास करें तो समृद्ध धरोहर का प्रदेश राजस्थान धरोहर संरक्षण में भी देश में आदर्श स्थापित कर सकता है। धरोहर संरक्षण की सोच को विस्तार देकर ही पर्यटन को सही मायने में विकसित किया जा सकता है। इस इकाई में आपको धरोहर पर्यटन की अवधारणा के साथ ही विरासत संरक्षण की चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गयी है। इससे धरोहर पर्यटन से आप अपने आपको जुड़ा महसूस करेंगें।

बोध प्रश्न:

1. "धरोहर पर्यटन सदियों पुरानी विरासत, आस्थाओं, विश्वास से प्रेरित है।" इस कथन के परिप्रेक्ष्य में धरोहर पर्यटन की अवधारणा बताते हुए राजस्थान में धरोहर की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए।

   ....

   ....

2. राजस्थान में धरोहर पर्यटन के अंतर्गत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालिए।

……

……

3. पैलेस ऑन व्हील एवं हैरिटेज ऑन व्हील धरोहर पर्यटन को किस प्रकार बढ़ावा दे रही हैं?

……

……

4. धरोहर संरक्षण संबंधी कानून एवं नियमों के बारे में जानकारी दीजिए।

……

……

5. 'एडोप्ट ए मोन्यूमेंट' योजना के पीछे क्या अवधारणा है। इस योजना के बारे में संक्षेप में जानकारी दीजिए।

……

……

इकाई - 15: ग्रामीण पर्यटन

रूपरेखा:

15.0 उद्देश्य
15.1 प्रस्तावना
15.2 ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा
15.3 ग्रामीण पर्यटन एवं सामाजिक विकास
15.4 भारत सरकार-यूएनडीपी अंतर्जात ग्रामीण पर्यटन योजना
15.5 राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन
15.5.1 आदर्श पर्यटन गांव योजना
15.5.2 विरासत संरक्षण योजना
15.5.3 हेरिटेज ऑन व्हील्स
15.5.4 अन्य योजनाएं
15.6 ग्रामीण पर्यटन विकास की संभावनाएं
15.7 सारांश

15.0 उद्देश्य:

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

- ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा के बारे में जान सकेंगे।
- ग्रामीण पर्यटन की विशेषताओं के बारे में अवगत हो सकेंगे।
- ग्रामीण पर्यटन की सामाजिक अर्थव्यवस्था में भूमिका को समझ सकेंगे।
- राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन के बारे में जान सकेंगे।
- ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं के बारे में जान सकेंगे।

15.1 प्रस्तावना:

भारत गांवों का देश है। यहां की अधिकांश जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है। ऐसे में यह जरूरी है कि सभी स्तरों पर गांवों के विकास को व्यवहार में अमलीजामा पहनाया जाए। टिकाऊ ग्रामीण विकास से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था और वहां के लोगों के जीवनस्तर को उच्चतम स्तर पर लाया जा सकता है। समग्रत: यह कहा जा सकता है कि गांवों के देश भारत का सर्वागीण विकास टिकाऊ ग्रामीण विकास में ही निहित है। इधर जो पर्यटन के नये आयाम विकसित हुए हैं उनमें ग्रामीण पर्यटन सर्वाधिक लोकप्रिय साबित हुआ है। पर्यटन के फैलाव के लिए प्रमुख पर्यटन उत्पाद के रूप में गांवों एवं इसके नए भौगोलिक क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक लाभ के रूप में भी ग्रामीण पर्यटन सर्वाधिक कारगर है। भौतिकता के इस दौर में गांवो का सहज जीवन, वहां की विशिष्ट प्राकृतिक एवं भौगोलिक दशाएं, नैसर्गिक वातावरण आदि सभी कुछ पर्यटको को विशेष रूप से भाता है। भागम-भाग की इस जिन्दगी में कुछ पल सुकून की तलाश में गांवों की और जाने के प्रति पिछले कुछ वर्षो में देशी-विदेशी पर्यटकों का आकर्षण विशेष रूप से हुआ है। इसी आकर्षण ने दरअसल ग्रामीण पर्यटन की सोच को जन्म दिया। बेहतर प्रबंधन के तहत टिकाऊ ग्रामीण विकास ग्रामीण पर्यटन से ही संभव है। ग्रामीण पर्यटन को कैसे दिया जा

सकता है बढ़ावा, क्या-कुछ है ग्रामीण पर्यटन की विशेषताएं, अर्थव्यवस्था में कैसे प्रभावी भूमिका निभा सकता है ग्रामीण पर्यटन, राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन की क्या है संभावनाएं? आईए, जानें-

15.2 ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा:

पिछले कुछ अर्से से विश्व पर्यटन बाजार में कृषि आधारित ग्रामीण समाज और संस्कृति को पर्यटन का महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा है। ऐसे में ग्रामीण पर्यटन की नई सोच ने वैश्विक पर्यटन में ग्रामीण पर्यटन से न केवल बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सकता है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी यह वरदान साबित हो सकता है। वैसे भी गाँवों में रहने वाले लोगों की आजीविका का प्रमुख स्त्रोत खेती एंव पशुपालन है। मौसम और वर्षा पर निर्भर उनकी आजीविका के साधन अकाल की छाया में कई बार छिन भी जातें है। ऐसे में यह जरूरी है कि गांवों में निवास करने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक आय के स्त्रोत विकसित किए जाएं। ग्रामीण पर्यटन का विकास इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। इस रूप में कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने के साथ ही वहां मौजूद प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों का समुचित सदुपयोग संभव हो सकता है। यही नहीं समृद्ध भारतीय ग्रामीण कलाओं, परम्पराओं, संस्कृति की बेमिसाल धरोहर का संरक्षण भी ग्रामीण पर्यटन से हो सकता है।

शहरों में चौबीसों घंटे व्यस्त रहने वाले लोग शहरी भागमभाग और काम के तनाव से मुक्त होकर नयी ऊर्जा हासिल करने के लिए शहरों से दूर गांवों के शुद्ध वातावरण में कुछ समय बिताना चाहते हैं। विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों का आकर्षण भारत के गांवों की ओर विशेष रूप से होता है। वे भारत को नज़दीक से महसूस करने के लिए गांव और गाँव के लोगों के बीच रहना अधिक पसन्द करते हैं। ऐसे में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर वहां पर्याप्त सुविधाओं का विकास किया जाए तो इसके दूरगामी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए गांवों में विश्व स्तर के रिजार्ट खोले जाने, वहां तक पहुंचने के लिए सड़क तथा विभिन्न अन्य परिवहन सुविधाओं का अधिकाधिक विकास करने की पहल को समय की आवश्यकता कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

ग्रामीण पर्यटन गांवों के विकास के लिए इस रूप मे भी अत्यधिक कारगर है कि इससे ग्रामीणजनों के हूनर को बाजार मिलता है। गांवों की सांस्कृतिक परम्पराएं अत्यधिक समृद्ध है। वहां का लोकसंगीत, लोक कलाएं, हस्तकलाएँ, दस्तकारी आदि को ही बड़े-बड़े एम्पोरियम में विक्रय हेतु रखा जाता है। एम्पोरियमों में रखे सामानों के ग्रामीण हूनर का बहुत कम हिस्सा वास्तविक ग्रामीण उत्पादक को मिलता है। ग्रामीण पर्यटन का विकास होगा तो पर्यटक सीधे गांव वालों से ही उनके उत्पाद खरीदेंगे। इससे पर्यटकों एवं ग्रामीणजनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। ग्रामीण जनों को जहां बिचौलियों के माध्यम से उत्पाद बेचने की आवश्यकता नहीं रहेगी वहीं पर्यटक भी बगैर कमीशन के वांछित उत्पाद क्रय कर सकेंगें।

ग्रामीण पर्यटन से उन तमाम गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन है जिनके जरिए पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। इससे ग्रामीणजनों में उद्यमिता का विकास करने के साथ-साथ उनके आय के अतिरिक्त स्त्रोतों का विकास किया जा सकता है। यहीं नहीं ग्रामीण पर्यटन गांवों में मौजूद वहां की कलाओ, संस्कृति, हस्तनिर्मित उत्पादों, शुद्ध पर्यावरण और बेमिसाल धरोहर को संरक्षित करने का सशक्त माध्यम साबित हो सकता है- बर्शेते कि

सुनियोजित तरीके से इस दिशा में प्रयासों का क्रियान्वयन किया जाए। टिकाऊ विकास का प्रमुख आधार ग्रामीण पर्यटन इस रूप में हो सकता है कि इससे गांवों में रहने वाले लोगों के जीवनस्तर को उच्चतम स्तर पर लाया जा सकता है, चूकिं पर्यटन प्रमुखत: छोटे-छोटे उद्‌यमों को प्रोत्साहन देता है। ग्रामीण उद्‌यमियों के प्रयास छोटे स्तर पर होते हैं, उनके उत्पाद को बाजार प्रदान करने, उन्हें उत्पाद का सही विक्रय मूल्य प्रदान करने में ग्रामीण पर्यटन सबसे अधिक कारगर हैं।

ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए की जाने वाली पर्यटन सुविधाओं का प्रबंध और उन्हें दी जाने वाली सेवाएं सीधे तौर पर ग्रामीण समुदाय द्‌वारा ही किया जाता है, ऐसे में उनके सामाजिक विकास को भी सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जा सकता है।

वैसे भी सामाजिक विकास एक सतत प्रक्रिया है और इससे सर्वांगीण विकास को सभी स्तरों पर प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण पर्यटन से समाज में उद्‌यमिता का विकास किया जा सकता है।

15.3 ग्रामीण पर्यटन एवं सामाजिक विकास:

गांवों के टिकाऊ विकास के लिए यह जरूरी है कि वहां रहने वाली आबादी की आय के अधिकाधिक अतिरिक्त स्त्रोत विकसित किए जाएं। खेती और पशुपालन तो वैसे भी मौसम पर आधारित हैं। अच्छी बरसात होती है तो किसान के घर रौनक और जमाना खराब है तो उसके घर मातम। ऐसे में ग्रामीण समाज में उद्‌यमिता का विकास और इनके लिए अतिरिक्त आय का स्त्रोत ग्रामीण पर्यटन बन सकता है। सामाजिक विकास में ग्रामीण पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका को निम्न आधारों पर समझा जा सकता है -

- भारत मुख्यत: ग्रामीण समाज है। यहां घरेलू अर्थव्यवस्था से ही उत्पाद वृद्धि करके तीव्र आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। ऐसे में विकास का बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों पर ही केन्द्रित होना आवश्यक है। ग्रामीण पर्यटन से वहां के लोगों में उद्‌यमिता का विकास, व्यक्तिगत आय वृद्धि, क्रय शक्ति का सृजन, आर्थिक क्रिया कलापों में वृद्धि की जा सकती है।
- पर्यटन का 95 प्रतिशत व्यवसाय छोटे और मध्यम स्तर के उद्‌यम हैं अत: पर्यट्न विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्‌यमियों, कुटिर उद्‌योग और आर्थिक विविधताओं में विशेष रूप से सहायक है।
- ग्रामीण पर्यटन से गांव के लोगों का वहीं पर विकास संभव किया जाता है। पर्यटको का आगमन जब गांवों की और होता है तो उनकी आवभगत, उनके लिए सुविधाओं और सेवाओं का विकास स्थानीयजन द्‌वारा ही किया जाता है। ऐसे में ग्रामीण पर्यटन गांव के लोगों के शहरों की ओर पलायन को भी रोकता है।
- ग्रामीण पर्यटन से गांवों के लोगों की हस्तकलाओं, परम्परागत कलाओं, शिल्प और विविध अन्य संगीत-नृत्य कलाओं का संवर्द्धन और संरक्षण किया जा सकता है। पर्यटकों के सम्मुख कला प्रदर्शन के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण पर्यटन से गांवों के उत्पाद को सीधा बाजार मिलता है। इससे सामाजिक विकास के समुचित अवसर सृजित होते हैं।

- टिकाऊ विकास के लिए यह जरूरी है कि विकास में स्थानीय लोगों की अधिकाधिक भागीदारी हो। ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत प्रभावी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए सामाजिक विकास के बेहतरीन अवसर उपलब्ध होते हैं।

भारत में ग्रामीण पर्यटन की अत्यधिक संभावनाएं हैं। यहां की 74 प्रतिशत जनसंख्या यहां के 7 मिलियन गांवों में रहती है। ऐसे में ग्रामीण पर्यटन का समुचित रूप से विकास देश की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साथ ही यहां के लोगों के जीवनस्तर में वृद्धि का बड़ा कारक बन सकता है।

विश्व भर में औद्योगिकरण और विकास की परिणति के रूप में शहरीकरण का दबाव बढा है। शहरीकरण के कारण लोगों में तनाव की प्रकृति भी निरंतर बढ़ी है| बढ़ते शहरीकरण और तनाव ने ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ायी है। वैसे भी धरोहर एवं संस्कृति के प्रति बढ़ते आकर्षणपर्यावरणीय जागरूकता, शांत जीवन शैली के कारण ग्रामीण पर्यटन की नई शैली का समाज में विकास हुआ है। गावों में पर्यटक तनावरहित और स्वस्थ जीवन शैली का अनुभव ले सकता है। इस अवधारणा ने ग्रामीण पर्यटन की एक औपचारिक किस्म का आकार ले लिया है।

15.4 भारत सरकार- यूएनडीपी अंतर्जात ग्रामीण पर्यटन योजना:

पर्यटन मंत्रालय ने सन्युक्त राष्ट्र विकास परियोजना (यूएनडीपी) की भागीदारी से, भारत सरकार की ग्रामीण पर्यटन योजना के साथ जोड़कर वर्ष 2004-05 मे अंतर्जात पर्यटन परियोजना आरंभ की है। इस नयी योजना के तहत कम आय वाले ग्रामीण समुदायों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। योजना के तहत कम आय वाले समुदाय अपने समुदाय के द्वारा ही अपने हुनर का निर्माण कर उसे निखारने का कार्य करते हैं।

यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना के मूल उद्देश्यों में स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण करना, समुदाय पर्यटन उद्यम के स्थान-विशेष मोडल प्रारंभ करना, मजबूत समुदाय-निजी भागीदारी का निर्माण और नए एवं आशाजनक ग्रामीण पर्यटन की पहल को समर्थन देना सम्मिलित हैं।

ग्रामीण पर्यटन की इस योजना के तहत देश के राज्य के जिलों के उपयुक्त अथवा जिला कलेक्टर और गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय स्टेण्ड होल्डर समूहों की अध्यक्षता में संबंधित राज्य के परामर्श से स्थानीय कला एवं शिल्पकला कारीगरी अथवा प्राकृतिक आकर्षक वातावरण के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों का चिन्हिरण किया जाता है। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लिए योजना अंतर्गत देश के 20 राज्यों के 36 जिलों में आने वाले गांवों का चिन्हिकरण वहां पर्यटन विकास के लिए किया गया है। इन स्थानों में राजस्थान के अलवर जिले का नीमराना, जयपुर का सामोद और राजसमन्द जिले के हल्दीघाटी गांव सम्मिलित हैं।

15.5 राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन:

राजस्थान अपनी लोक संस्कृति, कलाओं और परम्पराओं के कारण विश्वभर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। लोककलाओं, संस्कृति की दृष्टि से प्रदेश के गांव अत्यधिक समृद्ध हैं। दरअसल, गांवों मे कला एंव संस्कृति के अकूत भण्डार हैं। अधिकांश कलाकार, शिल्पी गांव से ही

संबद्ध हैं। यही नहीं गांवों का रम्य जीवन वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, कुएं, तालाब और बावड़ियां सभी कुछ मोहक हैं। इस सबको देखते हुए यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।

'ग्रामीण पर्यटन' की संभावनाओं को देखते हुए ही राज्य में इस दिशा में पिछले कुछ समय से विशेष प्रयासों का क्रियान्वयन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के अंतर्गत ग्राम मेलों, विलेज सफारी आदि पर जहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है वहीं कुछ विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण पर्यटन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार से हैं-

15.5.1 आदर्श पर्यटन गांव योजना:

ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन के उद्देश्य से राजस्थान में प्रारंभ की गयी "आदर्श पर्यटन गांव योजना" का उद्देश्य यही है कि राज्य के गांवों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर वहां पर्यटकों के आवागमन को सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जा सके। योजनान्तर्गत राज्य के प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक आदर्श पर्यटन गांव का चयन करके वहां पर्यटन की सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करायी जाएं। चिर-परिचित पर्यटन स्थलों के अलावा नवीनतम पर्यटन स्थलों की सैर को इच्छुक पर्यटकों के साथ ही प्रकृति एवं वन्य जीव पारम्परिक कलाओं के पर्यटन में रूचि रखने वाले सैलानियों को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गयी योजना के तहत गांवों में उपलब्ध प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से पर्यटकों को रू-ब-रु कराया जाता है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से क्रियान्वयन की जा रही 'आदर्श पर्यटन गांव' योजना के अंतर्गत पर्यटकों की सहायता के लिए 'पर्यटन वादियों' का भी पृथक से गठन किया गया है। 'पर्यटक वादियां' दल से जुड़े लोग पर्यटकों को ग्रामीण पर्यटन के बारे में जानकारी ही नहीं देते बल्कि उनके लिए गांवों में गाईड एवं सहायक का भी कार्य करतें हैं।

'आदर्श पर्यटन गांव' योजना के प्रथम चरण में जयपुर के सामोद, उदयपुर के चावण्ड, चुरू के तालछापर, जोधपुर के छीजल एवं ओसियां, सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा, हनुमानगढ़ के कालीबंगा, जैसलमेर के खुड़ी, मोलेला आदि गांवों का चयन किया गया है। गांवों में मौजूद प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत से पर्यटकों को रू-ब-रू कराने के लिए वहां पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के साथ ही ग्रामीण समुदाय को पर्यटन क्षेत्र में अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले पर्यटन मेले, उत्सवों में भी इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि उनसे प्रदेशों के समृद्ध ग्रामीण पर्यटन की झलक सैलानियों को मिल सके। यही कारण है कि देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन मेलों के अंतर्गत एक दिन किसी गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की भी पहल हुई है।

15.5.2 विरासत संरक्षण योजना:

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत संरक्षण की इस योजना को जुलाई 2005 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत राज्य के 28 नगरपालिका क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। करीब 10 करोड़ की लागत की इस योजना को स्वायत्त शासन विभाग के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

'हेरिटेज कंजर्वेशन योजना' के अंतर्गत गांवों में ऐतिहासिक इमारतों, कुएं, बावड़ियों के जीर्णोदार की दिशा में कार्य कर पुरासम्पदा के संरक्षण को व्यवहार में अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

15.5.3 'हेरिटेज ऑन व्हील्स':

'पैलेस ऑन व्हील्स' राजस्थान में पर्यटन की ऐसी शानदार पहल रही है जिसके कारण राजस्थान की विश्व पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान बनी। शाही रेल से मशहूर 'पैलेस ऑन व्हील्स' को आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ रेलगाड़ियों में गिना जाता है। इसकी सफलता को देखते हुए राज्य में हाल ही में 'हेरिटेज ऑन व्हील्स' की नयी योजना प्रारंभ की गयी है। भारतीय रेलवे के सहयोग से वर्ष 2004 में प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य यही है कि देशी-विदेशी पर्यटकों को पर्यटन समृद्ध राजस्थान के गांवों से रू-ब-रू कराया जाए। उन्हें ग्रामीण सभ्यता एवं संस्कृति के साथ ही वहां के सुरमय परिवेश, सादगी भरे सहज जीवन को निकट से महसूस कराया जाए।

'हेरिटेज ऑन व्हील्स' रेलगाड़ी को मीटरगेज पर चलाया जाता है। ग्रामीण परिवेश लिए इस रेलगाड़ी के अंतर्गत पर्यटकों के खान-पान, रहने एवं रेलवे स्टेशन से गांव के अंदर तक पर्यटकों को ले जाने एव लाने की तमाम व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं।

15.5.4 अन्य योजनाएं:

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के अंतर्गत प्रदेश के पर्यटन पैकेजों में भी अब गांवों की सैर को सम्मिलित किया जाने लगा है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले उत्सवों में ग्रामीण हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन करने हेतु भी विशेष जोर दिया जाता है। वैसे भी पर्यटकों द्वारा गांवों में निर्मित हस्तशिल्प उत्पाद की सदैव मांग रहती है। इसे देखते हुए ही उदयपुर, पुष्कर, झुझुनू और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 'शिल्प ग्राम मेलों' का आयोजन भी विशेष रूप से किया जाता है।

राजस्थान में मोलेला की मिट्टी की मूर्तियों की देशभर में विशिष्ट स्थान हैं। मोलेला जैसे गांवों को पर्यटन मानचित्र पर लाने के साथ ही विभिन्न अन्य स्थानों पर 'शिल्पग्राम' मेलों का आयोजन ग्रामीण पर्यटन के विकास में खासा कारण रहा है।

पारिस्थितिकी पर्यटन के अंतर्गत भी राज्य के गांवों का चिन्हिकरण वहां पर पर्यटन की संभावनाओं के रूप में किया गया है। गांव के सहज जीवन, वहां की प्रकृति, वन्य जीव आदि में किसी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं करके उसे रूप में पर्यटकों को दिखाने तथा स्थानीय समुदाय को पर्यटन गतिविधियों में सम्मिलित कराकर उनकी आय वृद्धि के प्रयासों पर 'पारिस्थितिकी पर्यटन' विशेष रूप से जोर देता है।

राजस्थान में 'पारिस्थितिकी पर्यटन' के तहत गांवों में मौजूद प्राकृतिक विरासत से पर्यटकों को रू-ब-रू कराने के लिए कई स्तरों पर कार्य किया गया है। प्रदेश के 100 संभाव्य स्थलों को पारिस्थितिकी पर्यटन के तहत चिन्हित किया गया है। इन स्थानों में राजस्थान के गांव ही केन्द्र बिन्दु हैं। राज्य के वन विभाग एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयासों से पर्यटकों को ग्रामीण संस्कृति को नजदीक से देखने का अवसर 'इको टूरिज़्म' के अंतर्गत दिया जाता है। कुरजां पक्षी के लिए विख्यात खींचन, गुढा विश्नोईयां, माचिया सफारी पार्क, सम और राष्ट्रीय डेजर्ट पार्क, भंवात माता, जवाई बांध, सुंधा माता आदि क्षेत्रों का ग्रामीण पर्यटन वहां की पारिस्थितिकी के हिसाब से कराया जाता है।

इधर पिछले कुछ समय से राज्य सरकार फार्म हाऊस पर्यटन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आरक्षित दर पर फार्म हाऊस के लिए गांवों में भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही वहां अन्य सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण पर्यटन को इसमें भी बढ़ावा मिला है। शहरी आबादी के लोग विक एण्ड के लिए अब गांवों के स्वच्छ वातावरण में जाना पसंद करते हैं, इस दिशा में 'फार्म हाऊस' पर्यटन भी ग्रामीण पर्यटन विकास की और ही कदम है।

15.6 ग्रामीण पर्यटन विकास की संभावनाएं:

राजस्थान में आने वाले विदेशी सैलानियों की रूचियों पर अगर गौर किया जाए तो इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यहां का ग्रामीण जन जीवन उनको विशेष रूप से आकर्षित करता है। रेत के धोरे, कतार से बने झोंपड़े और उनमें रहने वाले लोगों के पहनावे के साथ ही लोक परम्पराओं का आकर्षण सुदूर देश के देशाटन करने वाले यायावरों को यहां स्वत: ही अपनी ओर खींच लाता है। इधर वैसे भी अब अधिक प्रचलित स्थानों पर रहने वाली भीड़ और वहां फैलने वाले प्रदूषण से पर्यटकों का मोह भंग होता जा रहा है। पर्यटन वाला अब सुकून की तलाश में घर से निकलता है और यह सुकून उसे मिल सकता है तो यहां के गाँवों में ही। वैसे भारत को गाँवों का देश कहा गया है। गॉवों के देश भारत के ग्राम्य जीवन की वास्तविक तस्वीर को अगर पर्यटन पर उभारा जाए तो निश्चित ही इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते है।

पर्यटन विकास के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना, इस रूप में भी अधिक जरूरी है कि इसी से पर्यटन उद्योग के विकास को एक नयी दिशा दी जा सकती है। पर्यटन संभावनाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा तैयार करवा कर क्रियान्वयन उन्हीं के स्तर पर किया जाए तो इसके सुखद परिणाम पर्यटन उद्योग के तीव्र विकास के रूप में सामने आ सकते हैं। एक ओर इससे गाँवों में छुपी बेमिसाल पर्यटन संभावनाओं का समुचित दोहन किया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को उच्च किए जाने की दिशा में भी इससे सार्थक कदम उठाए जा सकते हैं।

वैसे भी दसवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के 5 करोड़ अवसर पैदा करने के लिए कृषि, सिंचाई, लघु और मध्यम उद्योगों, संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रसार आदि के साथ ही पर्यटन को महत्व देने की बात राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा कही गयी है। ऐसे में अगर ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत ग्रामीण पर्यटन विकास की दिशा में राज्य स्तर पर विशेष कार्ययोजना बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाए तो न केवल यहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकेगा बल्कि ग्रामीण

रोजगार अवसरों में भी बढ़ोतरी की जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले पारम्परिक मेलों, वहां के तीज त्यौहारों, पारम्परिक हस्तकलाओं आदि के प्रति पर्यटकों का रूझान विशेष रूप से रहता है। इन मेलों के आयोजन स्थलों वाले गाँवो में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही ऐसे गाँवों को पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं से अगर जोड़ दिया जाए तो राज्य में पर्यटकों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो सकती है।

इधर पर्यटन के नित नए स्वरूप उभरकर सामने आ रहे हैं और पर्यटकों का रुझान भी पर्यटन के नवीनतम स्वरूपों पर अधिक है, ऐसे में ग्रामीण पर्यटन विकास की दिशा में राज्य में बेहतरीन पहल को अमलीजामा पहनाये जाने की जरूरत भी है। निरंतर अकाल की मार से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कुटीर उद्योगों को भी इससे खासा संरक्षण मिलेगा, चूंकि बाहर से आने वाले पर्यटकों की रूचि स्थानीय हाथ से बनने वाली पारम्परिक वस्तुओं के क्रय करने में विशेष रूप से रहती है। इससे ग्रामीण दस्तकारों को अपने स्थान पर ही अपनी वस्तुओं का बाजार और उसके उपभोक्ता भी इससे स्वत: ही मिल सकेंगे।

इस संबंध में आवश्यकता इसी बात की है कि पर्यटन संभावनाओं वाले गाँवों को चिन्हित कर उनके विकास की एक दीर्घकालीन योजना को प्रभावी रूप में क्रियान्वित किया जाए। इस योजना के तहत न केवल पर्यटन संभावनाओं वाले ऐसे गॉवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाए बल्कि वहां पारम्परिक हस्तकलाओं, दस्तकारी आदि के बाजार भी विकसित किए जाने की दिशा में पहल हो। पर्यावरण संरक्षण को क्षति पहुंचने वाली संभावित गतिविधियों से भी गाँवो को दूर रखने की दिशा में पहले से ही विचार कर अगर इस दिशा में कदम उठाए जाते हैं तो निकट भविष्य में इसके सुखद परिणाम राज्य के पर्यटन उद्योग के विकास के रूप में स्वत: ही सामने होंगें।

सुप्रसिद्ध लेखक ह्यूज़ एवं कौलिन गैन्तज़र ने तुर्की व तस्मानिया के अपने पर्यटन अनुभवों के एक लेख में बताया है कि वहां का पर्यटन उद्योग इतना सुसंगठित है कि पर्यटकों द्वारा खर्च किया जाने वाला पैसा वहां सीधे नीचले स्तर तक पहुंच जाता है। वहां के दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति यही है। नतीजा यह हुआ है कि वहां के लोगों के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आया है, लेकिन वे अपनी विरासत को अब भी बचाए हुए हैं।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विदेश के गाँवों में अगर तंदूर का प्रयोग ही बदलाव ला सकता है तो भारत के गाँवों में तो वहां की आत्मा बसती है। ऐसे में अगर गाँवों में पर्यटन विकास के प्रयास किए जाएं तो निश्चित ही यहां का पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ ही राज्यों के संतुलित विकास को प्रभावी रूप में गति दे सकता है। राजस्थान की लोक संस्कृति, जन जीवन, प्राकृतिक परिवेश आदि की अनुकूलताएं यहां के ग्रामीण पर्यटन विकास को नई दिशाएं दे सकती है, अगर सुनियोजित रूप में इस दिशा में प्रयास किए जाएं।

कुछ वर्ष पूर्व राज्य के बीकानेर जिले में समीप के कतरियासर गाँव को पर्यटन गाँव के रूप में विकसित करने की पहल की गयी थी। इसके तहत राज्य के पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा बीकानेर मे आयोजित किये जाने वाले अंतरराष्ट्रीय कमल फेस्टीवल का एक दिन कतरियार गाँव के लिए रखा गया। इस गॉव की यह खास बात है कि यहां के धोरे जहां आकर्षण लिए है वहीं यहां रहने वाले सिद्ध समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला अग्नि नृत्य पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। अंगारों पर किये जाने यहां के निवासियो के लोक नृत्य के

साथ ही रेत के धोरों के आकर्षण की पहचान की परिणति ही रही कि अब कतरियासर की प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर पहचान बन गयी है। इस गाँव के कारण ही कैमल फेस्टीवल मे बाहर से आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी पहले से कई गुना बढ़ी। इसी प्रकार अलग-अलग आकर्षण रखने वाले राज्य के ऐसे गाँवों की राज्य स्तर पर पहचान कर वहां पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाए तो न केवल वहां के निवासियों को वहां आने वाले पर्यटकों की पर्यटन क्रियाओं से रोजगार मिलेगा बल्कि प्रदेश को भी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सकेगी।

पंचायती राज संस्थाओं कें अंतर्गत स्थानीय ग्राम पंचायतों, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों आदि की भूमिका इसमें विशेष रूप से हो सकती है, चूंकि इन सभी का उद्धेश्य ग्रामीण विकास को गति देना ही होता है। यदि ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत योजनाबद्ध तरीके से इस दिशा में काम किया जाए तो इसमें दो राय नहीं कि हम भी अपने यहां मौजूद ग्रामीण पर्यटन संभावनाओं के वैविध्य से लाभ उठाकर इस क्षेत्र मे अच्छा कार्य कर सकते हैं। एक बार अगर ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत पर्यटन ग्रामों का विकास कर दिया जाता है तो बाद में तो वहां आने वाले पर्यटकों द्वारा किए जाने वाले खर्च से वहां का और अधिक विकास किया जाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। पर्यटन गाँवों के समुचित प्रचार-प्रसार के साथ ही वहां की पर्यटन संभावनाओं का प्रभावी विपणन सुनियोजित नीति के तहत पर्यटन विभाग द्वारा किया जाए तो राजस्थान में वर्तमान में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या को दुगुनी-तिगुनी तक पहुंचाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में कम उपलब्धि नहीं होगी। राज्य में इससे आर्थिक विकास को भी सीधे रूप में बढ़ावा मिलेगा।

ऐसे दौर मे जब राज्यों की वित्तीय स्थिति में निरंतर गिरावट आती जा रही है, यह जरूरी भी है कि अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि के लिए सभी राज्य प्रयास करें। राजस्थान में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाकर इस दिशा में सार्थक पहल की जा सकती है, ग्रामीण पर्यटन विकास इसके लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

15.7 सारांश:

भारत को गांवो का देश कहा जाता है। देश की अधिकांश जनसंख्या गावों में ही निवास करती है। ऐसे में यह जरूरी है कि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता में रखते हुए देश की रीति-नीतियों का निर्माण किया जाए। इसी से टिकाऊ विकास को व्यवहार में परिणत किया जा सकता है।

पर्यटन उद्योग के संबंध मे यह सुखद है कि पिछले कुछ वर्षो से पर्यटन के उभरते आयामों में ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा बलवती होती जा रही है। ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा इस पर आधारित है कि गांव के सहज जीवन, वहां की सादगी, कतार से बने झोपडों और प्रकृति की सुरम्यता से पर्यटकों को रू-ब-रू कराकर उन्हें वहां आने के लिए प्रेरित किया जाए। राजस्थान की तो आत्मा ही यहां के गावों में बसती है। यहां की उत्सवधर्मिता जीवन को नजदीक से महसूस गांवो मे जाकर ही किया जा सकता है। गांवों में ही बेशकीमती हस्तकलाओं, लोक कलाओं आदि का निर्माण होता है। लोक संगीत, लोक नृत्यों की अथाह विरासत को अपने में समेटे राजस्थान के गांवों के विकास, वहां की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ग्रामीण पर्यटन विशेष रूप से कारगर

है। ग्रामीण पर्यटन से ही सामाजिक विकास को व्यवहार में परिणत जा सकता है। लोगों के जीवन स्तर को उच्च करने, उन्हें रोजगार प्रदान करने की दिशा में भी ग्रामीण की महत्ती भूमिका है।

इधर ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विशेष योजनाओं का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार एवं यूएनडीपी अन्तर्जातीय पर्यटन परियोजना के साथ ही राजस्थान में भी आदर्श पर्यटन ग्राम योजना, विरासत संरक्षण, हेरिटेज ऑन व्हील्स के साथ ही पर्यटन की महत्ती योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह सही है कि ग्रामीण पर्यटन की दिशा में राज्य सरकार द्वारा महत्ती भूमिका निभायी जा रही है परन्तु इतना ही सच यह भी है कि अभी भी ग्रामीण के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए वातावरण निर्माण के साथ ही पर्यटन पैकेज विकसित किए जाएं तो इसके बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। ग्रामीण पर्यटन विकास को अर्थव्यवस्था का सशक्त माध्यम बनाने की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। इस इकाई में आपको ग्रामीण पर्यटन के जरिए टिकाऊ विकास के बारे में ही बताने का प्रयास किया गया है ताकि आप भी ग्रामीण पर्यटन में सहभागी बन सकें।

बोध प्रश्न:

1. “टिकाऊ विकास के लिए ग्रामीण पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए|” आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं। अपने पक्ष या विपक्ष मे तर्क दीजिए।

   ....

   ....

2. ग्रामीण पर्यटन और सामाजिक विकास पर लेख लिखिए।

   ....

   ....

3. ‘भारत सरकार एवं यूएनडीपी ग्रामीण विकास परियोजना’ पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

   ....

   ....

4. राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन की विभिन्न योजनाओं के बारे में संक्षेप में प्रकाश डालिए

   ....

   ....

5. राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन विकास की संभावनाओं पर आलोचनात्मक टिप्पणी दीजिए।

   ....

   ....

इकाई - 16 : धार्मिक पर्यटन

रूपरेखा:

16.0 उद्देश्य
16.1 प्रस्तावना
16.2 धार्मिक पर्यटन से आशय
16.3 धार्मिक पर्यटन की परम्परा
16.4 राजस्थान के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल
- 16.4.1 तीर्थराज पुष्कर
- 16.4.2 ख्वाजा मोईनुदीन चिश्ती की दरगाह
- 16.4.3 देशनोक का करणीमाता मंदिर
- 16.4.4 कोलायत
- 16.4.5 त्रिपुर सुंदरी मंदिर
- 16.4.6 नाथद्वारा
- 16.4.7 रणकपुर के देवालय
- 16.4.8 एकलिंग जी
- 16.4.9 ऋषभदेवजी
- 16.4.10 नाकोड़ा
- 16.4.11 अर्थुना
- 16.4.12 गोविन्ददेवजी
- 16.4.13 गलता जी
- 16.4.14 बिजोलिया एवं मेनाल
- 16.4.15 कैलादेवी
- 16.4.16 खादू-श्यामजी
- 16.4.17 श्री सांवलिया जी का मंदिर
- 16.4.18 झालरापाटन
- 16.4.19 ओसियां
- 16.4.20 दिलवाड़ा के जैन मंदिर
- 16.4.21 श्री महावीरजी
- 16.4.22 शिवाड़

16.5 धार्मिक पर्यटन विकास
- 16.5.1 धार्मिक पर्यटन सर्किट
- 16.5.2 अपना धाम, अपना काम योजना
- 16.5.3 धार्मिक मेलों का आयोजन

16.6 विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां
16.7 सारांश

16.0 उद्देश्य:

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

- धार्मिक पर्यटन की अवधारणा से अवगत हो सकेंगे।
- धार्मिक पर्यटन की प्राचीनकाल से चली आ रही देश की परम्परा को जान सकेंगे।
- राजस्थान के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों से अवगत हो सकेंगे।
- धार्मिक पर्यटन विकास मे राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को जान सकेंगे।
- धार्मिक पर्यटन विकास की संभावनाओं एवं भविष्य की चुनौतियों को समझ सकेंगें।

16.1 प्रस्तावना:

देश की प्रमुख आर्थिक शोध संस्था 'नेशनल कांउसिल ऑफ एप्लायड इकोनोमिक रिसर्च' के हाल ही कराए गए सर्वेक्षण में यह तथ्य विशेष रूप से उभरकर सामने आया है कि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक देश में सबसे अधिक यात्रा धार्मिक या सामाजिक उद्धेश्यों से करते हैं, न कि केवल मौज मस्ती और तफरी के लिए। वैसे भी भारत में धार्मिक स्थल किसी एक धर्म या सम्प्रदाय तक सीमित नहीं है। अनेक जातियाँ, भाषाओं और धर्मो के रहते हमारे देश को भारतवर्ष कहकर पुकारा भी शायद इसी वजह से जाता है कि यहां पर चक्रवर्ती सम्राट भरत ने एक पताका के नीचे विविध धर्मो, विविध जातियों, विविध संस्कृति के लोगों को एकत्र किया और एक सूत्र में बांधा परन्तु उन्हें इतनी स्वतन्त्रता भी दी कि वे अपने अपने धर्म और संस्कृति की भिन्न-भिन्न धाराओं को शक्तिशाली बनाते रहें और इस तरह देश की महान जीवनधारा के साथ अपनी इन धाराओं को मिलाकर देशव्यापी संस्कृति का निर्माण करते रहें।

अनेकता में एकता की संस्कृतिवाले हमारे देश के धार्मिक स्थल आस्था के पावन धाम ही नहीं है बल्कि स्थापत्य एवं वास्तुकला के भी अनुपम उदाहरण हैं। इधर पर्यटन के जो विविध स्वरूप उभरकर सामने आए हैं उनमें धार्मिक पर्यटन का भी विशिष्ट स्थान है। धार्मिक स्थानों की सैर आदिकाल से ही हमारी परम्परा का हिस्सा रहा है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि तीर्थाटन से ही देश में देशाटन की परम्परा का विकास हुआ। राजस्थान के संदर्भ में तो यह विशेष रूप से कहा जा सकता है कि धर्म एवं अध्यात्म के कारण आरंभ से ही यहां दूर-दराज से श्रद्धालु आने को उत्सुक रहे हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षिकपिल की तपोभूमि कोलायत, अजमेर में ख्वाजासाहब की दरगाह, पुष्कर स्थित देश का एक मात्र ब्रहमा का मंदिर, मीरा के कृष्ण के प्रति अद्भूत प्रेम की भूमि के रूप में विख्यात राजस्थान धार्मिक पर्यटन का आकर्षक केन्द्र आरंभ से ही रहा है। धार्मिक पर्यटन की देश में रही परम्परा, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन विकास की सरकार की रणनीति आदि पर ही केन्द्रित है यह इकाई। आईए, जानें धर्म के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन के स्वरूप को-

16.2 धार्मिक पर्यटन से आशय:

धार्मिक आस्था आरंभ से ही पर्यटन का कारण रही है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि तीर्थाटन से ही देशाटन की परम्परा का निरंतर विकास हुआ है। तीर्थ का अर्थ है पवित्र करने वाला। सामान्यत: उस नदी, सरोवर, मन्दिर अथवा भूमि को भी तीर्थ कहते हैं जहां ऐसी दिव्य शक्ति हो जिसके संपर्क में आने पर मनुष्य के पाप अज्ञात रूप से नष्ट हो जाते हैं। संक्षेप में

धर्म, अर्थ तथा काम की सिद्धी को ही तीर्थ कहा जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार संसार एक विशाल भवसागर है जिसको पार करने के लिए तीर्थ एक साधन है। भले ही आधुनिक समय में तीर्थ का अर्थ देवस्थानों, पवित्र सरोवरों में स्नान तक ही सीमित हो गया हो लेकिन हिन्दू धर्म में तीर्थ को व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है।

विश्व का शायद ही कोई ऐसा धर्म हो जिसमें तीर्थ यात्रा का प्रचलन व महत्व न हो। हिन्दू धर्म में मुख्यत: धार्मिक यात्रा का उद्देश्य मोक्ष की भावना है। मुसलमानों में हज करना अल्लाह के प्रति उनका एक धार्मिक कृत्य है तो इसाईयों में पापों का प्रायशचित्त करना और सिखों में पवित्र स्थलों में अमृत छकने हेतु यात्राएं की जाती है। उपनिषदों में तो कहा भी गया है- "चरेवैती चरेवैती" अर्थात् चलते रहो, चलते रहो। गौतम ने भी कहा- "चरथ भिक्खवे, चरथ" अर्थात् भिक्षुओं चलते रहो, चलते रहो। इसी प्रकार अन्य धर्मो में भी धर्म स्थलों पर जाने के लिए प्रेरणा वाक्य दिए जाते रहे हैं। ऐसा संभवत: कोई भी धर्म नहीं है जिसमे तीर्थ यात्रा अर्थात् धार्मिक पर्यटन का प्रचलन नहीं हो। यह बात भिन्न है कि सभी धर्मो में यात्राओं का कारण अलग-अलग है परन्तु सभी के मूल में पाप से मुक्ति, ईश्वर को प्रसन्न करना, इच्छा या फल की प्राप्ति ही है। तीर्थाटन से देशाटन को व्यवहार में देखना तो हिन्दू धर्म अपने आप में मिसाल भी है। आदि गुरू शंकराचार्य ने देश के चार अलग-अलग कोनों में मठों की स्थापना कर उन स्थानों की यात्रा करने को आवश्यक बनाने का कार्य करने के साथ धर्म को एकता और सुरक्षा के साथ जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य किया।

आम जन को अपने घर से कुछ समय के लिए बाहर निकाल कर यात्रा करने के लिए प्रेरित करने की दिशा में कार्य करने के साथ ही परस्पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान की नींव भी आदि गुरू शंकराचार्य ने ही रखी। कालान्तर में तीर्थयात्राओं ने ही पर्यटन की नवीन सोच का विस्तार किया। यहाँ गौरतलब बात यह भी है कि प्राचीन तीर्थ यात्राओं के नियोजन में आर्थिक एवं सांस्कृतिक लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ नियोजन की ऐसी प्रणाली भी अपनायी गयी थी जिससे कि पर्यावरण तथा सांस्कृतिक क्षति किसी भी स्तर पर नहीं हो। गंगा में केवल डूबकी लगाकर नहाना और साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, मार्ग में पेड़ पौधों, पशु-पक्षियों को हानि न पहुंचाना, तीर्थ स्थल के अनुसार ही खान-पान और रहन-सहन, मन, कर्म और वचन पर नियंत्रण आदि अनेक ऐसे नियम धार्मिक यात्राओं के आदिकाल से चले आ रहे हैं जिनसे स्पष्ट ही पता चलता है कि समाज को धार्मिक यात्रा से अधिक से अधिक लाभ और कम से कम हानि हो। यही नहीं धर्म स्थलों की स्थापना भी ऐसे स्थानों पर की गयी है जहां प्राकृतिक विशिष्टता तो हो परन्तु कैसी भी भौगोलिक परिस्थिति में वे क्षतिग्रस्त न हो सकें।

यद्यपि तीर्थाटन से ही पर्यटन का विकास हुआ परन्तु इधर पर्यटन के नित नए उभरते जा रहे स्वरूपों में धार्मिक पर्यटन परिष्कृत रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने लगा है। धर्म, अध्यात्म के कारण ही पर्यटकों की बड़ी तादाद किसी स्थान विशेष के प्रति आकर्षित हो वहां पहुंचती है। पर्यटकों की बड़ी तादाद का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक स्थलों पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने पहुंचना ही होता है परन्तु इसके साथ ही आस-पास के स्थानों की सैर भी इस बहाने हो जाती है। देश में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा धार्मिक पर्यटन के बढ़ते स्वरूप के मददेनजर ही धार्मिक पर्यटन सर्किटों का विकास भी विशेष रूप से किया जाने लगा है।

16.3 धार्मिक पर्यटन की परम्परा:

तीर्थाटन से ही आधुनिक पर्यटन का उद्गम हुआ इस बात की पुष्टि आदि गुरू शंकराचार्य द्वारा देश के चार अलग-अलग कोनों में चार धामों की स्थापना से भी स्वत: ही होती है। यही नहीं जैन, बौद्ध और ईस्लाम धर्म के भी स्थल कुछ इसी सोच से कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। ये तीर्थ आस्था के पावन स्थल तो हैं ही साथ ही स्थापत्य कला की दृष्टि से भी विश्वभर में अपनी अलग पहचान लिए हैं। सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि प्राचीन हिन्दू मंदिरो के साथ ही अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, तमिलनाडू का मीनाक्षी सुरेश्वर मंदिर, बोधगया का महाबोधि मंदिर, सांची के स्तूप, गोवा का से-कैथड्रलय और बैसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोर्णाक का सूर्य मंदिर, मध्यप्रदेश के खजूराहो मंदिर, गुजरात में शत्रुजंय पहाड़ी के जैन मंदिर, राजस्थान के आबू पर्वत के दिलवाड़ा के मंदिर, देशनोक का करणीमाता मंदिर आदि कितने ही ऐसे देश के आध्यात्मिक स्थल हैं जिनसे देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं तो जुड़ी हुई ही हैं साथ ही विश्व भर से यहां लोग शांति और सुकून की तलाश में आते हैं।

उदयगिरी और खंड गिरी, अंजता, एलोरा, एलिफेंटा आदि की गुफाएं भारतीय कला के भी महान तीर्थ हैं। धार्मिक पर्यटन की परम्परा देश में प्राचीनकाल से ही चली आ रही है, इस बात की पुष्टि इसी से होती है कि भारत में नदियों के उद्गम स्थलों और संगमों को भी तीर्थ मानते हुए उनमें देवत्व आरोपित किए गए हैं। गंगा की गौमुख से लेकर गंगासागर तक की यात्रा में तीर्थ ही तीर्थ फैले हुए हैं। यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय जीवन को समझना हो तो यहां के तीर्थो की यात्रा नितान्त आवश्यक है। कहा जा सकता है कि भू सन्निवेश के पहले प्रतीक ये तीर्थ स्थल ही थे। वे ही संस्कृति के बाद मे वितरण केन्द्र हुए। ऐसे में यह कथन कम महत्वपूर्ण नहीं है कि तीर्थ स्थलों की परम्पराओं, वहां के जीवन से ही भारत को सही मायने में समझा जा सकता है। शायद इस बात को विश्व के बहुत से देशों में रहने वाले लोगों द्वारा समझा भी जा रहा है। यही कारण है कि भारतीय धार्मिक स्थलों पर पर्यटन का रूझान विश्व में तेजी से बढ़ा है।

चरैवेति। चलते रहो। मनुष्य जाति के लिए तीर्थाटन का मूल मंत्र यही रहा है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि निर्भय होकर विचरण करो और अपनी राह खुद बनाओ। इस्लाम में भी हजयात्रा को श्रेयस्कर माना गया है। ईसाइयत में भी तीर्थाटनों का विधान रहा है। बाईबिल के अनुसार तीर्थाटन से हिंसक व्यवहार के द्वारा किए पापकर्मो के कलंक धुल जाते हैं, यह विश्वास ईसाइयों को तब से रहा है जब अपने भाई रूबल की हत्या का कलंक मिटाने को केन प्रभू महोवा के ईश्वरीय आदेश से तीर्थाटन पर निकला था। हिन्दू धर्मशास्त्रों में तीर्थो की कष्टकर यात्राएं करके तीर्थजल में डूबकी लगाकर सारे पाप धोने की बातों के प्रति प्रबल विश्वास है। इसी प्रकार यहुदियों के अराध्य यहोवा ने लंबे भ्रमण को ध्रुवतारे की तरह निर्देशित किया है। शुरूआती यहूदी पैगम्बर आइजाइया, जेरेशिया, स्मोस तथा होसी सभी घुमंतु फकीर थे। तीर्थाटन की इस परम्परा में कहा यहां तक जाता है कि जो निरंतर भ्रमण करते रहे, उनकी सभ्यताएं भी आगे बढ़ी।

धार्मिक प्रसंगों, आस्था के इतिहास के इन कारणों से मनुष्य में तीर्थस्थलों के प्रति आरंभ से ही आकर्षण रहा है। तीर्थाटन की यह परम्परा ही बाद में पर्यटन में परिवर्तित होती चली गयी।

किसी स्थान का धार्मिक इतिहास वहां जाने के लिए प्रेरणा का कारण बनता है। उदाहरणार्थ भगवान राम की जन्मभूमि के कारण अयोध्या पावन तीर्थ के रूप में धार्मिक आस्था का केन्द्र बन गया तो मथुरा-वृंदावन कृष्ण के कारण तीर्थ के रूप में विख्यात हो गए। ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, बोधगया का महाबोधि मंदिर आदि अपने धार्मिक इतिहास के कारण तीर्थस्थल बन गए। पांच हजार वर्षो से अधिक पुरानी भारतीय संस्कृति की मूल धारा अध्यात्म पर ही आधारित है। शांति और सुकून की तलाश, तीर्थ से पुण्य कमाने की चाह से धार्मिक आस्था स्थलों पर पर्यटन की परम्परा आज भी कायम है।

वैसे भी तीर्थाटन से आधुनिक पर्यटन का जन्म माना जाता है। महाभारत, गीता, बाईबिल, कुरान आदि धर्मग्रंथों के पौराणिक प्रसंगों से जुड़े स्थलों को तीर्थ मानते हुए वहां जाने की सोच ने यात्राओं के प्रति आकर्षण पैदा किया। यह आकर्षण उन स्थानों की पवित्रता को अनुभूत करने के साथ ही वहां धार्मिक इतिहास के प्रति कौतुहल, स्थान विशेष के शांतिमय वातावरण, प्रकृति की सुरम्यता, पावनता के कारण बढ़ता गया। इसी कारण यात्रियों द्वारा स्थान विशेष के इतिहास, वहां के अवशेषों के आधार पर उन स्थानों पर मंदिर, मठ, गुरूद्वारों, मष्जिद, चर्च के भव्य रूप विकसित कर दिए गए। कालांतर में वहां भ्रमण की और सुविधाएं, सेवाएं विकसित हुई फलत: ही वे स्थान धार्मिक आस्था के अलावा अन्य लोगों के लिए भी आकर्षण के केन्द्र बनते चले गए। यह आकर्षण मंदिर, मठ, गुफाएं, मस्जिद, चर्च आदि के स्थापत्य सौन्दर्य, वास्तुकला के कारण भी हुआ।

पांच हजार से भी अधिक पुरानी भारतीय संस्कृति की मूल धारा वस्तुत: आध्यात्म पर ही केन्द्रित है। विश्व के अनेक देशों ने भारतीय प्राचीन संस्कृति और धर्म में विश्वास जताते हुए यहां के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। बहुत से देशों में तो राम कृष्ण के मंदिर तक निरंतर स्थापित हो रहे हैं। शांति और सुकून की तलाश में भी विश्व भर से लोग भारत ही आना अधिक पसंद करते हैं, ऐसे में अगर धार्मिक स्थलों के विकास, उनके संरक्षण और आस-पास के वातावरण पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित ही अभी आने वाले पर्यटकों की संख्या को तीगुनी-चौगूनी तक किया जा सकता है। विश्व पर्यटन रूझान के आंकड़े भी यही कहते हैं और तो और पर्यटन के इस स्वरूप में ही सर्वाधिक रोजगार जनन की क्षमता है।

16.4 राजस्थान के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल:

राजस्थान का जनजीवन धार्मिक आस्थाओं एवं मान्यताओं के ताने-बाने से गूंथा हुआ है। सनातन संस्कृति की वह धारा भी राजस्थान में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है जिसमे रामायण-महाभारत के पात्रों, तीर्थ यात्रा, मोक्ष, गया, श्राद्ध, दान-धर्म आदि के प्रति श्रद्धा है तो गणगौर, तीज, रामदेवजी, गोगाजी, तेजाजी आदि स्थानीय लोक देवताओं के प्रति गहन आस्था का भाव भी यंत्र-तंत्र-सर्वत्र है। यही नहीं सर्वधर्म सद्भाव के प्रतीक पावन तीर्थ भी राजस्थान की अनमोल धरोहर है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुददीन चिश्ती की दरगाह हो या फिर लोक देवता रामदेवजी का मेला, यहां सभी धर्म के लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं। मस्जिद, मठ, गुरूद्वारा, चर्च आदि सर्व धर्म सद्भाव से राजस्थान आस्तिकता की अन्तर्धारा से निरंतर सिंचित होता है। धार्मिक आस्था के राजस्थान के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल इस प्रकार से हैं -

16.4.1 तीर्थराज पुष्कर:

अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पुष्कर राजस्थान का वह पावन धाम है जहां भगवान ब्रह्मा का, देश का एक मात्र मंदिर है। कहा जाता है कि पाण्डवों ने अपने निर्वासित काल का कुछ समय यहां बिताया था। सौ से अधिक मंदिरों वाले इस पवित्र स्थल पर कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेला भरता है। तब देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रदालु यहां के पावन सरोवर में डूबकी लगाने आते हैं। विदेशी सैलानियों का तो पुष्कर में प्रतिदिन ही ताता लगा रहता है। कहते हैं, तीर्थराज पुष्कर में स्नान किये बिना तीर्थयात्रियों की धार्मिक यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती और इसलिए बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम् और द्वारिका की तीर्थयात्रा के बाद ही भक्तजन पुष्कर आते हैं। वैसे भी देश में वाराणासी-काशी को 'तीर्थो का गुरू' और पुष्कर को तीर्थराज कहा गया है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर अवतरित पुष्कर की उत्पत्ति और उसके महत्व के बारे में पद्मपुराण में भी वर्णन किया गया है। पद्मपुराण के अनुसार ब्रहमाजी को जब भू-लोक पर यज्ञ करने की इच्छा हुई तो उन्होनें उपयुक्त स्थान के लिए स्वर्गलोक से पुष्प गिराया। यह पुष्प तीन स्थानों पर गिरा जहाँ पानी निकल आया। तीन स्थान ही बाद में पुष्कर के तीन जलाशयों के नाम से पावन सरोवर हो गए। इनका संबंध भी भारतीय इतिहास से है। ब्रहमा का अनूठा मंदिर पुष्कर में ही है। सुरम्य वातावरण से समृद्ध पुष्कर आध्यात्मिक स्थली के रूप में देश का प्राचीनतम श्रद्धास्थल है तो कई संस्कृतियों का केन्द्र अजमेर भी कम महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। यहां तीर्थाटन के रूप में पर्यटन बरसों से होता रहा है।

16.4.2 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह:

अकबर द्वारा निर्मित ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर का ऐसा धार्मिक स्थल है जहां हर धर्म, मजहब के लोग दूर-दराज से चादर चढ़ाने आते हैं। दरगाह वास्तुकला का भी भव्यतम उदाहरण है। दरगाह मे संगमरमर से शाहजहां द्वारा निर्मित करवायी सुंदर मस्जिद, यहां पड़ी दो बड़ी देगें उर्स के समय उपयोग में लायी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार ख्वाजा साहब सूफी सम्प्रदाय के प्रचारार्थ ईरान से भारत आए और उन्होनें अजमेर में निवास किया। रजब के दिनों में उनकी पावन स्मृति को स्थायित्व देने और उनके द्वारा किए सत्कायों के पालनार्थ उनका उर्स मनाया जाता है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि पुत्र प्राप्ति पर सम्बत् 1570 में अकबर आगरा से पैदल चलकर अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत के लिए आए थे और उन्हें इस यात्रा में 15 दिन लगे। ख्वाजा संसार को मंगलमय देखना चाहते थे और इसी आकर्षण से जायरीन वर्षो से अजमेर आते रहते है। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह में चार बड़ी मस्जिदें हैं, उर्स के समय दरगाह में कव्वालियों के कार्यक्रम रखे जाते हैं। दरगाह के भीतर ही महफिलखाना है जिसके चारों और साठ-साठ फुट लम्बी और अठारह फुट चौड़ी गैलरी है। जब यह दरगाह बनी थी तब से आज तक हर वर्ष छः दिनों तक इसका एक सामूहिक समारोह के लिए उपयोग होता है।

16.4.3 देशनोक की करणीमाता:

बीकानेर-जोधपुर रोड पर 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव देशनोक में करणीमाता का भव्य मंदिर बना हुआ है। चूहों की देवी से विख्यात करणीमाता के मंदिर में असंख्य चूहे बेखौफ विचरण करते हैं, श्रद्धालु इन्हें पवित्र मानकर भोग लगाते हैं। सफेद संगमरमर से निर्मित

करणीमाता का मंदिर वास्तुकला का भी अप्रतिम उदाहरण है। यहां देश-विदेश से पर्यटक निरंतर आते है।

कहा जाता है कि देशनोक की नींव भी करणी माता द्वारा डाली गई। चारण व बीकानेर के शासक उनके सिद्धान्तों की पालना करते है। यह मंदिर लोगों के लिए प्रात: 4 बजे खुल जाता है। करणी माता के बारे में प्रचलित कथा के अनुसार उनका जन्म 1387 में अपनी माता के गर्भ से 21 वें महीने में हुआ था। करनी बाई जन्म से ही चमत्कार करने लगी थी व अपनी देवी शक्तियों से लोगों की मदद किया करती थी। किदवंती अनुसार एक अंधे बढ़ई से उन्होनें अपनी काष्ठ की मूर्ति बनवायी थी व चमत्कार पूर्वक उस बढ़ई की आखें ठीक हो गई व वह स्वयं देशनोक पहुंच गया। यहां मंदिर में अगर कोई व्यक्ति चूहे को कुचलकर मार डालता है तो उसे प्रायश्चित के रूप में चाँदी का चूहा मंदिर में भेंट करना पड़ता है।

यहाँ साल में दो बार करणी माता का मेला मनाया जाता है। पहला बड़ा मेला नवरात्रों के दौरान चैत्र शुक्ला एकम से चैत्र शुक्ला दशमी को लगता है। दूसरा मेला अश्विनी शुक्ला एकम से शुक्ला दशमी तक लगता है। मेले में देश-विदेश से लाखों की संख्या में भक्त जन देशनोक आते हैं और मनौती पूरी होने की कामना देवी से करते हैं।

16.4.4 कोलायत:

सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल की तपोभूमि कोलायत बीकानेर-जैसलमेर रोड पर 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यों तो यहां बारहमास ही तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है परंतु कार्तिक माह में पूजा-स्नान का यहां विशेष महत्व है। कहते हैं महर्षि कपिल ने अपनी मां देवहूति को इसी स्थान पर सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। ब्रह्मा के पौत्र एवं कर्दम ऋषि के पुत्र महर्षि कपिल ने मां देवहूति के स्नान के लिए कोलयात में ही गंगा का आहवान किया था और वहीं गंगा को बुलाया था, कालान्तर में वह गंगा कपिल सरोवर के रूप में विख्यात हो गयी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देश के कोन-कोने से आने वाले श्रद्धालुओं का कपिल की तपोभूमि कोलायत में तांता सा लग जाता है। महर्षि कपिल ने वर्षो तक कोलायत में तपस्या की थी, उनके तप की इस भूमि पर छोटे-बड़े कई मंदिर है। कपिल सरोवर के पास ही बना है कपिल का मंदिर। कार्तिक पूर्णिमा पर कपिल सरोवर में दीपदान की भी अनूठी परंपरा है। पत्तल के दोनो पर दीपदान होता है। श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ और रात्रि में सरोवर में असंख्य दीप अनूठा ही दृश्य उत्पन्न करते तैरते हैं। वर्षो से चली आ रही यह परंपरा आज भी वैसे ही कायम है।

16.4.5 त्रिपुर सुंदरी मंदिर:

बांसवाड़ा में तलवाड़ा से पांच किलोमीटर दूरी पर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर भी आस्था का पावन धाम है। त्रिपुर नाम का संदर्भ प्राचीनकाल के तीन पुरों से था, शक्तिपुर, शिवपुर तथा विष्णुपुर में स्थित होने के कारण इसका नाम त्रिपुर सुंदरी पड़ा। मंदिर में विविध आयुधों को धारण किए 16 भुजाओं की काले पत्थर से उत्कीर्ण आकर्षक मूर्ति है। नवरात्रि में यहां लगने वाले विशाल मेले मे दूर-दराज के लोग आते हैं।

16.4.6 नाथद्वारा:

उदयपुर से तीस मील की दूरी पर स्थित वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठिका नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर अन्य हिन्दू मंदिरों से सर्वथा भिन्न है। ईट और चूने से बने इस मंदिर में पुजारियों द्वारा शास्त्रीय विधि से किए जाने वाले पूजा पाठ और मंगल, ग्वाल, राजभोग, संध्या, शयन आदि की भगवान कृष्ण की मनोहारी झांकियों के दर्शन देखने सुदूर देशों से श्रदालु आते हैं। वर्ष पर्यन्त यहां धार्मिक पर्यटकों का सैलाब रहता है।

16.4.7 रणकपुर के देवालय:

उदयपुर से 95 मील दूरी पर प्रकृति की गोद में बने रणकपुर के जैन मंदिर धार्मिक आस्था के साथ ही अपने शिल्प सौंदर्य के कारण विश्वविख्यात है। 1439 में राणा कुम्भा के प्रोत्साहन से सेठ धरणशाह द्वारा निर्मित रणकपुर के मंदिर जैन पंचतीर्थो में से एक है। मंदिरों की छतें, तोरण, सभामंडप में बारीक कलाकारी देखकर मन मंत्रमुग्ध हो उठता है। देश-विदेश से आने वाले सैलानियों का यहां तांता लगा रहता है।

16.4.8 एकलिंग जी:

उदयपुर से 13 मील की दूरी पर स्थित एकलिंग जी का मंदिर भगवान शिव की आराध्य स्थली है। कहा जाता है कि संगमरमर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी मूर्ति को मेवाड़ के राजाओं ने स्थापित किया था और किसी भी साहसिक कार्य के लिए प्रस्थान करने से पूर्व वे स्वयं इस मंदिर में आकर आर्शीवाद लेते थे।

16.4.9 ऋषभदेव जी:

उदयपुर से 40 मील की दूरी पर स्थित ऋषभदेवजी जैन एवं हिन्दू धर्मानुनायियों का पावन तीर्थ है। इस स्थान को केसरियाजी के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थयात्रियों द्वारा भगवान आदिनाथ की मूर्ति पर केसर के आलेपन से ही संभवत: यहां का नाम केसरियाजी पड़ा। ऋषभदेवजी के मंदिर में स्थापित मूर्ति के बारे में भी अलग-अलग मत हैं। जैनियों के कथनानुसार 24 तीर्थकरो अथवा महाआचार्यो में से एक आदिनाथ जी की मूर्ति यहां 13 वीं शताब्दी में प्रतिस्थापित की गयी थी। हिन्दुओ की मान्यता के अनुसार यह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। जो हो, हिन्दू और जैन दोनों ही धर्म के लोग यहां पूजा करते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु का अवतार मानकर महाराजा फतहसिंह ने यहां स्थापित मूर्ति के लिए एक अंगी भेंट की थी जिसमें उस समय में ढाई लाख रूपये मूल्य के हीरे जड़े हुए हैं। मुख्य मूर्ति काले पत्थर की है जो पीठासीन स्थिति में है।

16.4.10 नाकोड़ा:

बाड़मेर के बालोतरा उपखंड से कोई तेरह कि.मी दूरी पर स्थित नाकोड़ा धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां वर्षपर्यन्त दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। पहाड़ियों की गोद में स्थित नाकोड़ा में तीर्थकर ऋषभदेवजी का भव्य मंदिर और उसके किरीट शिखर तथा रंग-मण्डप की

स्थापत्यकला मन मोहने वाली है। यहां उपलब्ध पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी के शिलालेखों से इसकी प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है।

16.4.11 अर्थुना:

बांसवाड़ा से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अर्थुना के मंदिर धार्मिक आस्था के प्रमुख केन्द्र हैं। यहां 11 वीं, 12 वीं एवं 15 वीं शताब्दी के शैव और जैन मंदिरों के समूह के अवशेष इस गांव में मिले हैं। ईस्वी सन् 1080 में चामुंडा राजा परमार नायक के द्वारा निर्मित मंडलेश्वर मंदिर भी उल्लेखनीय है। अर्थुना शिवरात्रि व होली के विशेष समारोहों के लिए भी प्रसिद्ध है।

16.4.12 गोविन्ददेव जी:

जयपुर का गोविन्ददेव जी का मंदिर धार्मिक आस्था का ऐसा केन्द्र है जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण का गोविन्ददेवजी का मंदिर बिना शिखर का मंदिर है। जयपुर के जयनिवास उद्यान के मध्य अहाते में बने इस मंदिर में स्थित गोविन्ददेव जी की मूर्तियां अत्यधिक भव्य हैं। कहते हैं पहले गोविन्ददेवजी की मूर्ति वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी जिसे सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहां स्थापित किया था।

16.4.13 गलता जी:

गलता जी राजस्थान का प्रमुख तीर्थस्थल है। जयपुर के इस प्रमुख धार्मिक स्थल के मंदिर, मण्डप और पवित्र कुण्डों के साथ यहां का हरियाली युक्त प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त रमणीय हैं| गलताजी पहाड़ियों के मध्य बना हिन्दू धर्म का पवित्र तीर्थस्थल है। यहां के कुण्ड में स्नान का अत्याधिक महत्व है। यहां दीवान कृपाराय द्वारा निर्मित उच्चतम चोटी के शिखर पर बना सूर्य मंदिर भी अत्यन्त लोकप्रिय है| इस मंदिर से पूरे जयपुर को निहारा जा सकता है।

16.4.14 बिजोलिया एवं मेनाल:

कोटा-चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने बिजौलिया के देवालय धार्मिक आस्था के साथ ही नैसर्गिक सौंदर्य स्थल के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। यहां भगवान शिव के 10 वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर बने हुए हैं। मंदिर में शिव, पार्वती एवं नंदी की मूर्तियां अत्यधिक भव्य हैं। मेनाल में मंदिरों का समूह है। इन मंदिर समूहों को दीवारों पर स्थित देवी-देवताओं की कलात्मक मूर्तियां इस कदर भव्य हैं कि मन मंत्रमुग्ध हो उठता है।

16.4.15 कैला देवी:

करौली से 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित कैलादेवी राजस्थान का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां का मुख्य मंदिर संगमरमर से बना हुआ है जिससे कैला अर्शात् महालक्ष्मी एवं चामुण्डा देवी की प्रतिमाएं हैं। देशभर से लोग धार्मिक आस्था से यहां वर्षपर्यन्त आते ही रहते हैं। होली एवं दीपावली पर तो यहां दर्शनार्थियों का रेला मेले में बदल जाता है। यहां प्रति वर्ष मार्च-अप्रैल माह में विशाल मेला भी भरता है।

लाखों लोग यहां दर्शनार्थ आते हैं, इसलिए इसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। कैला को भवानी माना जाता है जिसकी प्रतिमा सन 1114 में एक मनोरम स्थान पर टीले के ऊपर स्थापित की गयी थी। जहां कैलादेवी का मेला भरता है वहां पहले कभी कालिया नाम का गांव हुआ करता था। कहते हैं कालिया गांव में केदारगिरी साधु रहा करते थे।

कैलामाता के मंदिर में एक साथ दो मूर्तियां हैं। दाहिनी ओर कैला देवी की मूर्ति है, जिसे लोग लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। बाई ओर चामुंडा की मूर्ति हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष द्वादशी से शुक्ल पक्ष द्वादशी के बीच भरने वाले कैलामाता के मेले में दूरस्थ स्थानों से लोग धार्मिक आस्था के कारण आते हैं। राजपूत, मीणा आदि कैला माता के प्रमुख भक्त माने जाते हैं। कैला देवी के मेले के अवसर पर पशु मेले का भी आयोजन किया जाता है। पशु मेले के अंतर्गत श्रेष्ठ नस्ल के मवेशियों की प्रतियोगिताएं आयोजित कर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। देवी का मंदिर काली शील नदी के किनारे त्रिकुट पहाड़ी की तलहटी में केला गांव के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यहां एक् छोटा सा भैरों मंदिर और हनुमान मंदिर (लांगूरिया) भी स्थित है।

16.4.16 खाटू-श्यामजी:

सीकर से 62 किलोमीटर दूर खाटू गांव में भगवान कृष्ण का मंदिर खाटू-श्यामजी धाम से प्रसिद्ध है। यहां फाल्गुन एवं कार्तिक माह में लगने वाले मेलों में लाखो दर्शनार्थी अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने आते हैं। खाटू-श्यामजी का श्याम कुण्ड भी दर्शनीय है। लोक आस्था के इस पावन स्थल पर दूर-दराज से लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं।

यहां बड़ी संख्या में बच्चों के मुंडन संस्कार भी किये जाते है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने बारब्रीक का मस्तिष्क नीची पहाड़ी पर रख दिया। भगवान कृष्ण बारब्रीक से बहुत प्रसन्न हुए व उसे वरदान दिया कि तुम कलियुग में श्याम के नाम से पूजे जाओगे।

16.4.17 श्री सांवलियाजी का मंदिर:

चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर मण्डफिया गांव स्थित श्री सांवलियाजी का मंदिर राजस्थान का प्रमुख तीर्थ है। सांवलियां जी अर्थात् भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर में विराजमान भगवान को सांवलिया सेठ से भी संबोधित किया जाता है। देश के कोने-कोने से सांवलिया सेठ के दर्शन करने लोग यहां आते हैं।

16.4.18 झालारापाटन:

झालावाड़ से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित झालरापाटन घंटियों के शहर से भी मशहूर है। झालरापाटन का सूर्य मंदिर पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। सूर्य मंदिर में कई विशाल मूर्तियों के अलावा देश की सूर्य की सबसे अच्छी सुरक्षित ढंग से रखी मूर्ति है।

16.4.19 ओसियां:

जोधपुर-बाड़मेर राजमार्ग पर जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर स्थित ओसियां अपने मंदिरों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ओसियां में जैन एवं हिन्दू धर्म के 15 सुंदर तराशे हुए

कलात्मक मंदिर हैं। इनमें सबसे असाधारण आरंभ का सूर्य मंदिर है और बाद में काली मंदिर और भगवान महावीर के प्रमुख मंदिर भी दर्शनीय हैं|

16.4.20 दिलवाड़ा के जैन मंदिर:

माउन्ट आबू स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। आकर्षक ढंग से तराशे हुए स्थापत्यकला में बेमिसाल इन मंदिरों का निर्माण 11 वीं और 13 वीं सदी में हुआ। संगमरमर के लालित्यपूर्ण बने दिलवाड़ा के मंदिरों में प्रथम तीर्थंकर का विमल वसाही मंदिर सबसे प्राचीनतम है। इसका निर्माण ईस्वी सन् 1031 में विमल वसाही नाम के व्यापारी ने करवाया था जो उस समय के गुजरात शासको का प्रतिनिधि था। मंदिर वास्तुकला के अनुपम उदाहरण है। प्रमुख मंदिर में ऋषभदेव की मूर्ति व 52 छोटे मंदिरों वाला लम्बा गलियारा है जिसमें प्रत्येक में तीर्थंकरों की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं।

16.4.21 श्रीमहावीर जी:

सवाईमाधोपुर के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क रणथम्भौर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीमहावीरजी जैनियों का पावन तीर्थ है। श्री महावीरजी का मंदिर सफेद संगमरमर से बना है। सवाईमाधोपुर जिले के हिण्डौन कस्बे में गंभीर नदी के किनारे स्थित चंदनगाव में प्रतिवर्ष चैत्रशुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक श्री महावीरजी का मेला भरता है। यह मेला छठी सदी के श्री महावीर स्वामी की याद में मनाया जाता है। महावीर स्वामी जैनियों के चौबीसवें तीर्थंकर माने जाते हैं। श्री महावीरजी दिगम्बर जैन संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्राय: साल भर ही यहां तीर्थ यात्री आते रहते हैं परन्तु मेले में यहां अपार जन समुह एकत्र होता है।

16.4.22 शिवाड़:

विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंचल में अवस्थित ऐतिहासिक एवं पौराणिक अतीत का वैभव लिए शिवाड़ हिन्दु धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। सवाई माधोपुर जिले में मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित शिवाड़ घुश्मेश्वर महादेव मंदिर के कारण प्रसिद्ध हैं। कहते हैं द्वादस ज्योतिर्लिंग में से शिवाड़ का शिव मंदिर भी एक है। यही कारण है कि यहां देशभर से श्रद्धालु वर्षपर्यन्त आते ही रहते हैं। शिव पुराण में शिवालय और मध्यकाल में शिवाल के रूप में उल्लेखित यह स्थान कालान्तर में शिवाड़ के रूप में विख्यात हो गया। ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह पावन स्थल भगवान श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की लीला स्थली है। मंदिर के समीप शिवाड़ का प्रसिद्ध किला भी है। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को शिवाड़ में विशाल मेला भी भरता है।

16.5 धार्मिक पर्यटन विकास:

प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की प्रचुर संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से धार्मिक पर्यटन के विकास पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की रणनीति अपनायी गयी है। राज्य सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मंदिरों के पर्यटन सर्किट ही नहीं बनाए गए हैं बल्कि ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के मंदिरों के जीर्णोद्धार के कार्य भी हाथ में लिए गए हैं। वर्ष 2006-2007 के राज्य के बजट में धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किए जाने के साथ ही बृज क्षेत्र के धार्मिक एवं पर्यटन विकास

हेतु 1 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान भी पृथक से किया गया है। धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए कुछ विशेष योजनाएं भी प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी हैं।

धार्मिक पर्यटन विकास में प्रदेश के देवस्थान विभाग की भी विशिष्ट भूमिका है। देशी रियासतो के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में धर्मार्थ एवं परमार्थ कार्यो को करने के लिए विभिन्न नामकरणों से कई विभाग संचालित थे। एकीकरण के पश्चात नवीन राज्य के गठन के साथ ही समस्त धार्मिक विभागों को मिलागार देवस्थान विभाग का गठन किया गया था। यह विभाग मुख्यत: देशी राज्यों से प्राप्त हुए मंदिरों, धार्मिक स्थलों की समुचित व्यवस्था एवं उनकी परम्पराओं की परिपालना का कार्य करता है। संस्कृति और आस्थाओं के प्रबंध को गतिशील बनाने हेतु राज्य सरकार की नवीन नीति में देवस्थान विभाग को पर्यटन कला और संस्कृति विभाग के साथ जोड़ा गया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब देवस्थान विभाग भी पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग के समन्वय के साथ अपनी महत्ती भूमिका निभा रहा है। मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं विकास के लिए देवस्थान विभाग द्वारा वर्ष 2003-2004 में प्रदेश के 59 मंदिरों पर 127.22 लाख रूपये का कार्य संपादित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2004-2005 में मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु 229.05 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। वर्ष 2005-2006 में आयोजना मद के अंतर्गत प्रावधित राशि रूपये 100 लाख से कराए जाने वाले मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं विकास हेतु 24 मंदिरो का चयन किया गया। राज्य के प्रमुख मंदिरों एवं तीर्थस्थलों से संबंधित सूचनायें देशी विदेशी पर्यटकों तक पहुंचाने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा एक वेबसाईट भी तैयार करवाई गई है। जन सुविधार्थ प्रचार-प्रसार के लिए इन्टरनेट पर यह वेब साईट www.rajasthandevasthan.com पर उपलब्ध है।

16.5.1 धार्मिक पर्यटन सर्किट:

देवस्थान विभाग द्वारा राज्य के चार धार्मिक पर्यटन सर्किट का प्रकाशन कुछ समय पूर्व ही कराया गया है। ये चार धार्मिक पर्यटन सर्किट इस प्रकार से हैं -

- पुष्कर जिला अजमेर
- श्री महावीरजी, सवाई माधोपुर
- ब्रज भूमि (ब्रज सर्किट)
- मेवाड़ सर्किट

पुष्कर जिला अजमेर के अंतर्गत अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह, तथा अन्य धार्मिक आस्था के मंदिरों को सम्मलित किया गया है वहीं श्री महावीरजी, सवाई माधोपुर के अंतर्गत तथा अन्य धार्मिक स्थलों के विकास एवं वहां पर्यटकों की पहुंच संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं पर राज्य ध्यान केन्द्रित कर रही है। ब्रजभूमि सर्किट के अंतर्गत भरतपुर रेंज में बयाना, करौली, भरतपुर, कामा, डीग, अलवर एवं धौलपुर के अनेक मंदिरों व दरगाहों सहित 18 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया है। इस सर्किट में वृन्दावन के राधा-माधव जैसे उन धार्मिक स्थलों को भी समाहित किया गया है जो राजस्थान के बाहर हैं किन्तु वे राज्य के अधीन हैं। इसी प्रकार मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत नाथद्वारा, द्वारकाधीश, उदयपुर, नागदा, चार भुजाजी, राणकपुर, कुम्भलगढ़ एकलिंगजी आदि को सम्मिलित किया गया है। इन पर्यटन सर्किट के तहत आने वाले धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों के लिए विश्राम व विविध अन्य सुविधाओं के विकास के कार्य भी

प्रारम्भ किए गए हैं। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन सर्किट के पैकेज कार्यक्रम भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि पर्यटक एक साथ इन सर्किट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अन्य धार्मिक पर्यटन केन्द्रों का भ्रमण कर सकें।

16.5.2 अपना धाम अपना काम योजना:

राज्य सरकार द्वारा मंदिरों, तीर्थ स्थलों के विकास के लिए हाल ही में 'अपना धाम अपना काम' योजना भी प्रारंभ की गयी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के सहयोग से धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास को प्रभावी गति देने के प्रयासों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना क्रियान्विति के तहत विभागीय संपदाओं को निम्न विकल्पों के आधार पर विकसित किया जाता है-

- रिक्त भूमि पर दानदाताओं द्वारा निर्माण करा कर विभाग को भेंट स्वरूप देने हेतु प्रेरित करना।
- दानदाताओं एवं धार्मिक संस्थाओं को निर्माण, संचालन एंव स्थानांतरण (बी॰ओ॰टी॰) की नीति के आधार पर संपदाओं को अनुबन्ध पर देना।
- तीसरा विकल्प भूमि को धार्मिक संस्थाओं एवं दानदाताओं को समान उद्देश्य हेतु लीज पर देना।

'अपना धाम, अपना काम' के अंतर्गत विकास हेतु लीज पर दी जाने वाली भूमि या संपदा के संबंध में प्रस्तावित लीज डीड का प्रारूप देवस्थान विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। योजना के अंतर्गत दानदाता प्रन्यासों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तथा विकसित की जाने वाली भूमि या संपदा का चिन्हीकरण कर एक ब्रोशर भी जनहितार्थ प्रकाशित करवाया गया है।

16.5.3 धार्मिक मेलों का आयोजन:

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही देव पूजा की राज्य की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्धेश्य से देवस्थान विभाग द्वारा प्रमुख धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजन की परम्परा की भी इधर शुरूआत की गयी है। उत्सवों, जयंतीयों एवं मेलों की इस परंपरा के अंतर्गत मुख्यतया निम्न मंदिरों में प्रतिवर्ष अब स्थायी रूप से बड़े पैमाने पर मेलों का आयोजन किया जाता है -

- मंदिर श्री गोगाजी, गोगामेड़ी तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
- मंदिर श्री केलादेवीजी झीलकावाड़ा, भरतपुर।
- मंदिर श्री ऋषभदेवजी, धूलेव, जिला उदयपुर।
- मंदिर श्री माताजी मावलियान आमेर, जिला जयपुर।
- मंदिर श्री चारभुजा जी, गढ़बोर, जिला राजसमन्द।

इन मंदिरों के अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रबंधित एंव नियंत्रित छोटे-बड़े 15 मंदिरों में एवं 23 सार्वजनिक प्रन्यासों में भी मेले आयोजित होते हैं तथा उनकी व्यवस्था स्थानीय ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका अथवा श्रद्धालु नागरिकों एवं प्रन्यासों द्वारा अपने स्तर पर की जाती है। देवस्थान विभाग द्वारा मंदिरों एवं तीर्थस्थलों पर आयोजित होने वाले प्रमुख उत्सवों, मेलों एवं पर्वो का तिथीवार एक सूचना केलेण्डर भी तैयार किया गया है।

16.6 विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां:

विश्व पर्यटन मार्केट रूझान के नए आंकड़ो के हिसाब से अध्यात्मवाद तथा आध्यात्मिक आनंद की ओर लोगों के झुकाव से 'नए युग' के पर्यटन में महत्वपूर्ण विकास की बात कही गयी है। इस संदर्भ में राजस्थान में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। यहां धार्मिक स्थल किसी एक धर्म या सम्प्रदाय तक सीमित नहीं है। विभिन्न धर्मो के धार्मिक स्थलों के आस-पास का परिवेश इतना रमणीय है कि पर्यटक बार-बार वहां आना चाहते हैं।

हालांकि पिछले कुछ समय से धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान देने के अंतर्गत वहां पर्यटक सुविधाओं का विस्तार तथा अन्य विकास के कार्य क्रियान्वित किए गए हैं परन्तु समग्र रूप में देखा जाए तो धार्मिक पर्यटन स्थलों पर सैर की स्थितियां बहुत अधिक अनुकूल नहीं है फिर भी वहां पर्यटकों की आवाजाही निरंतर रहती है। इसका कारण जन आस्था ही है, परन्तु ऐसी स्थितियाँ ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। समय रहते अगर धार्मिक स्थलों पर पर्यटन की स्थितियों की अनुकूलता की दिशा में प्रयास नहीं किए गए तो ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय पर्यटन के इस स्वरूप के लाभों से भी हमे महरूम होना पड़े। संक्षिप्त में ही कहा जाए तो अव्वल तो धार्मिक स्थलों पर उपयुक्त माहौल नहीं होता, दूसरे वहां पर गंदगी, प्रदूषण का भी ऐसा साम्राज्य होता जा रहा है जिससे वे अपने कांतिमय स्वरूप को भी खोते जा रहे हैं।

प्रमुख तीर्थ स्थलों पर पंडों, पूजारी, मौलवी, पादरी आदि की लूट खसोट की बात तो अब आम है। यही नहीं तीर्थ स्थलों पर भिखारियों, पॉकेटमारों और ठगों के गिरोह से बन गए हैं। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनको देशी पर्यटक तो फिर भी सहन कर सकते हैं परन्तु बाहर से आने वाले विदेशी सैलानियों के लिए एक सीमा बाद ये असहनीय हो सकते हैं। उनकी भारतीय धर्म के प्रति आस्था को भी ऐसे कारण विचलित कर सकते हैं। यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विदेशी सैलानियों के लिए तो ये किसी दु:स्वप्न जैसा ही है। दु:स्वप्न इसलिए कि वे शांति की तलाश में मंदिर, मठ, गुरूद्वारा, चर्च अपनी आस्था लिए आते हैं परन्तु वहाँ ऐसी स्थितियों से उनके मन में जगे आस्था के सपने धूल-धुसरित होने लगते हैं। ऐसे में देशभर के धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार के वातावरण की समस्या को समय रहते दूर करना अत्यधिक आवश्यक है।

धार्मिक स्थलों पर पर्यटन की एक बड़ी समस्या प्रमुख तीर्थ स्थलों पर पर्यटन के लिए आधारभूत सुविधाऑ का नहीं होना भी है। अभी भी देश में बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो बावजूद अपना विशेष महत्व रखने के लोगों की पहुंच से परे हैं। उनका सड़क मार्ग से जुड़ा नहीं होना, यहां पर आवासीय व्यवस्था नहीं होना, सीधी वायु सेवाओं का नहीं होना आदि ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण पर्यटकों की आवाजाही वहां प्रयास करने के बावजूद नहीं होती। यही नहीं बहुत से ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के तीर्थ स्थलों के समुचित संरक्षण नहीं होने से वे निरंतर लोगों से महरूम होने की ओर भी अग्रसर हैं। ऐसे में धार्मिक स्थलों के संरक्षण, उन तक पहुंच, वहां पर बेहतर वातावरण निर्माण आदि के लिए अगर व्यापक प्रयास होते हैं तो निश्चित ही इसके दूरगामी परिणाम समग्र पर्यटन विकास के रूप में हमारे सामने होंगे। धार्मिक पर्यटन का विकास इसलिए भी जरूरी है कि इसी से देश को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सकती है। अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से भी आध्यात्मिक पर्यटन का विकास दूरगामी परिणाम दे सकता है, और

तो और इसी से गौरवमयी भारतीय संस्कृति का सुदूर देशों में प्रचार नए सिरे से किया जा सकता है, जिसकी कि आवश्यकता आज सर्वाधिक है।

16.7 सारांश:

पिछले कुछ वर्षों में देश में पर्यटन के जो विभिन्न स्वरूप उभरकर सामने आए हैं उनमे धार्मिक पर्यटन ने विशेष रूप से सैलानियों को आकर्षित किया है। 'नेशनल कांउसिल ऑफ एप्लायड इकोनोमिक रिसर्च' के हाल ही कराए गए सर्वेक्षण में भी यह तथ्य विशेष रूप से उभरकर सामने आया है कि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक देश में सबसे अधिक यात्रा धार्मिक या सामाजिक उद्धेश्यों से करते हैं न कि केवल मौज मस्ती और तफरी के लिए। भारत में धर्म, आध्यात्मक की प्रवृति से अछूते विश्व के लोग भी नहीं रहे हैं अब विदेशों में भी रामकृष्ण के मंदिर बनने लगे हैं। यहां के आध्यात्मिक वातावरण में शांति एवं सुकुन की तलाश में दूर-दराज से सैलानी आते हैं। यही कारण है कि धार्मिक पर्यटन अब आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनता जा रहा है।

वैसे भी भारत में तीर्थाटन से पर्यटन की वर्तमान परम्परा का विकास हुआ माना जाता है। आदि गुरू शंकराचार्य ने देश के अलग-अलग कोनों मे चार धामों की स्थापना इसीलिए की कि अपने घरों से निकलकर देशाटन कर सकें। हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई आदि सभी धर्मो मे धार्मिक यात्रा के लिए आरंभ से ही कहा जाता रहा है। ऐसे में धार्मिक पर्यटन आरंभ से ही हमारी परम्परा का हिस्सा रहा है।

राजस्थान का जनजीवन धार्मिक आस्थाओं एवं मान्यताओं के ताने-बाने से गूंथा हुआ है। सनातन संस्कृति की वह धारा भी राजस्थान में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है जिसमे रामायण-महाभारत के पात्रों, तीर्थ यात्रा, मोक्ष, गया, श्राद्ध, दान-धर्म आदि के प्रति श्रद्धा है तो गणगौर, तीज, रामदेवजी, गोगाजी, तेजाजी आदि स्थानीय लोक देवताओं के प्रति गहन आस्था का भाव भी यंत्र-तंत्र-सर्वत्र है। मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरूद्वारा, चर्च आदि सर्वधर्म सद्भाव से राजस्थान आस्तिकता की अन्तर्धारा से निरंतर सिंचित होता है।

राज्य के धार्मिक पर्यटन स्थलों के महत्व को देखते हुए पिछले कुछ समय से राज्य सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन की दिशा में विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। देवस्थान विभाग, पर्यटन कला एवं संस्कृतिविभागों के समन्वय से धार्मिक स्थलों के विकास के साथ ही वहां पर्यटकों के निरंतर आगमन को सुनिश्चित किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन विकास के इन प्रयासों को अमलीजामा व्यवहार में तभी पहनाया जा सकता है जब यहां सुविधाओं एवं सेवाओं के विस्तार के साथ ही पर्यटकों को सुखद वातावरण प्रदान करने की दिशा में भी पहल की जाए। बहुत से ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के तीर्थ स्थलों के समुचित संरक्षण नहीं होने से वे निरंतर लोगों से महरूम होने की ओर भी अग्रसर हैं। ऐसे में धार्मिक स्थलों के संरक्षण, उन तक पहुंच, वहां पर बेहतर वातावरण निर्माण आदि के लिए अगर व्यापक प्रयास होते हैं तो निश्चित ही इसके दूरगामी परिणाम समग्र पर्यटन विकास के रूप में हमारे सामने होंगे। इस इकाई में आपको धार्मिक पर्यटन के बारे में विस्तार से बताया गया है। विश्व में धार्मिक पर्यटन के बढते रूझान के दृष्टिगत आप धार्मिक पर्यटन के महत्व को समझकर आप इस दिशा में भविष्य की रणनीति बनाने में मददगार होने के साथ ही विकास में अपने को सहभागी बना सकेंगे।

बोध प्रश्न:

1. धार्मिक पर्यटन की अवधारणा एवं परम्परा पर आलोचनात्मक लेख लिखिए।

   ....

   ....

2. राजस्थान के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल कौन-कौन से हैं?

   ....

   ....

3. धार्मिक पर्यटन विकास में सरकार की भूमिका पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।

   ....

   ....

4. "धार्मिक स्थलों पर पर्यटन की सुविधाओं के विस्तार के साथ ही वहां पर पर्यटकों के लिए बेहतर वातावरणस तैयार किया जाना आज समय की आवश्यकता है।"

   इस कथन के समर्थन में अपने विचार लिखिए।

   ....

   ....

इकाई - 17 : पारिस्थितिकी पर्यटन एवं वन्य जीवन

रूपरेखा:

17.0 उद्देश्य
17.1 प्रस्तावना
17.2 पारिस्थितिकी पर्यटन की अवधारणा
17.3 भारत में पारिस्थितिकी पर्यटन
17.4 राजस्थान में पारिस्थितिकी पर्यटन एवं वन्य जीवन
17.4.1 पक्षी
17.4.2 सरीसृप
17.4.3 अभ्यारण्य एवं पेड़-पौधे
17.4.4 राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जैसलमेर
17.4.5 मरूस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान
17.4.6 ताल छापर
17.4.7 पारिस्थितिकी पर्यटन समृद्ध क्षेत्र
17.5 पारिस्थितिकी पर्यटन विकास
17.6 पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के उपाय
17.7 सारांश

17.0 उद्देश्य:

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

- पारिस्थितिकी पर्यटन की अवधारणा से अवगत हो सकेंगे।
- भारत में पारिस्थितिकी पर्यटन के संबंध में हुए कार्यो के बारे में जान सकेंगे।
- राजस्थान में पारिस्थितिकी पर्यटन की संभावनाओं का पता लगा सकेंगें।
- राजस्थान में पारिस्थितिकी पर्यटन के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों के बारे में जान सकेंगे।
- पारिस्थितिकी पर्यटन विकास के उपाय जान सकेंगें।

17.1 प्रस्तावना:

पारिस्थितिकी पर्यटन कहें या फिर पर्यावरण पर्यटन-इसके तहत पर्यटन का प्रबंधन तथा प्रकृति का संरक्षण इस तरीके से करना होता है कि एक तरफ पर्यटन व पारिस्थितिकी की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना रहे तो दूसरी तरफ स्थानीय समुदायों के रोजगार की जरूरतों की भी पूर्ति होती रहे। केन्द्र सरकार ने पर्यटन उद्योग एवं गैर सरकारी संगठनों आदि के परामर्श से देश में वर्ष 1998 में ही पारिस्थितिकी पर्यटन पर नीति और दिशा निर्देश तैयार कर दिए थे। इस नीति का उद्धेश्य हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सुरक्षा और इन्हें समृद्ध बनाना तथा पर्यावरणीय संरक्षण एव समुदाय विकास के सकारात्मक प्रभावों के साथ पारिस्थितिकी पर्यटन की विनियमित वृद्धि सुनिश्चित करना रहा है।

पर्यटन के नित नए उभरते आयामों के अंतर्गत पारिस्थितिकी पर्यटन वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रासंगिक है। इसकी खास वजह यह है कि इसके तहत पर्यावरण संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। पर्यटन का तीव्रतम विकास यद्‌यपि आर्थिक रूप से तो हमें बहुत अधिक मुनाफा प्रदान करने वाला है परन्तु इसका दुखद पहलू यह भी है कि पर्यटन पर्यावरण प्रदूषण का भी बहुत से स्तरों पर कारक बन गया है। ऐसे में पारिस्थितिकी पर्यटन को वर्तमान समय की आवश्यकता कहा जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या है पारिस्थितिकी पर्यटन? राजस्थान में पारिस्थितिकी पर्यटन की क्या हैं संभावनाएं? कैसे किया जा सकता है इसका विकास? आईए, जानें -

17.2 पारिस्थितिकी पर्यटन की अवधारणा:

पिछले कुछ वर्षो में देश में निरंतर बढ़ती जनसंख्या और स्थानीय जीवन निर्वाह के लिए प्राकृतिक स्थलों पर संसाधनों के निरंतर घटते आधार से पहले से कमजोर पर्यावरण का निरंतर ह्रास हुआ है। देश के, विशेषकर पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर पिछले कुछ दशकों में आबादी के विस्तार, पर्यटन गतिविधियों के अधिकाधिक फैलाव के साथ ही विकास गतिविधियाँ यथा आवास, उद्‌योग, कृषि, खनन, संचार आदि के बढ़ने से वहां प्राकृतिक ह्रास होने के साथ ही वनों का आकार तेजी से सिकुड़ रहा है। इसी का परिणाम है कि प्रकृति का संतुलन भी निरंतर गड़बड़ाता जा रहा है। इससे ही दरअसल एक ओर तो देश मे अकाल की विभीषिका का सामना करना पड़ता है तो दूसरी ओर बाढ़ जैसी चुनौतियों का मुकाबला अब आम बात हो गयी है। इस सबमें पर्यटन उद्‌योग के अंधाधुध दोहन व इसके विकास को एक बड़ी वजह कहा जा सकता है। पर्यटन उद्‌योग के निरंतर होते विकास में प्रकृति संरक्षण की दिशा में गंभीर ध्यान नहीं दिए जाने की ही परिणति है कि देश के प्राकृतिक सौन्दर्य के पर्यटन स्थलों पर सड़क और भवन निर्माण के साथ ही भारी वाहनों की अव्यवस्थित आवाजाही से पहले से ही कमजोर पर्वत श्रेणियों पर अपकर्षक दबाव बढ़ा है। इसके अलावा प्रकृति पर्यटन स्थलों पर बुनियादी नागरिक तथा स्वच्छता नियमों की पालना नहीं करने से पर्वतीय क्षेत्रों में ढेर सारा कचरा और वहां की पारिस्थितिकी को क्षति पहुंचाने वाली अन्य सामग्री छोड़ने से पर्यटन स्थल पर्यावरण ह्रास की चपेट में भी निरंतर आ रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि पर्यटन को इस रूप में क्रियान्दित किया जाए कि इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होकर पर्यावरण संरक्षण हो सके।

पर्यावरण संरक्षण की सोच से ही जुड़ा है- पारिस्थितिकी पर्यटन। इको- टूरिज़्म से पर्यटन को इस तरह से विकसित करने में मदद मिलती है जिससे उसके नकारात्मक प्रभाव कम से कम होते हैं और यह पर्यावरण में खराबी को रोकने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के साथ इसके आर्थिक फायदों का मिल-बांट कर उपयोग करने में मदद करता है। पिछले दो दशकों में ऐसे पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है जो व्यक्तिगत रूप से या छोटे से दल में अपेक्षाकृत अछूते इलाकों की यात्रा करना पंसद करते हैं। ये लोग ऐसे इलाकों में जाकर प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हैं और स्थानीय लोगों के सीधे संपर्क में आते हैं। हालांकि इस तरह के पर्यटन का पर्यावरण और समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है लेकिने अगर इसे ठीक से व्यवस्थित नही किया गया तो बड़े पैमाने पर पर्यटन के रूप में इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है।

सैर सपाटे, व्यवसाय और अन्य कार्यो के लिए अपने सामान्य निवास स्थान से भिन्न स्थान पर जाकर लगातार एक साल से कम अवधि के लिए रहने वाले लोगों की गतिविधियां पर्यटन के अंतर्गत आती हैं। चूकि इस तरह की यात्राएं प्रकृति के काफी निकट लेकर जाती है इसलिए इनमें उसके जड़ और चेतन दोनों ही तरह के विविध रूपों का आनंद उठाने का मौका मिलता है। इससे पारिस्थितिकी प्रणाली को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल तरीके से पर्यटन का विकास होता है इसलिए इसे पारिस्थितिकी पर्यटन कहा जाता है।

हेक्टर सिबालोस लैसक्युरिन के अनुसार - "इको टूरिज़्म का अर्थ किसी प्राकृतिक स्थान का भ्रमण, जहाँ किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप न हुआ हो। जहां प्रकृति अपनी सहज, निजी रूप से विकसित हुई हो, ऐसे स्थानों का भ्रमण, अध्ययन, समादर, प्रशंसा तथा उसका रसास्वादन, उपभोग करना तथा वहां के वन्य जीवन तथा अतीत या वर्तमान सांस्कृतिक पहलुओं को समझना तथा उपभोग करना ही इको टूरिज़्म कहलाता है।"

विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार - "ऐसा पर्यटन जिसमें अध्ययन, प्राकृतिक दृश्यों, जीव-जंतुओं और वनस्पतियों को देखने और किसी सांस्कृतिक पहलू (अतीत या वर्तमान से जुड़े) का आनंद लेने के लिए किसी स्थान की यात्रा की जाती हो, इको-दूरिज़्म कहलाता है।"

सर किपसन के अनुसार - "प्राणी जगत की विविधता तथा विभिन्न प्रकार की संस्कृति को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए अध्ययन करने के लिए भ्रमण पर जाना पारिस्थितिकी पर्यटन है।"

जेफरी लिपमैन के शब्दों में - "पारिस्थितिकी पर्यटन, पर्यटन बाजार का वह अंग है, जो विवेकपूर्ण ढंग से पर्यावरण संरक्षण करता है।"

इको दूरिज्य सोसायटी के अनुसार - "यह दायित्वपूर्ण पर्यटन है, जो प्राकृतिक सम्पदाओं के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय लोगों के धारणीय हित का ध्यान रखता है।"

प्राकृतिक स्थान की यात्रा के लिए पर्यटन या इको-टूरिज़्म किसी खास पर्यटन स्थल पर सैर-सपाटे के लिए बड़े पैमाने पर जाने वाले पर्यटन या रिसॉर्ट टूरिज़्म से भिन्न है क्योकि इसका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है और इसके लिए बुनियादी ढांचे के विकास की भी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर पारिस्थितिकी पर्यटन के मुख्यत: निम्न विशेषताएं हैं -

- पारिस्थितिकी पर्यटन पूर्णत: प्रकृति पर आधारित है, चूंकि इसके अंतर्गत पर्यटक आम तौर पर प्राकृतिक स्थानो की प्रकृति और परम्परागत संस्कृतिको देखने और आनंद लेने के लिए आते हैं।
- इससे जैव विविधता के संरक्षण में मदद मिलती है।
- स्थानीय लोगों के कल्याण को पारिस्थितिकी पर्यटन से ही बढ़ावा दिया जा सकता है। चूंकि स्थानीय लोगों को इससे रोजगार मिलता है तथा उनकी भागीदारी भी इसमें किसी न किसी रूप में होती है।
- इसमें पर्यटन के नकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव को कम से कम करने के लिए पर्यटक और स्थानीय लोग मिल कर कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं।

- बार-बार काम में न लाये जा सकने वाले संसाधनों का कम से कम उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है।
- स्थानीय स्वामित्व के साथ-साथ स्थानीय लोगों (विशेष रूप से ग्रामीणों) के लिए व्यापार के अवसरों पर जोर दिया जाता है।

इको-टूरिज़्म की सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसमे प्राकृतिक पर्यावरण आकर्षण का केन्द्र बिन्दु होता है। इस तरह के पर्यटन में शामिल लोग पर्यावरण की संवेदनशीलता के बारे में जागरूक होते हैं और उनकी संख्या सीमित या पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होती है और उनसे पारिस्थितिकी प्रणाली पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि स्थानीय लोग भी पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पारिस्थितिकी पर्यटन के कई रूप और आयाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भीड़-भाड़ से दूर किसी सुंदर जंगल या प्राकृतिक स्थान में जाकर रहना, वन्य पशु-पक्षियों और वनस्पतियों को देखना, मूंगे की चट्टानों और समुद्री जीवों का आनंद लेना, ट्रैकिंग, नौकायान या रैफ्टिंग करना, रेत के ढूहों में भटकना आदि इको-टूरिज़्म के बड़े आम प्रकार हैं। हालांकि पारिस्थितिकी पर्यटन की अवधारणा अभी हाल में ही विकसित हुई है, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है यहां सदियों से इको-टूरिज़्म का विभिन्न रूपों में प्रचलन रहा है।

17.3 भारत में पारिस्थितिकी पर्यटन:

भारत विश्व मे जैव विविधता संपन्न उन सात देशों में से एक है जिनकी सांस्कृतिक विरासत अत्यधिक समृद्ध है। इस रूप में यहां प्रकृति और संस्कृतिक संरक्षण को ध्यान में रखने वाले पर्यटन को सभी स्तरों पर अपनाना जरूरी भी है। वैसे भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा प्राप्ति के बड़े स्त्रोत के रूप में जब पर्यटन को माना जाता है तो यह जरूरी हो जाता है कि पर्यटन उद्योग के विकास के उन पहलुओं पर ध्यान दिया जाए जो सीधे तौर पर इसके समुचित विकास से जुड़े हों। इस समुचित विकास में पर्यटन स्थलों के प्राकृतिक सौन्दर्य को बचाए रखना भी अत्यधिक जरूरी है। प्राकृतिक सौन्दर्य तभी बचा रह सकता है जब वहां पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास को गति दी जाए। पर्यावरण अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन के प्रोत्साहन से ही इस दिशा में कारगर कदम उठाए जा सकते हैं।

पारिस्थितिकी-पर्यटन दरअसल पर्यटन उद्योग के पूर्ण एकीकरण को मान्यता प्रदान करता है ताकि यात्रा और पर्यटन लोगों की आय का स्त्रोत बनें व स्थानीय लोग भी पृथ्वी की पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण, सुरक्षा और बहाली में योगदान करें। ऐसे पर्यटन के विकास से पर्यावरण संरक्षण पर्यटन का महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। पारिस्थितिकी पर्यटन को पर्यावरण अनुकूल गतिविधि कहा जा सकता है, चूंकि इसमें प्रकृति के प्रति उपभोक्तावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है। स्वाभाविक है कि इससे पर्यावरण विषयक नैतिकता को बल मिलता है। इसे इस रूप में समझें कि पारिस्थितिकी पर्यटन की अवधारणा का विकास करने से पर्यटकों को प्रेरणात्मक और भावात्मक संतुष्टि प्राप्त होती है क्योंकि इसका लक्ष्य वन्य जीवों और पर्यावरण को लाभ पहुंचाना है। इस रूप में ऐसा पर्यटन प्रकृति व संस्कृति के संरक्षण के प्रति पर्यटकों को जागरूक करता है, जिसकी कि आज के संदर्भो मे महत्ती जरूरत है।

वैसे पारिस्थितिकी पर्यटन की सोच कोई नई नहीं है और बहुत से स्तरों पर इस पर समय-समय पर ध्यान दिया जाता रहा है परन्तु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम व विश्व पर्यटन संगठित के तत्वावधान में कुछ समय पूर्व कनाडा के क्यूबिकल शहर में आयोजित विश्व पर्यावरण पर्यटन सम्मेलन से पूरे विश्व का ध्यान इस ओर विशेष रूप से गया। इस सम्मेलन में दुनिया के 133 देशों के एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसका एक सुखद परिणाम यह रहा कि अधिकांश राष्ट्रों ने अपने अपने देश में पारिस्थितिकी पर्यटन विकास की नीतियों को क्रियान्वित करना प्रारंभ कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2002 को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया था साथ ही अपने घोषणा पत्र में भी कहा कि पारिस्थितिकी पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जिसमें आर्थिक विकास की प्रचार संभावनाएं तो हैं ही, साथ ही यदि इसे उचित तरीके से नियोजित, विकसित व प्रबंधित किया जाए तो यह प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकता है।

जैव विविधता से संपन्न हमारे देश में पर्यटन के जरिए प्रकृति के निरंतर होते दोहन को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहन सभी स्तरों पर दिया जाए। हालांकि इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा की भावना के अनुरूप ही देश की नई पर्यटन नीति तैयार की गयी है और जिसका लक्ष्य भी 'लोगों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और समुदाय, खासकर भीतरी और दूर दराज के क्षेत्रों को सामाजिक-आर्थिक लाभ पहुंचाना, संतुलित एवं सतत विकास की दिशा में प्रयास करना और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, समृद्ध और प्रोत्साहित करना है परन्तु इस दिशा में बावजूद नीतियों की घोषणा के कोई ठोस पहल अभी तक नहीं की जा सकी है। यहां कहा जा सकता है कि देखा-देखी नीति बनाना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। हम दूसरी बात का क्रियान्वयन जब तक नहीं करेंगे तब तक सही मायने में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे, जिसकी कि आज तेजी से अपने पैर पसारते देश के पर्यटन उद्योग को जरूरत है।

पर्यटन विकास मे देश में तेजी से अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले राज्य केरल में पारिस्थितिकी पर्यटन को अपनी पर्यटन नीति 'टूरिज़्म विज़न 2025' में 'प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण के साथ पर्यटन विकास' प्राथमिकता से रखा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश द्वारा भी पारिस्थितिकी पर्यटन विकास की नीति घोषित की गयी, उतरांचल और पश्चिम बंगाल के वन निगमों द्वारा भी पारिस्थितिकी पर्यटन गतिविधियॉ प्रारंभ की गयी हैं परन्तु अधिकतर ऐसे प्रयासों की घोषणाएं ही अभी तक सामने आयी हैं, व्यावहारिक रूप में पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास की दिशा में कदम इसमें जनभागीदारी के रूप मे अभी तक सामने नहीं आया है। इस दिशा में आज जरूरत इस बात की है कि ट्रेकिंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण, नदी नौकायन, वन उपवन या विरासत स्थलों की यात्रा, वन्य जीव अभयारण्यो की यात्रा, झीलों, घाटियों के साथ ही स्थानीय समुदायों अथवा उनके पुरातन वातावरण में प्रवास आदि विभिन्न पारिस्थितिकी पर्यटन गतिविधियाँ को कारगर बनाने के लिए देश के ऐसी संभावना वाले सभी पर्यटन स्थलों पर विशेष प्रयास समन्वित रूप में किए जाए।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पारिस्थितिकी पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय पारिस्थितिकी पर्यटन नीति और दिशा निर्देश तथा कार्य योजना का भी गठन

किया, जिसे सभी राज्यों और पर्यटन व्यवसाय में परिचालित किया गया है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति में भी पारिस्थितिकी पर्यटन के संवर्द्धन पर अधिक बल दिया गया है। पारिस्थितिकी पर्यटन विकास के अंतर्गत दक्षिणी सिक्किम में चेमचे के साहसिक और पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए भारतीय हिमालयन केन्द्र की स्थापना का भी निर्णय पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में लिया है।

भारत की भौगोलिक रूप से विविधताओं का देश है। यहां की पारिस्थितिकी प्रणालियों, पारिस्थितिकी पर्यटन के प्रमुख संसाधन के रूप में विख्यात है। भारत के पारिस्थितिकी पर्यटन संसाधनों को मुख्यत: निम्न रूप में समझा जा सकता है-

- समृद्ध जैविकीय भंडार
- ज्वारीय वनस्पति
- समुद्री चट्टानें तथा प्रवाल भित्तियाँ
- दूर तक पसरा रेगिस्तान
- पर्वत एवं वन
- पुष्प प्रजातीय वनस्पति एवं जीव जन्तु
- समुद्र, तालाब एवं नदियां
- प्राचीन गुफाएं

17.4 राजस्थान में पारिस्थितिकी पर्यटन एवं वन्य जीवन:

राजस्थान में विगत कुछ वर्षों से पारिस्थितिकी पर्यटन की दिशा में गंभीर प्रयासों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, उत्तरांचल, केरल आदि राज्यों की भांति राजस्थान में भी पर्यटन और वन विभागों द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

हाल ही में राजस्थान सरकार के वन और पर्यटन विभागों द्वारा प्रदेश में इको-टूरिज़्म को विकसित करने के लिए विभिन्न जिलों के 100 सम्भाव्य स्थलों को चिन्हित किया गया है। इसके लिए राज्य के वन क्षेत्र में अवस्थित पुरा महत्व के किलों, महलों, स्मारकों, झीलों, बावड़ियों आदि को पुन: एवं संरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।

पारिस्थितिकी पर्यटन संभाव्य क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित स्थलों को प्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन की दृष्टि से विशेष रूप से माना गया है -

- जोधपुर जिला - माचिया सफारी पार्क, खींचन, गुढा विश्नोइयां।
- जैसलमेर - सम के धोरे, राष्ट्रीय मरू उद्यान।
- नागौर जिला - भंवाल माता।
- सिरोही जिला - छिपा बेरी, माउण्ट आबू।
- पाली जिला - नाणा बेड़ा, जवाई बॉध।
- जालौर जिला - सुधा माता।
- बाड़मेर - किराडू मंदिर।
- बीकानेर - कतरियासर।

- राजसमन्द - कुंभलगढ वन्य जीव अभ्यारण्य।
- सवाई माधोपुर - रणथम्भोर राष्ट्रीय उद्यान।

राजस्थान में उपरोक्त स्थानों के अलावा भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनको पारिस्थितिकी पर्यटन के अनुकूल चिन्हित कर वहां पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास की दिशा में कार्य किया जा सकता है। वैसे भी राजस्थान में दूर तक पसरा रेगिस्तान, सम के धोरे, पर्वत एवं पहाड़, वन्य जीव अभयारण्य आदि का विशेष आकर्षण हैं। दक्षिणी राजस्थान में जहां माही और बनारस नदियां बहती है वहीं नाकोडा पर्वत, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द भौराट पठार आदि है। इस क्षेत्र में राजसमन्द की नौचौकी झील, फतेहसागर झील, मेनाल झरना आदि अनमोलन विरासत के रूप में पारिस्थितिकी पर्यटन की अथाह सम्पदा है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत चम्बल और उसकी सहायक नदियां काली सिन्ध, परवन, पार्वती आदि के तट खूबसूरत होने के साथ ही नदियों में पक्षियों का कलरव देखते ही बनता है। पूर्वी राजस्थान मे बाणगंगा, बनास और चम्बल नदी तो पश्चिम में सांभर झील प्रकृति की अनुपम देन है तो उत्तरी राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र और घग्घर का मैदान तथा इन्दिरा गांधी नहर का आकर्षण है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वत, अंचलगढ़, दिलवाढ़ा, सिरोही आदि के पर्वतों का अपना आकर्षण है। इन क्षेत्रों की वनस्पतियां तथा वन्य जीव पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।

दरअसल राजस्थान अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों के कारण पर्यटकों के लिए आरंभ से ही आकर्षण का केन्द्र रहा है। मरूस्थल के जीव जन्तु, यहां की वनस्पतियां, पर्वत और पठार आदि का आकर्षण हैं। अभी बहुत से ऐसे स्थान भी हैं जहां पर पर्यटन की असीम संभावनाएं है परन्तु वे पर्यटन मानचित्र में अपना स्थान नहीं बना सके है। ऐसे स्थानों में जालौर का सुन्धा माता मंदिर, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, बीकानेर में डूंगरगढ़ और कतरियासर के सम के धोरे, राजसमन्द में कुंभलगढ के आस-पास का क्षेत्र, चूरू के गाँव, सिरोही, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा के स्थलों को लिया जा सकता है। यहां की भौगोलिक दशाएं और पाए जाने वाले वन्य जीव, वनस्पति आदि पर पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्राकृतिक स्थानों पर 'हैल्थ क्लब' तथा आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा पद्धतियों की व्यवस्था करके पारिस्थितिकी पर्यटन को नए आयाम दिये जा सकते हैं।

यदि प्रादेशिक स्थलाकृतियों और नैसर्गिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में पारिस्थितिकीय पर्यटन का विकास किया जाता है तो इससे न केवल अव्यवस्थित पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आय अर्जित करने का श्रेष्ठ विकल्प भी उपलब्ध हो जायेगा।

राजस्थान का मरूस्थल दरअसल विश्व के छह प्रमुख मरुस्थलों में से एक विशिष्ट भू-भाग है। इस मरूस्थल में जैविक तथा जीवेतर हस्तक्षेपों का बाहुल्य होने पर भी इसकी विशिष्टता यह है कि यहां वन्य जीव भी अत्यधिक संख्या में हैं। शीतकाल में तो विदेशों से प्रवासी पक्षी यहां की पारिस्थितिकी के कारण ही यहां आकर निवास करते हैं। राजस्थान के अधिकांश भाग रेतीला है। रेत के टीलों की सघनता और प्रतिकूल पर्यावरण के बावजूद राजस्थान जीवों और पौधों की सघनता की दृष्टि से खासा समृद्ध है। मरूस्थल के पेड़-पौधों, यहां की विशिष्ट जीवन पद्धति, पारस्परिक सहयोग की भावना और जीव जंतुओं के साथ लोगों के लगाव को देखने के लिए ही

सुदूर देशों से पर्यटक राजस्थान आना पसंद करते हैं। वे जानना चाहते है कि कैसे प्रतिकूल पर्यावरण में भी यहां के लोग जीवन की उत्सवधर्मिता का निर्वाह करते हुए यहां रहते हैं।

एक मोटे अनुमान के अनुसार राजस्थान में तीन हजार से अधिक जीवों की जातियां उपलब्ध हैं जिनमें रेंगने वाले जीव, अनेक प्रकार के पक्षी और स्तनपायी जानवर सम्मलित हैं। थार का मरूस्थल अपने रेतीले टीलों और खुले बौने जंगलों और अपने वन्यजीवन के कारण इस कदर आकर्षक हैं कि देशी-विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। मरूस्थल के भू-दृश्य तो इस कदर आकर्षक हैं कि यहां प्राकृतिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, यदि समुचित रूप से इस दिशा में ध्यान देकर कार्य किया जाए। वस्तुत: मरूस्थलीय प्रदेश राजस्थान का समृद्ध वन्यजवन, विविधतापूर्ण पेड़-पौधे, पशु, जलवायु, अद्‌वितीय प्राकृतिक परिदृश्य तथा अप्रदूषित पर्यावरण पारिस्थितिकी पर्यटन की अनमोल विरासत हैं।

वन्यजीव पर्यटन के माध्यम से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बेहतरीन बदलाव लाया जा सकता है। वन्य जीवन पर्यटन कहें या फिर पारिस्थितिक पर्यटन को यदि प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाए तो इसके दूरगामी परिणाम लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने मे काम आ सकती है। यही नहीं पारिस्थितिकी पर्यटन से होने वाली आमदनी का कुछ हिस्सा यदि प्रदेश के पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने की दिशा में खर्च किया जाए राजस्थान पर्यटन विकास में उदाहरण बन सकता है। ऊँटों, घोडों तथा जीपों पर सवार होकर सफारी करने वाले पर्यटक यहाँ के स्थानीय पेड़-पौधों और जीवजंतुओं की जीवनचर्या का दिल खोल कर निरीक्षण कर सकते हैं। पक्षियों के प्रेमी प्रेक्षकों के लिए खीचने के अतिरिक्त जैसलमेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित सुदासरी गाँव तथा इन्दिरा गांधी नहर के घेरे मे बसा हुआ मोहनगढ़ शीतकालीन पक्षियों के अवलोकन का केन्द्रीय स्थल है। रात्रि में जीप आदि साधनों से यात्रा करने वाले पर्यटकों को मरुस्थलीय लोमड़ियों, बिल्लियों, गीदडों, चिंकारों, काले हिरणों एवं खरगोशों के अतिरिक्त साँपों एवं अन्य रेंगने वाले जंतुओ को भी देखने के अवसर हर वक्त मिलते रहते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जीव जन्तु इस प्रकार से हैं -

17.4.1 पक्षी:

राजस्थान का मरूस्थल पक्षियों की अनेक किस्मों अथवा जातियों से भरापूरा है। यहां के मरूस्थल में भूरे रंग के तीतर, चकोर एवं बटेर जाति के अनेक पक्षी विचरण करते देखे जा सकते हैं। घास के मैदानों में फुदकती हुई चिड़ियाँ जहां बहुतायत से पाई जाती है वहीं यहां के शानदार पक्षी गोडावण की तो अपनी विशिष्ट शान है। पक्षी समुदाय में खासा बड़े आकार के इस पक्षी के बारे में कहा जाता है कि किसी समय सम्पूर्ण उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में यह फैला हुआ था। गोडावण अब अन्यत्र दुर्लभ है परन्तु छोटे-छोटे झुण्ड राजस्थान में आज भी अलग से दिखायी पड़ते है। यहां की पारिस्थितिकी के कारण ही गोडावण प्रदेश में बचा हुआ है। ऐसे में यह भी जरूरी है कि इस पारिस्थितिकी को सभी स्तरों पर बचाए रखने के प्रयास किए जाएं, अन्यथा कभी इस शानदार पक्षी से भी हमें महरूम होना पड़ जाए।

राजस्थानी में एक लोकगीत खासा प्रसिद्ध है। लोकगीत के बोल हैं- 'कुरजां ए म्हारा भंवर मिला दीजैकृ कृ। इसका अर्थ है कि कुरंजा से नायिका अनुरोध करती है कि वह उसका भंवर यानी

उसके प्रेमी, पति से करा दे। यहां लोकगीत का प्रसंग इसलिए कि 'कुरंजा' राजस्थान के लोकगीतों का ही प्रमुख पात्र नहीं है बल्कि यहां के जीवन में तो अब रच-बस सा गया है। प्रवासी पक्षी कुरजां की जातियाँ सितम्बर के मध्य में प्रतिवर्ष उस समय आती हैं जबकि मानसूनी बरसात समाप्त हो जाती है। यूरेशिया और मंगोलिया में घास के समतल मैदानों में अंडे देने के बाद यहां उड़कर आने वाले इस पक्षी से राजस्थान के लोगों की आत्मीयता विशेष रूप से है। हालांकि कुरंजा को मरूस्थल के अधिकाशं भागों में देखा जा है परन्तु इनका सबसे बड़ा केन्द्रवर्ती प्रवासस्थल खीचन गॉव है जो जोधपुर जिले में फलोदी के निकट बसा हुआ है। यहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में समूह में कुरंजा आते हैं। इनको देखने सुदूर स्थानों से पर्यटक खींचन एकत्र होते हैं। कुरंजा से स्थानीय लोगों का लगाव इस कदर हैं कि वे कुरंजा को दाने देने, उनसे बतियाने आते हैं। कुरंजा भी स्थानीय लोगों से डरकर उड़ते नहीं है। लोगों से आत्मीयता का परिणाम यह हुआ कि कुरंजा जन-मानस में अपनी विशिष्ट पहचान बना बैठा। और तो और लोकगीत में तो उसके चर्चे यंत्र-तंत्र सर्वत्र है। राजस्थान के खींच में प्रवासी पक्षी कुरंजा के आने का क्रम वर्षो से अनवरत जारी है।

कुरंजों की वजह से खींचने को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल चुकी है। जोधपुर 170 किलोमीटर की दूरी पर फलौदी तहसील में बसा खींचने 4445 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें कुरंजों के विश्रामस्थल, चारागाह और आहार-विहार के प्रदेश भी सम्मिलित है। वस्तुतः यह एक विशिष्ट कोटि का गाँव है जिसमें रेतीले टीलों, जल-उपकरणों तथा खुली-खुली झाड़ीयों के दृश्य अत्यंत ही लुभावने और उत्तम हैं। इस गाँव में प्रतिवर्ष औसतन छः हजार से अधिक संख्या में अनेक पक्षी शीतकाल का आनन्द उठाने के लिए प्रवेश करते हैं। वे प्रतिवर्ष सितम्बर के मध्य में आते है और मार्च के बीच लौट जाते हैं पिछले दस वर्षो के आकड़ों के अनुसार इन पक्षियों के आगमन की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। खींचने में शीतकाल में इन प्रवासी कुरंजों को यहां की प्रकृति सभी प्रकार का पूर्ण सहयोग, संरक्षण और आवास-सुविधाएं प्रदान करती है। इनके प्राकृतिक आहार न मिलने के कारण पिछले सौ वर्षो से यहां के स्थानीय निवासी बाजरी, ज्वार, मक्का और मोठ जैसे अनाज के दाने बिखेर कर उनकी आहार-पूर्ति करते हैं।

कुरंजा के अलावा अन्य पक्षियों के समुदाय में भूरे तीतर या चकोर, जंगली टिटहरियॉ, छोटी जाति के पतंगे, भारतीय रेतीले तीतर, सफेद चोंच वाले गीध, काली मधुमक्खीयॉ, चिकते लगे हुए उल्लू तथा सड़े-गले माँस की तलाश करने वाले गीध भी प्रदेश में विशेष रूप से देखे जा सकते हैं।

17.4.2 सरीसृप (रेंगने वाले जन्तु):

राजस्थान के मरूस्थल में रेंगने वाले जन्तुओं की संख्या भी कम नहीं है। उनमें सॉप, गिरगिट, छिपकलियां तथा कछुए प्रमुख हैं। यहाँ के अलिंगी जीवजन्तु तथा घरेलू छिपकलियॉ सर्वत्र सुलभ हैं। यहां पर आराकी शक्ल वाले जहरीले सांप भी पाये जाते हैं जो रात्रि में गिरगिट और छिपकलियों का शिकार करते हैं तथा स्तनपायी पशुओं को भी मार डालते हैं।

17.4.3 अभयारण्य एवं पेड़-पौधे:

पारिस्थितिक दृष्टि से राजस्थान के विभिन्न गांवों में वहां के पेड़-पौधे तथा वहाँ की वानस्पतिक सम्पदा अत्यधिक समृद्ध है। खेजड़ी को राजस्थान का सबसे अधिक उल्लेखनीय और

प्रमुख पेड़ कहा जा सकता है। जो यहाँ की पारिस्थितिकी तथा अर्थव्यवस्था को संभाले रखता है तथा मनुष्य जाति के निवास स्थानों से जुड़े हुए वन्यजीवन की विविधता में सहयोग देता है। यहां के जीवजंतु कुछ हद तक सहारा मरूस्थल की समरूपता से मिलते-जुलते हैं तथा कुछ भागों में मलाया तथा दक्षिण भारत की छवि प्रदर्शित करते हैं। वन्यजीवों में चिंकारा, नीलगाय, मरूस्थलीय लोमड़ी, सियार, मरूस्थलीय बिल्लियॉ, रातेल और साही जंतु प्रमुख हैं।

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में प्रख्यात रणथम्भौर दुर्ग के चारों और रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना है। इस उद्यान में बाघ, बघेरे, चीतल, नीलगाय, रीछ एवं चिंकारों को स्वच्छन्द विचरण करते देखा जा सकता है। इसी प्रकार भरतपुर में एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली केवला देव (घाना) राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है। यूनेस्को ने इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर में सम्मिलित किया है। यहां कॉमन क्रेन, दुर्लभ साइबेरियाई सारस, पोचार्ड, बैगरेल, गीज आदि पक्षियों के समूह पाये जाते हैं।

राज्य के अभयारण्यों में अलवर में बाघ परियोजना हेतु संरक्षित सारिस्का वन्य जीव अभयारण्य में शेर, बाघ के अलावा सांभर, चितल जंगली सुअर, चिंकारा आदि स्वच्छंद विचरण करते हैं। कोटा का दर्रा वन्य जीव अभयारण्य सांभर, हिरण के कारण जाना जाता है तो कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य रीछ, जंगली सुअर, मुर्गो एवं भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जयसमंद अभयारण्य बघेरे, लकड़बग्धे, सियार के कारण, वन विहार मोर, सांभर के कारण, सीतामाता अभयारण्य उड़न गिलहरियों के कारण, नाहरगढ़ जैविक उद्यान चिंकारो, काले हिरण के कारण, जमवारामगढ़ अभयारण्य लंगूरों के कारण, चम्बल अभ्यारण्य घड़ियालों के कारण, रामगढ़ अभयारण्य राष्ट्रीय पशु बाघ के कारण, गजनेर अभयारण्य इम्पीरीयल सेन्डगाउज के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा फूलवारी की चाल, भैंसरोढ़गढ़, बस्सी, सज्जनगढ़, शेरगढ़, बंध बारेठा, रावली हाडगढ़, कैलादेवी अभयारण्य पार्क, आबू अभयारण्य आदि में विविध वन्य जीवों को स्वच्छन्द विचरण करते देखा जा सकता है। वन्य जीवों में राजस्थान आसाम के बाद दूसरा देश का सबसे समृद्ध प्रांत है। यहां के अभयारण्यों के प्रति आकर्षण का ही परिणाम है कि पर्यटकों से इनके आस पास के क्षेत्र सदैव भरे रहते हैं।

17.4.4 राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जैसलमेर:

राजस्थान का मरूस्थल यहां की पारिस्थितिकी के साथ ही प्राचीन जीवाश्मों के कारण भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। जैसलमेर का राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान पर्यटकों मे अत्यधिक लोकप्रिय है। यह उद्यान जैसलमेर से पन्द्रह किलोमीटर की दूरी पर बाड़मेर मार्ग पर अवस्थित है। जिसका क्षेत्रफल इक्कीस हैक्टर भूमि में व्याप्त है। इसे 180 मिलियन वर्षो के पूर्व के पाषाण युगीन का जीवंत उदाहरण माना जाता है।

राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान में सबसे बड़ा जीवाश्म 7 मीटर लम्बा और 1.5 मीटर चौड़ा है। इनके अतिरिक्त और भी जीवाश्म छोटे-छोटे जंगलों में धरातल के नीचे छुपे पड़े हैं। इन जीवाश्मों के विद्यमान होने से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन दिनों के मरूस्थल की जलवायु अत्याधिक उष्ण और आद्र थी जिसके कारण वन हरे-भरे और उर्वर रहते थे। उद्यान में पाषाणीकृत लट्ठों की संख्या भी कम नहीं है तथा यहाँ छोटे-छोटे वन्य काष्ठों के भी ढेर के ढेर

मिलते हैं जिनमें फल भी सम्मिलित हैं। वे सब के सब इस उद्यान के धरातल इधर-उधर बिखरे पडे हैं।

17.4.5 मरूस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान:

थार मरूस्थल का महत्वपूर्ण भाग जैसलमेर और बाड़मेर जिलों से संबद्ध हैं| जैसलमेर और बाड़मेर का 3100 किलोमीटर का क्षेत्र घेरता हुआ पश्चिमी राजस्थान के 110 गॉवों की परिधि तक फैला राष्ट्रीय उद्यान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का स्पर्श करता है। अभयारण्य को राजस्थान की जैविक क्षमता का निर्देशन कहा जा सकता है। जलवायु की दृष्टि से यह अभयारण्य गर्मी के तापमान की सीमा तक पहुंच जाता है। यहां पर तेज चलने वाली हवाओं का वेग, अपेक्षित आर्द्रता की कमी, वाष्पीकरण का बढ़ा हुआ अवक्षेपण तथा बरसात की विरलता यहां की हरियाली एवं पशुसम्पदा की मात्रा तथा संख्या घटाने वाली है। यहाँ के भू-प्रदेशों का भव्यात्म स्वरूप बालू के उन टीबों में प्रदर्शित होता है जो मिट्टी और कीचड़ से मिश्रित रेतीले मैदानों के साथ जुड़े हुए हैं। अधिकांश टीबे फोग वृक्ष से भरे-पूरे है। यहां की स्थलाकृति बजरी और रोड़ी तथा पथरीली और चट्टानी जमीन से निर्मित है जिसमें अलग-थलग पड़ने वाली कुछ पर्वतश्रेणियां भी शामिल की जा सकती हैं।

पारिस्थितिक दृष्टि से यह अभयारण्य 'कंटीले वन-प्रदेश' का प्रतीक है| यहां की सम्पूर्ण वनसम्पदा मरूस्थलीय पर्यावरण के अनुकूल है जिसमें उगने वाले पेड़-पौधों की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत होने के कारण अनावृष्टि के बोझ को भी झेल लेतीं है। उनकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे अपने अनुकूल अंतराल में भी अपनी जैविक क्षमता कायम रख सकती हैं। इस अभयारण्य में तीन सौ प्रकार के पेड़-पौधों का आवरण विद्यमान है जिसमें तीस प्रकार की घासों की किस्में सम्मिलित हैं। कम वर्षा के बावजूद भी यहाँ की जलतालिका तीस से एक सौ मिलीमीटर के अंतर्गत भिन्न-भिन्न औसतों में विभक्त होती हुई यहाँ के पानी का खारापन तथा उसका नमकीन स्वाद जताती है।

अभयारण्य चट्टानी भूभाग, बजरी और रोड़ी के मैदान तथा कछारी प्रदेश भिन्न-भिन्न प्रकार के पेड़-पौधों की किस्मों से भरा पड़ा है। इसी कारण इसे 'मिश्रित पेड़-पौधों का कंटीला वन' कहा जा सकता है। यहां थोर तथा उसकी अनेक उपजातियॉ पायी जाती है। अनेक पर्वतारोही थोर के सहारे ऊपर चढ़कर अपने गंतव्य स्थलों तक पहुंचते हैं। जहां पर इस क्षेत्र का चट्टानी प्रदेश प्राय: समतल है, वहाँ पेड़ों और छोटी-छोटी और बौनी झाड़ियों का एक अद्भुत सा मेल हो जाता है जिससे यह वन पूरा कंटीला बन जाता है। इस प्राकृतिक स्थल में खारी जल, रोहिड़ा, आक तथा इन्हीं किस्मों के अनेक पेड़ उगते हैं। यहां के बजरी और रोड़ी के मैदानों में बिचले कदवाली रेगिस्तानी झाड़ियां उगती हैं। कैर तथा बोरड़ी नाम के दो सामान्य पेड़-पौधे यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल है जिनके साथ जुड़े हुए अन्य वृक्षों की अनेक जातियाँ अपना प्रभुत्व प्रकट करती है। यहाँ के टीबों में पेड़-पौधों की परिपूर्णता दर्शनीय है।

भिन्न-भिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों में उगने वाले पेड़-पौधों की भांति यहाँ के पशुओं में भी विभिन्नताएँ पायी जाती है। यह अभयारण्य अनेक प्रकार के रीढ़विहीन जीवजंतुओं के अतिरिक्त सरीसृपों, पक्षियों और स्तनपायी जानवरों से भरा पड़ा है। ओरणों में पाए जाने वाले सरीसृपों और पक्षियों की भाँति यहां के सरीसृप और पक्षी भी अरक्षित और सुरक्षित साधारण श्रेणी के हैं। इस

क्षेत्र के पक्षीवर्ग पर ईथोपिया जाति के पक्षियों का प्रभाव अंकित है। यहाँ का भूरा तीतर या चकोर प्रसिद्ध है। यहाँ पर सामान्य बटेर के अतिरिक्त उसी किस्म के अनेक पक्षी बहुतायत से पाये जाते है। गोडावण पक्षी का भी अभयारण्य आश्रय स्थल है। यही पर सितम्बर के महीने में यूरोप से गुलाबी रंग की सुरीली मैना तथा चितकबरे पक्षी आते रहते है। यह तिलोर, शाही, तीतर तथा राजगिद्धों का मनपसंद प्रदेश है।

17.4.6 तालछापर:

चुरू जिले में अवस्थित तालछापर अभयारण्य काले हिरणों और खरगोशों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। बीकानेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर सुजानगढ़ रोड पर स्थित तालछापर अभयारण्य देश का अपने आप में विशिष्टतम अभ्यारण्य है। कहते हैं महाभारत काल में इसका नाम छापर द्रोणपुर था। लोगों का विश्वास है कि उस समय के सुप्रसिद्ध गुरू द्रोणाचार्य का यह आश्रम था। अभयारण्य लगभग 722 हैक्टर भूमि पर फैला हुआ है जिसमें एक हजार से भी अधिक काले हिरण देखे जा सकते हैं। इतने कम क्षेत्रफल वाले प्रदेश में इतने अधिक जानवरों का निवास इनकी विचित्रता का द्योतक है। यहां का पानी खारा है तथा इस अभ्यारण्य के चारों ओर नमक के गड्डे (विशेष रूप से गोपालपुरा के आस-पास) देखे जा सकते है। यहां पर भैंसललावा तथा डुगोलावा नाम की दो छोटी-छोटी झीलें भी विद्यमान हैं।

प्रवासी पक्षी कुरजां और सारसों के आश्रयस्थल के रूप में भी तालछापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ये पक्षी सितम्बर में आकर झील के चारो ओर मंडराते हैं और मार्च तक यहीं रहते हैं। अभयारण्य पक्षियों की लगभग 150 जातियों का आवास क्षेत्र है जिसमें सिरघुटी बतखें, कई प्रकार के उल्लू छोटे-बड़े बगुले, उकाब, गुड़गुड़ियॉ तथा पनडुब्बियॉ आदि अनेक पक्षी निवास करते हैं। यहाँ पर फनवाले जहरीले साँपों की जातियाँ तथा रेंगने वाले जंतुओं के अनेक प्रजातियाँ भी पायी जाती है जिनमें कोबरा और वाइपर साँप तथा अनेक किस्मों की छिपकलियाँ और गिरगिट प्रमुख हैं।

17.4.7 पारिस्थितिकी पर्यटन समृद्ध क्षेत्र:

राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की परियोजना विश्व के सम्पूर्ण मरूस्थलों में सबसे बड़ी और विशाल है जिसकी सिंचाई-प्रणाली सबसे अधिक महंगी मानी जाती है। इस नहर परियोजना का पानी श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों की सीमा में प्रवेश कर चुका है तथा शीघ्र ही बाड़मेर जिले में भी पहुंचने वाला है।

नाचना-मोहनगढ़ की आरक्षित पट्टी का परीक्षण वहाँ के पारिस्थितिक रूपान्तरण की जाँच करने के लिए किया गया था जो इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कारण हुआ है। इस रूपांतरण ने वहाँ के प्राकृतिक परिदृश्यों को ही बदल दिया तथा नहरी क्षेत्र का शुष्क प्रदेश आर्द्र और हरे भू-भाग में परिवर्तित हो गया। नाचना-मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र के अलावा यह स्थिति उन प्रदेशों की भी हो गई थी जो नहरी भूमि के आस-पास अवस्थित थे। जीवजंतुओं और पेड़-पौधों की दृष्टि से भी इस क्षेत्र की कायापलट हो गई।

जोधपुर से दक्षिण-पूर्व की दिशा में साठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरदारसमंद झील क्षेत्र पारिस्थितिकी पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। सूकड़ी और गुहिया नाम की लूणी नदी

की सहायक नदियों के संगम पर यह बसा हुआ है। सरदारसमंद झील एक ऐसी आर्द्रभूमि है जिसका क्षेत्रफल 2.8 वर्ग किलोमीटर है किन्तु जो 35.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। गर्मी के मौसम में घूमने-फिरने अथवा छुट्टियाँ मनाने के लिए सैर करने का यह एक उपयुक्त स्थल है जिसे आखेटकों और प्रकृतिप्रेमियों की पसंद का सबसे बढिया विकल्प कहा जा सकता है। स्थानीय तथा दूर-दूर के प्रदेशों से आए हुए पक्षियों की 130 से भी अधिक जातियाँ यहां निवास करती है। विशेष रूप से यहां पाए जाने वाले पक्षियों में चमचा पक्षी, रंगीन सारस, सफेद सारस, कुरजें, कंघीनुमा बतखें, बेलचा तथा चितकबरी जंघिने देखने लायक है।

इसके अलावा जवाई बांध की आर्द्र भूमि भी पारिस्थितिकी पर्यटन की अपार संभावनाएं लिए हैं। अरावली की पर्वतश्रेणियों में अवस्थित यह भूभाग मरूस्थल का निकटवर्ती है जिसकी संकर्मणशील स्थिति होने के कारण यह प्रदेश एक ओर तो औसत दर्जे की वर्षा का मानदंड प्रस्तुत करता है तो दूसरी ओर मरूस्थल के शुष्क क्षेत्र का इजहार करता है। यहां पाए जाने वाले सारस, कुरजें, काली बतखें, शाही मछलियाँ, गुड़गुड़े, पिद्दी चिडियॉ, चुपके और रंगीन बतखें विशेष आकर्षण के केन्द्र हैं। टीलो पर उभरी हुई चट्टानों का खनिज के अंश जिन्हें हम 'मगरा जल की प्राकृतिक देन' कहते हैं, अधिकांश पक्षियों को अपने घोसले बनाने त बसेरा लेने का अवसर प्रदान करते हैं। इन पक्षियों में से कुछ पक्षी तो यहीं पर अपने अंडे देते है तथा उन्हें पालते-पोसते हैं। मगरा जल का यह प्राकृतिक प्रदेश अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियॉ, छोटी-बड़ी झाड़ियों और पेड़ों से परिपूर्ण है। यहां तेंदुए, लकड़बग्धे, सियार, खरगोश, नीलेसांड तथा लंगूर आदि को भी देखा जा सकता है।

पारिस्थितिकी पर्यटन की दृष्टि से बीकानेर जिले का जोड़ बीड़ क्षेत्र भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आरक्षित वन क्षेत्र है जो बीकानेर-नापासर मार्ग पर बीकानेर से सोलह किलोमीटर दूर पड़ता है। इसका क्षेत्रफल 75 वर्ग किलोमीटर है। अपने विशिष्ट प्रकार के रेगिस्तान के कारण जोड़-बीड़ राजस्थान में पारिस्थितिकी पर्यटन का प्रमुख केन्द्र कहा जा सकता है। यहां के प्राकृतिक परिवेश में छोटी-छोटी झाड़ियाँ, मिट्टी, कंकड़ीली जमीन तथा बालू के टीबे पाए जाते है। जलवायु यहाँ की शुष्क तथा भूमि बंजर है। यहाँ की बरसात का वार्षिक औसत तीन सौ मिलिमीटर के लगभग हैं तथा गर्मी का मौसम आने पर मई-जून के महीनों में यहाँ का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस क्षेत्र में चिन्कारे, रेगिस्तानी लोमड़ियॉ और बिल्लियाँ तथा नील गायें प्रचुर संख्या में पाई जाती है। यहाँ पर जंगली सुअरों की भी भरमार है|

17.5 पारिस्थितिकी पर्यटन विकास:

केन्द्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा इसके तहत पारिस्थितिकी पर्यटन का आनंद उठाने के इच्छुक पर्यटकों को छोटे समूहों में वहां ले जाए जाने के पैकेज टूर विकसित करने के साथ ही उन्हें पर्यावरण के प्रति अनुराग पैदा करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें प्रकृति की प्रशंसा करने के लिए प्रेरित किया जा सके| पर्यटन के तहत इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि पर्यटकों द्वारा की जाने वाली पर्यटन गतिविधियाँ पर्यावरण अनुकूल हों। ऐसी गतिविधियाँ स्थानीय संस्कृति एवं परम्पराओं के भी अनुकूल हों ताकि पर्यटन स्थल के स्थानीय लोगों को उनकी संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ पर्यटन उद्योग में प्रमुख कर्त्ताओं

के रूप में शामिल किया जा सके और वे स्वयं भी बाहर से आने वाले पर्यटकों की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने मे सक्षम हों।

देश के पर्वतीय व प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण पर्यटन स्थलों के आस-पास के स्थलों पर इधर के वर्षों में तेजी से होने वाला वनों की कटाई कार्य पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास की सबसे बड़ी बाधा है। इस दिशा में सैरगाहों से सटे इलाकों में पेड़ों की कटाई को दृढ इच्छा शक्ति से रोके जाने के नियम बनाए जाने भी अधिक जरूरी हैं, ये नियम कागजों में बने ही नहीं बल्कि व्यावहारिक क्रियान्वित भी हो, इसके साथ ही बरबाद हो चुके जंगलों को पुर्नजीवित करने के प्रयास भी इस दिशा में प्रभावी पहल हो सकती है। पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर भवन निर्माण गतिविधियों पर भी कड़ी रोक लगायी जानी जरूरी है चूंकि इससे हरियाली की सघन श्रृंखलाएँ अब समाप्त सी होती जा रही है। पर्यटन संवर्धन की सभी गतिविधियाँ में पर्यावरण और परिवेश के रखरखाव के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की स्थापना का पूरा ध्यान रखा जाकर भी पारिस्थितिकी पर्यटन को सही मायने में विकसित करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। प्रकृति के संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन को दरअसल अब स्थानीय लोक कला तथा संस्कृति को जिन्दा रखने तथा बढ़ावा देने का माध्यम बनाए जाने की भी अधिक जरूरत है। तभी न केवल संस्कृतिक संरक्षण होगा बल्कि पर्यटन में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी समुचित रूप में होगी।

17.6 पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के उपाय

पारिस्थितिकी पर्यटन विकास के अंतर्गत देश में वैज्ञानिक नियोजन, प्रभावी नियंत्रण तथा सतत प्रबंधन सभी स्तरों पर लागू किया जाना आवश्यक है। पर्यटन विकास के अंतर्गत निम्न बातों पर विशेष ध्यान देकर पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है- विकास प्रकिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सभी स्तरों पर तय की जाए। इसके साथ ही पर्यटन से संबंधित स्थानीय क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास का ध्यान रखा जाए।

- पारिस्थितिकी पर्यटन द्वारा पर्यटन के लिए उपयुक्त संसाधन और स्थानीय लोगों को जीविका के मध्य संभावित अंतर्द्वन्दों को कम करने के प्रयास हों।
- पर्यटन विकास की प्रकिया स्थानीय समुदाय के पर्यावरण और सामाजार्थिक गुण विशिष्टता के अनुकूल होना चाहिए।
- पेशेवर लैंडस्केप आर्किटेक्ट और शहरी नियोजन करने वाले स्थानीय समुदायों और सीधे तौर पर जुड़े अन्य लोगों के साथ राय-मशविरा करके प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रबंधन योजना बनाएं।
- एक ही क्षेत्र के अंदर और विभिन्न क्षेत्रों के बीच टकराव रोकने के लिए समन्वित नियोजन अपनाया जाना चाहिए।
- इको-टूरिज़्म केन्द्रों के लिए वास्तुशिल्प संबंधी योजना में नियंत्रित पहुँच वाले केन्द्रों और कक्षों, सड़कों, स्व-निर्देशित प्राकृतिक यात्रा पथों, परिवहन संबंधी विकल्पों, निर्देशिन केन्द्रों, मार्गदर्शक चिन्हों, प्रेक्षण टावरों, खाने और ठहरने की पर्याप्त सुविधा, कूड़े-कर्कट के निपटान की सुविधा और इसी तरह की आवश्यक सुविधाओं को शामिल किया जाना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो परियोजना कर्मियों के लिए उपयुक्त रिहायशी मकान और सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

- ऐसे ढांचे जिनसे दृश्य भद्दा दिखाई देने लगे, कलात्मक मानदंडो से रहित संरचनाओं और मेल न खाने वाले वास्तुशिल्प पर पाबंदी लगायी जानी चाहिए और स्थानीय भवन निर्माण सामग्री पर आधारित ऐसी अस्थायी संरचनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे स्थानीय पर्यावरण को लाभ हो।
- भौगोलिक दृष्टि से अस्थिर क्षेत्रों में विकास कार्यो पर रोक लगायी जानी चाहिए और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का समुचित मूल्यांकन करने के बाद विकास और बफर क्षेत्रों का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- पर्यटन क्षेत्रों में नवीन भवन निर्माण के संबंध में नियम-कानून इस रूप में बनाए जाएं कि उससे वहां की पारिस्थितिकी पर किसी प्रकार का प्रतिकुल असर नहीं पड़े।
- विकास संबंधी गतिविधियों की सीमा तय करने के लिए पर्यावरण संबंधी, भौतिक और सामाजिक क्षमताओं का निर्धारण होना चाहिए।
- पर्यटन संबंधी गतिविधियों के दुष्प्रभाव की लगातार निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिए।
- पर्यटक क्या देखें? कैसे देखें? लोगों से किस तरह व्यवहार करें? इस संबंध में सभी स्तरों पर जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था प्रभावी रूप में की जाए।
- सभी पर्यटकों के लिए आचार संहिता तैयार कर उनको व्यापक रूप से प्रचारित-प्रसारित किया जाना चाहिए।
- पर्यटन प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों, नियोजकों, आपेरेटरों और आम जनता के लिए इको-टूरिज़्म के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने चाहिए।
- पर्यटन का संवर्द्धन और नियोजन गहन पारिस्थितिकीय सिद्धान्तों पर आधारित एक समेकित, किन्तु विस्तृत संसाधन प्रबंधन योजना के प्रमुख भाग के रूप में किया जाए।

पर्यटन के निरंतर दोहन के तहत जब हम आर्थिक रूप में लाभ कमा रहे हैं तो क्या यह जरूरी नहीं है कि प्रकृति व संस्कृति के संरक्षण की दिशा में भी हम पहल करें। पारिस्थितिकी पर्यटन के तहत पर्यटन के ऐसे प्रबंध जिसमें मानव प्रकृति के आंतरिक संतुलन को क्षति पहुंचाए बिना उससे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके, इस दिशा में महत्ति पहल हो सकती है।

17.7 सारांश:

पारिस्थितिकी पर्यटन के अंतर्गत पर्यावरण पर्यटन के अंतर्गत प्राकृतिक सम्पदाओ के संरक्षण के साथ ही पर्यावरण पर पर्यटन के पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम से कम करने पर जोर दिया जाता है। परिभाषा के अनुसार- "यह दायित्वपूर्ण पर्यटन है, जो प्राकृतिक सम्पदाओं के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय लोगों के धारणीय हित का ध्यान रखता है।" पारिस्थितिकी पर्यटन दरअसल पूर्णत: प्रकृति पर आधारित है, चूंकि इसके अंतर्गत पर्यटक आम तौर पर प्राकृतिक स्थानों की प्रकृति और परम्परागत संस्कृति को देखने और आनंद लेने के लिए आते है। इससे जैव विविधता के संरक्षण मे भी मदद मिलती है साथ ही स्थानीय लोगों के कल्याण को पारिस्थितिकी पर्यटन से ही बढ़ावा दिया जा सकता है। चूंकि स्थानीय लोगों को इससे रोजगार मिलता है तथा उनकी भागीदारी भी इसमें किसी न किसी रूप में होती है।

पिछले कुछ वर्षो में भारत में पारिस्थितिकी पर्यटन की सोच से पर्यावरण संरक्षण पर ही नहीं ध्यान दिया जा रहा बल्कि पर्यटन उद्योग के तीव्रतम विकास के अंतर्गत स्थानीय समुदाय की अधिकाधिक सहभागीता को भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

राजस्थान पारिस्थितिकी पर्यटन की दृष्टि से खासा समृद्ध है। यहाँ की पारिस्थितिकी में विषमताएं होते हुए भी बहुत से जीव जन्तु, पेड़-पौधे अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। वैसे भी राजस्थान में सागर और बर्फ के अलावा सब कुछ तो है। सघन वन, वन्य जीव, मरूस्थल, दुर्लभ वनस्पतियां आदि सभी कुछ पारिस्थितिकी पर्यटन से अत्यधिक समृद्ध हैं। पारिस्थितिकी पर्यटन विकास के लिए सुनियोजित योजना के तहत कार्य करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पारिस्थितिकी पर्यटन विकास के लिए पारिस्थितिकी संपन्न स्थानों का चिन्हाकर कर वहां पर्यटकों की सुविधा के लिए सूचना बोर्ड लगाए जाने के साथ ही आवश्यक सुविधाओं का विकास भी किया जाना चाहिए।

पर्यटन के अंतर्गत निरंतर प्रकृति दोहन के अंतर्गत हम आर्थिक लाभ कमा रहे हैं तो क्या यह जरूरी नहीं है कि पर्यटन का विकास प्रकृति संरक्षण के साथ हो। इस दिशा में पारिस्थितिकी पर्यटन निश्चित ही महत्ति पहल है। इस इकाई मे आपको पारिस्थितिकी पर्यटन की अवधारणा के साथ ही भारत एवं राजस्थान में पारिस्थितिकी पर्यटन की संभावनाएं एव विकास की चुनौतियों पर जानकारी दी गयी है। इससे आप पारिस्थितिकी पर्यटन विकास में अपना योगदान दे सकेंगे।

बोध प्रश्न:

1. 'पारिस्थितिकी पर्यटन पर्यावरण संरक्षण की सोच से जुड़ा पर्यटन है।' इस कथन के संबंध में पारिस्थितिकी पर्यटन की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डालिए।

   ....

   ....

2. 'भारत में पारिस्थितिकी पर्यटन की अथाह सम्पदा है।' इस कथन के परिप्रेक्ष्य में देश में पारिस्थितिकी पर्यटन की स्थिति समझाईये।

   ....

   ....

3. राजस्थान में पारिस्थितिकी पर्यटन की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास के लिए अपने सुझाव दीजिए।

   ....

   ....

4. राजस्थान में पारिस्थितिकी पर्यटन समृद्ध क्षेत्रों के बारे में संक्षेप में लेख लिखिए।

   ....

   ....

5. पारिस्थितिकी पर्यटन से सामाजिक विकास को कैसे गति दी जा सकती है?

   ....

   ....

इस खंड के लिए उपयोगी पुस्तकें:

खंड 4 के अंतर्गत इकाई संख्या 13 से 17 तक आपने राजस्थान में पर्यटन के नए उभरते आयामों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है।

इस खंड के संदर्भ के लिए आपको निम्न पुस्तकें सुझायी जा रही हैं -

1. कटेम्परेरी टूरिज्म: होस्पीटलिटी एण्ड मार्केटिंग - प्रवीण सेठी
2. इंडिया दूरिस्ट डेस्टीनेशन फॉर आल सीजन - सुदेश लहरी
3. टूरिस्ट बिहेवियर - अर्पणा राज
4. राज्यस्थान में पर्यटन प्रबन्ध - डी. राजेश कुमार व्यास
5. टूरिज्म एंड डवलपमेंट - ब्रेडन, जान, एम.

TM-04

खण्ड-	: राजस्थान में पर्यटन

इकाई-18 राजकीय नीति
इकाई-19 पर्यटन संगठन
इकाई-20 पर्यटन आकर्षण एवं व्यवस्थाएँ

खण्ड-5 : राजस्थान में पर्यटन

इकाई -18 : राजकीय नीति

रूपरेखा:

18.0 उद्देश्य
18.1 प्रस्तावना
18.2 राजस्थान में पर्यटन
18.3 पर्यटन को उद्योग का दर्जा
18.4 राजस्थान की पर्यटन नीति
18.5 पर्यटन नीति के उद्देश्य
18.6 पर्यटन नीति के मुख्य तत्व:
18.6.1 आवास सुविधाएं
18.6.2 कैम्प या पर्यावरण पर्यटन
18.6.3 मार्गस्थ सुविधाएं
18.6.4 विरासतीय महत्व वाली नुजूल सम्पतियों का विकास
18.6.5 आरटीडीसी पर्यटन विकास के उत्प्रेरक के रूप में
18.6.6 पर्यटन में पूंजी विनियोजन
18.6.7 पर्यटन परिवहन (रेल)
18.6.8 पथ परिवहन
18.6.9 हवाई यात्रा
18.6.10 पर्यटन स्वागत केन्द्र
18.6.11 पर्यटन सूचना एवं प्रसार
18.6.12 पर्यटक उत्पादों में वृद्धि करना
18.6.13 विरासतीय पर्यटन
18.6.14 पथ प्रदर्शक (गाईड)
18.6.15 स्वदेशी पर्यटन
18.6.16 विशेष पर्यटन क्षेत्र
18.6.17 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का परीरक्षण
18.6.18 सहायक सेवाओं को कमोन्नत करना
18.6.19 पर्यटन व्यापार विनियम अधिनियम
18.6.20 पर्यटन उद्योग की समस्याओं का निराकरण करना
18.7 सारांश

18.0 उद्देश्य:

इस इकाई को पढने के बाद आप -

- राजस्थान में पर्यटन के बारे में जान सकेंगें।

- पर्यटन को उद्योग के रूप में परिभाषित कर सकेंगे।
- राजस्थान की पर्यटन नीति को समझ सकेंगे।
- पर्यटन विकास के लिए प्रदेश में चलायी जा रही विभिन्न विकास योजनाओं से अवगत हो सकेंगे।
- पर्यटन के जरिए विकास को व्यवहार में परिणत कर सकेंगे।

18.1 प्रस्तावना:

उपनिषदों में कहा गया है - "चरेवैती चरेवैती" अर्थात् चलते रहो, चलते रहो। यात्रा का दरअसल जीवन से अविच्छिन्न संबंध हैं। जीवनगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिकाल से मनुष्य यात्राएं करता आ रहा है। मानव विकास के साथ-साथ यात्रा का स्वरूप, अर्थ और उद्देश्य में बदलाव आता रहा है। इधर यात्रा ने पर्यटन का रूप ग्रहण कर लिया है। अपरिचित स्थानों, सभ्यता एवं संस्कृति को जानने, समझने एवं परखने की जिज्ञासा वस्तुत: मनुष्य की स्वभावगत प्रवृति है और इस प्रवृति का ही परिणाम है- पर्यटन।

वर्षो पहले जब आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था तब भी लोग घर से बाहर सुदूर स्थानों पर कुछ दिन के लिए सैर सपाटे के लिए निकला करते थे। तब पर्यटन वर्तमान व्यवस्थित रूप में नहीं था। पर्यटकों के लिए सुविधाओं का भी अभाव था। मार्गस्थ सुविधाएं तो लगभग नहीं के बराबर थी। धीरे-धीरे इस दिशा में विकास की पहल हुई और धर्मशालाओं, सरायों, की स्थापना होने लगी। आवागमन साधनों की दिशा में भी विस्तार हुआ, तो मार्ग भी सुगम होने लगे। पर्यटन की आदिकाल की अवधारणा ने भी व्यापक स्वरूप धारण कर लिया।

पर्यटन आज विश्व का तीव्र गति से विकास करने वाला महत्वपूर्ण उद्योग है जिसका वार्षिक टर्न ओवर 34 खरब डॉलर से भी अधिक है। बिना चिमनी और धुएँ के इस उद्योग ने अब व्यवस्थित रूप धारण कर लिया है। बहुत से देशों और राज्यों में पर्यटन के सुव्यवस्थित विकास का प्रमुख आधार वहाँ की रीतियां-नीतियां ही हैं|

राजस्थान के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यहां पर्यटन की असीम संभावना है। आन-बान और शान के प्रदेश कहे जाने वाले राजस्थान की धरती के बारे में कवि कन्हैयालाल सेठिया की ये पंक्तियाँ सर्वथा सटीक हैं- "आ तो सरगां ने सरमावै, इण पर देव रमण नै आवै, धरती धोरां री।" राजस्थान में कहीं दूर तक पसरा रेगिस्तान, ऐतिहासिक किले और महल, झीलें, नदियां, रेत के धोरों में गूंजती लोक संगीत की स्वर लहरियां पर्यटकों को रिझाती हैं तो कहीं जीवन के उल्लास एव उमंग से जुड़े यहां के मेले और उत्सव माटी की सोंधी महक का अनायास ही अहसास कराते है। राजस्थान में पर्यटन की शुरुआत बहुत पहले ही हो गयी थी परन्तु नियोजित रूप से पर्यटन की दिशा में विशेष ध्यान नहीं दिए जाने का ही परिणाम है कि आज भी पर्यटन से आय में राज्य का हिस्सा बहुत कम है। पर्यटन नीति के तहत पर्यटन प्रबंध को सिद्धान्त में ही नहीं व्यवहार में अपनाया जाए तो यहाँ का पर्यटन उद्योग विकास का नया इतिहास रच सकता है। राजस्थान में पर्यटन की कैसी है स्थिति, पर्यटन की क्या कुछ है संभावनाए, पर्यटन मिले उद्योग के दर्जे, नई पर्यटन नीति के बारे में ही इस इकाई में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। आईए, जानें -

18.2 राजस्थान में पर्यटन:

तीर्थाटन के रूप में देशाटन की परम्परा राजस्थान में आरम्भ से ही रही है। देशी रियासतों के एकीकरण के साथ ही राजस्थान का वृहद रूप भले ही एक राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया परन्तु तीर्थाटन से पर्यटन की शुरूआत तो राजस्थान में देश की स्वतंत्रता से बहुत पहले ही तब हो गयी थी जब अंग्रेजों के शासन काल में राज्य के कुछ राजा-महाराजाओं ने पर्यटन को एक आर्थिक साधन के रूप में अपना लिया था। उन्होंने पर्यटन से ही तत्कालीन राज्य-व्यवस्था के आर्थिक पक्ष को पर्यटन से कहीं अधिक सशक्त किया था। इस बात के गवाह उनके किले व महल हैं जो पर्यटकों के लिए, विशेषकर विदेशी सैलानियों के लिए निरंतर खुलते चले गए। किले, महलों की विरासत के प्रदेश राजस्थान में आज भी उनकी याद हैरिटेज होटल दिलाते हैं। यद्यपि स्वतन्त्रता से पूर्व राज्य में पर्यटन का विकास प्रबंधन की दृष्टि से कोई खास स्वरूप नहीं लिए हुए था फिर भी विदेशी मुद्रा आय प्राप्ति का यह बड़ा साधन बन चुका था। बहरहाल राजस्थान में पर्यटन की आरंभ से ही परम्परा रही है, इससे किसी भी स्तर पर इन्कार नहीं किया जा सकता।

वैसे भी राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से क्या नहीं है। समुद्र और बर्फ के अलावा सब कुछ तो है यहां पर। रेत के टीबे, पहाड़, नदियां, सुंदर वन, ऐतिहासिक किले, गढ़, दुर्ग और उत्सवधर्मिता का यहां का जीवन-सभी कुछ इस कदर मनभावन है कि एक बार कोई पर्यटक यहां आ जाता है तो फिर वह बार-बार यहां आना चाहता है।

देश में आने वाला हर तीसरा पर्यटक आज राजस्थान आता है। पर्यटन के क्षेत्र में आज राजस्थान विश्व मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। राज्य मे पर्यटन विकास का कार्य तीन स्तरों पर संपादित किया जाता है। प्रथम स्तर के अंतर्गत पर्यटन का संवर्धनात्मक, द्वितीय स्तर पर विकासात्मक, तथा तृतीय स्तर पर विनियामक कार्य किए जाते हैं। संवर्धनात्मक कार्यो के अंतर्गत पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार, पर्यटन साहित्य का प्रकाशन, पर्यटक सूचना केन्द्रों का संचालन, मेले एवं उत्सवों का आयोजन आदि का कार्य किया जाता है वहीं विकासात्मक कार्यो के अंतर्गत नये पर्यटन स्थलों का चयन एवं प्रचार, पर्यटक स्थलों का विकास, मीडवे एवं होटलों का निर्माण, पर्यटन योजनाओं का निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। विनियामक कार्यो के अंतर्गत ट्रेवल एजेन्सियों का प्रमाणीकरण, होटलों का वर्गीकरण, गाईडों को अनुज्ञापत्र दिए जाने आदि के कार्य किए जाते हैं। राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास को ध्यान में रखते हुए ही सर्वप्रथम 1956 में स्वतंत्र रूप से पर्यटन विभाग की स्थापना की गयी। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से बाद में 1 अप्रेल 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का गठन किया गया। निगम द्वारा पर्यटकों को आवास, भोजन, यातायात, नौकायन, पैलेस ऑन व्हील जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है|

पर्यटन के बढ़ते महत्व तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ ही सुनियोजित तरीके से पर्यटन के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1989 में प्रदेश में पर्यटन को उद्योग घोषित किया गया। पर्यटन से बड़ी मात्रा में राज्य को विदेशी मुद्रा आय ही नहीं होती बल्कि बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। पर्यटन की दिशा में विकास की विशिष्ट पहल तब हुई जब वर्ष 2001 में राजस्थान पर्यटन नीति की घोषणा की गयी। पर्यटन

नीति के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर पर्यटकों का प्रदेश में आगमन सुनिश्चित करने के साथ ही स्थानीय लोगों की पर्यटन में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए व्यवहार में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिलाने की दिशा में कारगर उपाय किए जाने पर जोर दिया गया है|

18.3 पर्यटन को उद्योग का दर्जा:

पर्यटन देश में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा स्त्रोत है। विश्व मानव संसाधनों के 10.6 प्रतिशत व्यक्ति पर्यटन व्यवसाय से जुडे हुए हैं एवं पर्यटन उद्योग का विश्व की कुल सकल आय में 10.2 प्रतिशत का योगदान है। पिछले एक दशक में राजस्थान ने अत्यधिक लोकप्रिय पर्यटन राज्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। विदेशी पर्यटक राज्य में प्रतिदिन लगभग 1500 रूपये का एवं देशी पर्यटक 750 रूपये का अनुमानित व्यय करते हैं। इसी प्रकार विदेशी पर्यटक राज्य में 2.5 दिवसों का अनुमानित विश्राम करता है। देशी एवं विदेशी पर्यटक कुल मिलाकर राज्य में प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रूपये से भी अधिक का व्यय करते हैं। पर्यटन व्यवसाय में व्यय हुए प्रत्येक रूपये का 13 बार विनियम होता है एवं प्रत्येक होटल का कमरा जो कि किराये कि लिए लिया जाता है, से 3 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं 8 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होता है।

पर्यटन के बढ़ते आर्थिक महत्व एवं देश तथा राज्य को निरंतर होने वाली आय को दृष्टिगत रखते हुए ही राज्य में पर्यटन को उद्योग घोषित किए जाने की दिशा में पहल हुई। पर्यटन व्यवसाय की विपुल संभावनाओं को ध्यान में रखकर वर्ष 1989 में राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया था। आज राज्य में पर्यटन विदेशी मुद्रा प्राप्ति का बड़ा स्त्रोत ही नहीं है बल्कि इसमें बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है।

18.4 राजस्थान की पर्यटन नीति:

पर्यटन बगैर चिमनी और धुएँ का उद्योग है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही दूर-दराज के क्षेत्रों में विकास के महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराने में पर्यटन सशक्त भूमिका निभा सकता है। पर्यटन की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक ढांचे में इसके महत्ति योगदान के लिए ही राज्य में वर्ष 2001 में पर्यटन नीति की घोषणा की गयी।

27 सितम्बर, 2001 (विश्व पर्यटन दिवस) को जारी राजस्थान की नवीन पर्यटन नीति का बहुआयामी उद्देश्य राज्य में उपलब्ध समृद्ध पर्यटन संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर अधिकाधिक रोजगार के अवसर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही राज्य की समृद्ध एवं विविध हस्तकलाओं एवं शिल्पकलाओ के लिए बाजार उपलब्ध कराना, राज्य की समृद्ध जैविक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक स्थापत्यकला एवं सांस्कृतिक विरासत को वैज्ञानिक तरीकों से प्रबंध कर संरक्षित कराना भी पर्यटन नीति का प्रमुख ध्येय है। पर्यटन नीति राज्य के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में पर्यटन उद्योग का तीव्र गति से योगदान करवाते हुए पर्यटन क्षेत्र को राज्य में 'जन उद्योग' के रूप में विकसित करने पर जोर देती है।

18.5 पर्यटन नीति के उद्देश्य:

राज्य की नवीन पर्यटन नीति पर्यटन के न्युनतम नकारात्मक प्रभाव के साथ सतत पर्यटन विकास को इस रूप में जारी रखे जाने पर जोर देती है जिससे कि पर्यटन एक स्वच्छ उद्योग के रूप मे कार्य कर सके। मुख्य रूप से पर्यटन नीति के उद्देश्य इस प्रकार से हैं -

- पर्यटन उद्योग का इस प्रकार विकास करना जिससे कि रोजगार के उचित अवसर बढ़े, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों के लिए।
- राज्य में उपलब्ध समृद्ध पर्यटन संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना, जिससे कि अधिकाधिक संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक राज्य में भ्रमण करने हेतु आएं।
- राज्य में पर्यटन व्यवसाय को गति प्रदान करना, जिससे कि निजी क्षेत्र पर्यटन आधारभूत ढांचे को विकसित करने में रचनात्मक सहयोग प्रदान कर सके।
- राज्य की समृद्ध प्राकृतिक, ऐतिहासिक वास्तुकला एवं सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना, विशेषकर ऐतिहासिक स्मारकों को।
- राजस्थान के समृद्ध हस्तकलाओं एवं कुटीर उद्योगों की वस्तुओं की बिक्री के लिए समुचित बाजार का विकास करना, जिससे कि कलाकारों का उत्थान संभव हो सके।
- तीर्थ पर्यटन मेले एवं त्यौहारों द्वारा अन्तर सांस्कृतिक भाईचारे को बढ़ावा देना।
- पर्यटन व्यवसाय द्वारा राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में सहयोग प्रदान करना, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में।
- पर्यटन को राज्य में "जन उद्योग" बनाना।
- पर्यटन क्षेत्र के नकारात्मक पहलुओं को कम करना।
- पर्यटन क्षेत्र में नये उत्पाद एवं आकर्षण उपलब्ध कराना। जैसे कि साहसिक पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, 'हेरीटेज वाक' की शुरूआत, ऊंट/ अश्व सफारी का विकास, नदियों एवं नहरों में नौकायन, झीलों में शिकारे एवं हाउस बोट्स उपलब्ध कराना, शैक्षणिक पर्यटन, ग्रामीण पयटन एवं कारवां पर्यटन।
- जवाहर कला केन्द्र, जयपुर एवं अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को पर्यटन से जोड़ा जाना।
- निजी क्षेत्र द्वारा पर्यटन उद्योग का विकास करवाना।
- ग्रामीण पर्यटन का विकास करना, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन विकसित हो। इस हेतु पंचायती राज संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से पर्यटन रोजगार योजना को लागू कराना एवं इस हेतु संसाधनों का प्रावधान कराना।
- राज्य के पर्यटन का टेलीविजन, प्रिन्ट एवं इन्टरनेट माध्यम द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करवाना।
- राज्य के पर्यटक उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना एवं उनमें वृद्धि करना।
- राज्य की हस्तकलाओं, हाट बाजारों और शिल्प बाजारों में सामन्जस्य स्थापित करना।

- स्वदेशी पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजित कर ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निराकरण करना।
- पर्यटन को धीरे-धीरे पर्यावरण पर्यटन एवं जिम्मेदार पर्यटन की भूमिका बनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।
- युवा वर्ग को अपनी विरासतीय धरोहर के संरक्षण एवं पर्यटन के लिए शिक्षित करना।
- महिलाओं को सशक्त बनाना एवं ग्रामीण कलाकारों का उत्थान करना।
- पर्यटन से सृजित होने वाली आय का लाभ गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों तक पहुंचाना।
- पर्यटन पुलिस स्थापित करना पर्यटकों के भयमुक्त आवागमन हेतु सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करना।
- पर्यटन व्यवसाय को नियंत्रित करने हेतु संस्थागत उपाय करना।
- राज्य, संभागीय एवं जिला स्तर पर सलाहकार बोर्डो का गठन करना।
- पर्यटक स्थलों की धारण क्षमता का निर्धारण किया जायेगा एवं पर्यटन आचार संहिता बनाई जावेगी।
- पर्यटन के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु मानव संसाधनों अनुसंधान एवं विकास का प्रोत्साहन करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पर्यटन नीति में पर्यटन हेतु आधारभूत ढांचे के निर्माण संहित बहुत सी ऐसी अन्य बातों पर ध्यान दिया गया है, जिससे कि पर्यटन उद्योग तीव्रतम विकास कर राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। पर्यटन को 'जन उद्योग' बनाने के लिए पर्यटन नीति में कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगे उन्हीं के बारे में इस इकाई में बताया जा रहा है।

18.6 पर्यटन नीति के प्रमुख तत्व:

पर्यटन नीति के तहत प्रदेश में पर्यटन के आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए आधारभूत सुविधाओं के विकास की बात कही गयी है। सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता से प्रदेश में पर्यटन का सभी स्तरों पर विकास किया जाना पर्यटन नीति की प्राथमिकता है। आधारभूत ढांचे के संबंध में पर्यटन नीति के अंतर्गत निम्न प्रमुख बिन्दु रखे गए है-

- चूंकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है एवं पर्यटन विकास की सर्वाधिक संभावनाएं रखता है, अत: पर्यटन का आधारभूत ढांचा, जैसे कि आवास सुविधाएं, सड़क मार्ग, हवाई अड्डे, रेल सुविधाएं, स्थानीय यातायात, संचार के साधन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को विकसित करना अनिवार्य हो जाता है।
- राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से ही पर्यटन का आधारभूत ढांचा विकसित हो सकता है। जहां राज्य को एक मार्गदर्शक के रूप मे बनना होगा, वहीं ये प्रयास करने होंगे कि निजी क्षेत्र की पर्यटन आधारभूत ढांचे को विकसित करने में अधिकाधिक रूचि एवं भूमिका बने।

- ऐसे प्रयास किये जायेगें कि बाह्य सहायता, केन्द्रीय सहायता, राज्य योजना संसाधनों और निजी निवेश से प्राप्त होने वाले संसाधनों का मास्टर प्लान द्वारा निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त करने में ही उपयोग हो।
- पर्यटन आधारभूत ढांचे को विकसित करने हेतु सरकार यह प्रयास करेगी कि क्षेत्रीय आधार पर मास्टर प्लान बनाये जायें जो कि उस क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखें। मास्टर प्लान संबंधित क्षेत्रों में पर्यटक स्थलों की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक विनियोजन कार्य योजना भी तैयार की जाएगी।
- चूंकि पर्यटन व्यवसाय का विकास बहुआयामी क्षेत्रों की भागीदारी से ही संभव है, अत: यह प्रयास किये जायेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों को संचालित की जाने वाली एजेन्सियों से सक्रिय रचनात्मक सहयोग प्राप्त किया जाये, जिसके लिए आवश्यक होने पर प्रशासनिक ढांचे का भी उपयोग किया जा सकता है।

18.6.1 आवास सुविधाएं:

पर्यटन नीति में कहा गया है कि पर्यटन विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक आवास सुविधाओं का विभिन्न श्रेणियों में उचित संख्या में उपलब्ध होना है। अत: ये प्रयास किये जायेंगे कि बजट श्रेणी से लेकर पांच सितारा स्तर की सुविधाओं की उचित रूप से स्थापना हो। पर्यटन विभाग में उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार वर्तमान में राज्य में 772 होटलों में 19000 कमरों की आवास सुविधा उपलब्ध है। विभाग द्वारा यह अनुमानित है कि वर्ष 2005 ई. तक 20000 कमरों की अतिरिक्त आवास सुविधा मुहैया करवानी होगी। राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर आवास सुविधाओं का विकास किया जाए, बजाय स्वयं के संसाधन इस उपयोग हेतु निवेश किये जाएं। अपवाद स्वरूप पिछड़े क्षेत्रों में अगर निजी क्षेत्र का निवेश नहीं हो रहा है, तो राज्य सरकार इन क्षेत्रों में आवास सुविधाओं हेतु निवेश करने पर भी विचार करेंगी।

राजस्थान देश में हैरिटेज होटलों को स्थापित करने में अग्रणी रहा है, जिसके फलस्वरूप जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पुराने महलों और हवेलियों को पर्यटकों की आवास सुविधाओं हेतु उपलब्ध करवाया गया है। ये आवास सुविधाएँ विदेशी पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय हो गयी है। वर्तमान में राज्य में 40 मान्यता प्राप्त हैरिटेज होटल क्रियाशील हैं, जिनमें 2330 कमरे पर्यटकों हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 53 अन्य हैरिटेज होटल भी कार्यशील है, जिनकों कि पर्यटन विभाग द्वारा अभी मान्यता प्रदान नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा और हैरिटेज होटलों की स्थापना हेतु प्रयास किये जायेंगे। जिससे कि पर्यटकों को उचित आवास सुविधा भी उपलब्ध हो जावे और इन ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण भी संभव हो सके।

राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा विश्व पर्यटन दिवस (27 दिसम्बर, 1991) के अवसर पर 9 शहरों के लिये यह योजना प्रारंभ की गई थी, जो कि देशी-विदेशी पर्यटकों में लोकप्रिय हो चुकी है। इस योजना का अन्य शहरों में भी विस्तार किया जाएगा।

इस योजना के विस्तार में यह विशेष ध्यान रखा जाएगा कि उन्हीं आवासों और परिवारों को चिन्हित कर पंजीयन किया जाए, जो कि पर्यटन विभाग के उद्देश्यों को पूर्ण कर सकें और पर्यटकों को उचित सुविधाएं उपलब्ध करायें।

18.6.2 कैम्प पर्यटन/ पर्यावरण पर्यटन:

राज्य सरकार द्वारा पुष्कर मेले, मरू महोत्सव, नागौर पशु मेला एवं झालावाड़ मेले के दौरान उपलब्ध कराई गई कैम्पिंग साईट्स बहुत लोकप्रिय हुई है। अत: ये प्रयास किये जाएंगे कि इस प्रकार कैम्पिंग साईट तथा अन्य नवीन स्थलों पर चिन्हित कर पर्यटकों विशेषकर बजट पर्यटकों हेतु उच्च पर्यटन सीजन मे उपलब्ध कराई जावें।

18.6.3 मार्गस्थ सुविधाएं:

राज्य का कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूर्व से पश्चिम एंव उत्तर से दक्षिण में 800 कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है। राज्य में हवाई और रेल सुविधाएं भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, जिसके कारण भूतल परिवहन का अधिक उपयोग होता है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि उचित स्थानों पर पर्यटकों की सुविधाओं हेतु मार्गस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे कि उन्हें आराम एवं तरोताजा होने का अवसर मिले। ये मार्गस्थ सुविधाएं निजी एंव सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों द्वारा प्रत्येक 100 से 125 कि.मी. के फासले पर प्रमुख सड़क मार्गो पर स्थापित की जायेगी।

इन मार्गस्थ सुविधाओं में सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाओं का समावेश किया जायेगा और उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर आगामी पांच वर्षो में पूरे राज्य में स्थापित किया। इन सुविधाओं हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा एंव सार्वजनिक निवेश उन्हीं क्षेत्रों में किया जायेगा, जहां निजी निवेश की सम्भावनाएँ नही होगी।

18.6.4 विरासतीय महत्व वाली नजूल सम्पत्तियों का विकास:

राज्य में अधिक संख्या में ऐतिहासिक भवन/ स्मारक उपलब्ध है, जो कि पुरातत्व एवं संग्रहालय द्वारा अथवा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित नहीं है उन्हें भी संरक्षित कर उनका पर्यटन हेतु विकास किया जायेगा। ऐसी सम्पदाओं को पर्यटन विभाग में हस्तान्तरित कर हैरिटेज होटलों/ पर्यटक संग्रहालयों/ पर्यटक कॉम्पलेक्स/ पर्यटक रिर्जोर्टस के रूप में निजी उद्यमियों की सहभागिता से राजस्थान पर्यटन, पर्यटन विभाग/ राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा भूमि और सम्पत्तियों का व्ययन नियम, 1997 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जायेगा।

पर्यटन सुविधाओं के विकास में सबसे बड़ी रूकावट उपयुक्त भूमि का उपलब्ध नहीं होना है। पर्यटन विभाग, राजस्व एवं स्वायत्तशासी विभागों से परामर्श कर पर्यटन सुविधाओ के लिए भूमि के आवंटन एवं सम्परिवर्तन हेतु नियमों को सरलीकृत करने का प्रयास करेगा जिससे कि प्रसिद्ध स्थानों पर स्थित राजकीय सम्पत्तियों का पर्यटक सुविधाओं के लिए अधिकतम उपयोग किया जा सके। इन नियमों का एक विशेष संक्षेप संग्रह नियमों के सरलीकरण के पश्चात् प्रकाशित किया जायेगा।

पर्यटन इकाईयों हेतु भूमि आवंटन एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों का उनमें होने वाले संभावित निवेश के आधार पर जिला तथा राज्य स्तर की एमपावर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। विशेष मसलों में प्रकरण बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन को प्रस्तुत किया जायेगा।

पर्यटन विभाग अन्य विभागों जैसे -सिंचाई, लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभागों की पर्यटक सम्भावना वाली भूमि एवं भवनों को ज्ञात करके, पूरक सुविधाएं सृजित करके, उनका पर्यटन के लिए उपयोग करेगा। विद्यमान अधिकारों के लीज के भुगतान, आय का विभाजन नियमानुसार किया जायेगा। जहाँ भी सम्भव होगा, निजी क्षेत्र को प्रबंध के लिए इन सम्पत्तियों को पट्टे पर लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

नजूल सम्पत्तियों का निस्तारण 1971 के नियमों के तहत किया जाएगा तथा सम्पत्तियों को किराये पर देने के लिए ओपन ऑक्शन पद्धति अपनाई जाएगी। पर्यटन विभाग एवं पर्यटन निगम के माध्यम से राजकीय सम्पत्तियों के पर्यटकीय विकास हेतु बनाए गए 1977 के नियमों के आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु अलग से प्रकरण मंत्रीमण्डल को प्रस्तुत किया जायेगा।

18.6.5 आर.टी.डी.सी.पर्यटन विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में:

जिस प्रकार औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं के लिए विकास कार्य राजस्थान औद्योगिक एवं विनियोजन निगम (रिको) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक निष्पादित किये गये हैं, उसी प्रकार पर्यटन से संबंधित आधारभूत सुविधाओं का विकास कार्य राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा सम्पन्न किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम सरकार से भूमि आवंटन प्राप्त कर उस भूमि पर विकास कार्य करवाएगा तथा उन पर होटलों की स्थापना एवं पर्यटन से संबंधित अन्य परियोजनाओं के लिए कार्य करेगा। जिला कलेक्टर प्रमुख पर्यटक स्थलों के समीप उपयुक्त क्षेत्रों को इसके लिए निर्धारित करेगें, जिन्हें पर्यटन से संबंधित आधारभूत सुविधाओं के लिए विकसित किया जाएगा।

18.6.6 पर्यटन में पूंजी विनियोजन:

राजस्थान में पर्यटन विकास कार्यो के लिए केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं एंव बैंकों से होटल तथा पर्यटन इकाईयों को बढ़ावा देने हेतु ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगें। भारत पर्यटन वित्त निगम (टी.एफ.सी.आई) से जयपुर में एक शाखा कार्यालय खोलने तथा पर्यटन विभाग/ राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से पर्यटन उद्योग के लिए ऋण देने में सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन क्षेत्र मे अनिवासी भारतीयों की ओर से पूजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र के लिए ऋण आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने का कार्य पर्यटन विभाग के स्तर पर एकल खिड़की पर कराए जाने के लिए एक तन्त्र की स्थापना की जाएगी। इस एकल खिड़की पर ही बैंको, भारतीय पर्यटन वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम, रीकों के अधिकारियों को, राजस्थान पर्यटन क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना के लिए इच्छुक उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए जब भी मदद हेतु उनकी आवश्यकता हो, उपलब्ध कराया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं पर कार्यवाई करने तथा उन्हें शीध्रतापूर्वक निपटाने के लिए औद्योगिक विकास ब्यूरो (बी.आई.पी) में एक विशेष प्रकोष्ठ होगा। 'सहायता प्राप्त क्षेत्र' में पर्यटन से संबंधित उद्योगों की स्थापना के कार्य में राजस्थान पर्यटन विकास निगम रीको की तरह चयनात्मक इक्विटी सहभागिता द्वारा स्वयं को सहयोजित करने पर विचार करेगा।

18.6.7 पर्यटक परिवहन (रेल):

राजस्थान में प्रमुख स्थान रेल नक्शे में पहले से ही विद्यमान है। मीटर गेज रेल्वे लाइन को ब्रॉड गेज में बदल देने से प्रमुख पर्यटक प्रवेश स्थानों की सम्बद्धता और अधिक बढ़ गई है। यह प्रयास भी जायेगा कि राज्य में और अधिक रेल मार्गो को भी ब्रोडगेज में परिवर्तित किया जाए।

रेल द्वारा पर्यटक यात्रा को अधिक सुगम बनाने के लिए समय अनुसार सुविधापूर्ण विशेष पर्यटक रेलगाड़ियों की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न किये जाएंगे। बसों द्वारा विशेष स्थानीय पर्यटक स्थलों का अवलोकन कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा समुचित व्यवस्था की जाएगी। ब्रॉड गेज पर "पैलेस ऑन व्हील्स" 1995-96 में प्रारंभ हो गई है, जो कि विदेशी पर्यटकों एवं अप्रवासी भारतीयों में लोकप्रिय है। ये प्रयास किये जाएंगे कि बजट पर्यटकों के लिए भी पृथक से अपेक्षाकृत सस्ती शाही रेलगाड़ी भी उपलब्ध हो।

18.6.8 पथ परिवहन:

वायुयान एवं रेलवे सम्पर्क की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण राजस्थान में पथ परिवहन का महत्व और भी बढ़ जाता है। आवश्यक सड़क स्थानों को कमोन्नत करने के लिए तथा राज्य योजना संसाधनों को बढ़ाने के लिए बाहय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

पर्यटन विभाग द्वारा यथा मान्यता प्राप्त एवं अनुमोदित किए गए वातानुकूलित पर्यटक बसों, टयूरिस्ट कारों एवं विशेष रूप से निर्मित अवातनुकूलित दृश्यावलोकन बसों को विशेष महत्व दिया जाएगा तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इच्छुक निजी समूह के साथ मिलकर राष्ट्रीयकृत मार्गो पर, स्थानीय दृश्यावलोकन तथा नजदीकी स्थानों हेतु भ्रमण का प्रबंध करेगा। स्वदेशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के सभी पथ परिवहन ऑपरेटरों द्वारा मानक किराया लिया जाता है, इसे सुनिश्चित करने का सरकार आवश्यक उपाय करेगी। पूर्व भुगतान के आधार पर टैक्सी/ कोच सेवाओं को भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा तथा हैरीटेज टैक्सी को प्रोत्साहित किया जायेगा। विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में स्थानीय वाहन व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है। पर्यटकों हेतु यातायात के लिए कार टैक्सियों को अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। तिपाहिया वाहनों को प्रत्येक स्थान के लिए मीटर द्वारा नियंत्रित कर निर्धारित किराये पर चलाया जाएगा, जिससे पर्यटकों अधिक किराया वसूल कर उन्हें परेशान न किया जा सके।

18.8.9 हवाई यात्रा:

एयर टैक्सी ऑपरेटरों को राज्य में एयर टैक्सी सेवा एवं हैलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ करने के लिए पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है ताकि राज्य में भ्रमण करने वाले पर्यटक सीमित उपलब्ध समय के भीतर यथासंभव अधिकाधिक स्थलों को देख सकें।

राज्य में सभी जगह अनेक हवाई पट्टियां एवं हेलीपेड बने हुए हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग एवं जिला कलेक्टरों के सहयोग से इन हवाई पट्टियों एवं हेलीपेड्स का उपयोग करते हुए प्रयास करेगा तथा एयर टैक्सी ऑपरेटरों को विशेष हवाई यात्रा प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करेगा। राजस्थान में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने में निजी क्षेत्र को पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। एयर टैक्सी

ऑपरेटरों को फीडर/ रीजनल एयरलाईन्स के रूप में पर्यटकों के लिए नागरिक उड्डयन सेवाएं चालू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

यदि आवश्यकता होगी तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम राजस्थान में पर्यटक स्थलों तक सेवाएं प्रारंभ करने के लिए एयर टैक्सी ऑपरेटरों को ग्राउण्ड हैण्डलिग सुविधाएँ प्रदान करने का कार्य भी करेगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम हवाई पर्यटन को विकसित करने के लिए भी एयर टैक्सी ऑपरेटरों से सहयोग की सुविधा के लिए कार्य करेगा। उच्च स्तर के विदेशी पर्यटकों को बढावा देने हेतु, चार्टर उड़ानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एयर-ब्रिज बनाने हेतु सिंगापुर जैसे देशों के 'टयूरिस्ट प्रमोशन बोर्ड' का सहयोग लिया जाएगा।

18.6.10 पर्यटक स्वागत केन्द्र:

राज्य में आने वाले बहुसंख्य देशी व विदेशी पर्यटकों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि आधुनिक रूप से सुसज्जित पर्यटक स्वागत केन्द्रों को राज्य के प्रमुख प्रवेश स्थानों एवं पर्यटक स्थानों पर स्थापित किया जाए। राज्य में स्थापित पर्यटक स्वागत केन्द्रों के अतिरिक्त दिल्ली, कोलकत्ता, चेन्नई में भी लघु पर्यटक स्वागत केन्द्र कार्यशील है। मुम्बई एवं बैंगलोर में नए पर्यटक स्वागत केन्द्रों की स्थापना की जायेगी एवं दिल्ली, कोलकत्ता व चेन्नई में स्थित वर्तमान पर्यटक स्वागत केन्द्रों को और अधिक सुदृढ कर कम्प्यूटरों द्वारा जोड़ा जाएगा। पर्यटक सूचनाओं के अतिरिक्त पर्यटक स्वागत केन्द्र, राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं निजी क्षेत्र की होटलों के आरक्षण का भी कार्य करेंगे।

अन्य सूचनाएं जैसे कि पैकेज ट्यूरों का विवरण, मेले त्यौहारों, पेइंग गैस्ट आवास की सुविधा आदि की सूचना भी पर्यटक स्वागत केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। बहुउद्देशीय सॉफ्टवेयर का विकास कर पर्यटकों और ट्यूर ऑपरेटरों को उनसे संबंधित विशिष्ट जानकारियां प्रदान की जाएगी। निजी कमीशन एजेन्टों को नियुक्त कर अन्य राज्यों मे भी राजस्थान पर्यटन का प्रसार किया जायेगा एवं अन्य राज्यों के पर्यटन विकास निगमों के साथ संयुक्त उद्यम के आधार पर पर्यटक स्वागत केन्द्र खोले जायेंगे। पर्यटकों के लिए अन्तर्राज्य पैकेज, राज्य एवं केन्द्रीय सार्वजनिक निगमों, जैसे कि रेल्वे आदि के साथ संयुक्त उद्यम के आधार पर शुरू करने के प्रयास किये जाएंगे। दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर एवं माउंट आबू प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर स्थित पर्यटक स्वागत केन्द्रों को पर्यटक सीजन में विशेष रूप से 24 घंटे कार्यशील किया जाएगा।

18.6.11 पर्यटक सूचना एवं प्रसार:

राज्य के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सभी आवश्यक पर्यटन साहित्य, फिल्में, विडियों एवं अन्य प्रचार साधनों, जिनकों आवश्यक समझा जाएगा का उत्पादन एवं मुद्रण किया जाएगा। एक व्यापक प्रचार नीति का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि राज्य में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। समुचित मात्रा में पर्यटन साहित्य को प्रमुख ट्रेवल एजेन्टों एवं ट्यूर ऑपरेटरों, एयर लाईन्स एवं होटल समूहों वितरण किया जाएगा जिससे कि पर्यटन व्यवसाय के प्रमुख व्यक्तियों की राजस्थान के बारे में जागरूकता बढ़े।

फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, इटली, अरबी तथा अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा में भी उच्च कोटि का पर्यटक साहित्य मुद्रित कराया जाएगा। राजस्थान पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण स्थल के बारे में विदेशों में प्रसार करने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे। यात्रा एजेन्टों एवं ट्यूर ऑपरेटरों की मदद से विश्व पर्यटन बाजार में राजस्थान पर्यटन को प्रोन्नत करने हेतु निजी विपणन एवं प्रसार सम्पर्क सूत्र स्थापित किये जाएंगे। राजस्थान में पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों के प्रसार हेतु आधुनिक संचार माध्यमों, जैसे कि ई-कॉमर्स प्रयोग किया जाएगा।

यह प्रयास किया जाएगा कि अन्त:क्रियाशील पर्यटन सूचना पैकेज, जैसे कि सीडी रोम एवं ऑनलाइन आरक्षण सुविधाएँ निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के लिए उपलब्ध हो सके।

18.6.12 राजस्थान के पर्यटन उत्पादों में वृद्धि करना:

राजस्थान को हस्तकला, हथकरघा एवं अन्य उत्पादों के क्षेत्र में एक समृद्ध परम्परा विरासत में प्राप्त है। इन उत्पादों की खरीद राज्य में आने वाले पर्यटकों द्वारा की जाती है। इनके उत्पादन में कार्यरत शिल्पकारों को पर्यटकों से सीधा सम्पर्क कराने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे ताकि इससे इनकी बिक्री बढ़ सके। राजस्थान पर्यटन विकास निगम अपनी विद्यमान सम्पत्तियों में शॉपिंग वीथिकाओं का निर्माण कराएगा तथा शिल्पकारों को यहां पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने एवं बेचने के लिए अवसर प्रदान कराएगा। विकास आयुक्त, हस्तकला की सहायता से अनेक पर्यटक स्थलों पर शिल्पग्रामों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा एक शिल्प संग्रहालय की स्थापना भी की जाएगी।

18.6.13 विरासतीय पर्यटन:

राजस्थान राज्य में देश के अनेक प्रसिद्ध किले एवं महल है, जो सम्पूर्ण राज्य में यंत्र तंत्र विद्यमान है। सरकार विरासत में प्राप्त इन सम्पत्तियों के परिरक्षण, संरक्षण एवं रख-रखाव के लिए प्रोत्साहन देगी तथा उनमें से कुछ का चयन कर उन्हें होटलों /टूयूरिस्ट कॉम्पलेक्स के रूप में विकसित कराएगी। राज्य प्राचीन भवनों एवं विरासतीय सम्पत्तियों के पर्यटक रिर्सोटस के रूप में विकास हेतु निजी पूंजी विनिवेशकर्ताओं को प्रोत्साहन देगी।

राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त सम्पत्तियों को होटलों में परिवर्तित करने हेतु निजी उद्यमियों को आसान शर्तो पर प्रस्ताव किया जाएगा। आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ, जो इस उद्योग के लिए आवश्यक समझी जाएंगी, चयनित आधार पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। निजी क्षेत्र को राज्य के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण में निवेश कर सहयोग देने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

18.6.14 पथ प्रदर्शक (गाईड):

अच्छी जानकारी रखने वाले बहुभाषी गाईड पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। राज्य के भीतर सभी पर्यटक स्थलों पर एवं पर्यटक सर्किटों में उपयुक्त गाईडों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जायेगा। राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आर.आई.टी.टी.एम.ए.एन.) विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली में कार्यरत अनके महत्वपूर्ण देशों के दूतावासों के सहयोग से गाईडों के लिए विदेशी भाषा केप्सूल पाठयक्रम प्रारम्भ करेगा। ये पाठ्यक्रम जो लोग फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटेलियन, जापानी, चीनी, अरबी, अंग्रेजी जैसी विदेशी

भाषाओं में एवं बंगाली व गुजराती जैसी भारतीय भाषाओं के भाषा गाईड के रूप में अपना कैरियर प्रारम्भ करने में रूचि रखते हैं, के लिए संचालित होंगे।

18.6.15 स्वदेशी पर्यटन:

अब तक अधिकांश ध्यान विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटक केन्द्रों पर दिया जाता रहा है, जिसके कारण स्वदेशी पर्यटकों के वृहद् समूह की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। सरकार इन स्वदेशी पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखेगी तथा इस पहलू को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए अपनी आधारभूत सुविधाओं के लिए योजना बनाएगी। तीर्थ यात्रियों/ पर्यटकों के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा अन्तर्राज्य पैकेजों का संचालन किया जाएगा।

गुजराती एवं बंगाली पर्यटकों को राजस्थान अत्यन्त लुभाता एवं अकर्षित करता रहा है। गुजराती एवं बंगाली भाषाओं में पर्यटन साहित्य को प्रकाशित कराने के लिए विशेष प्रयत्न किये जाएंगे तथा स्वदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अहमदाबाद एवं कोलकत्ता से प्रारम्भ करते हुए एक विशेष पैकेज प्रारम्भ किया जाएगा।

18.6.16 विशेष पर्यटक क्षेत्र:

राज्य सरकार जैसलमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, आमेर, माउन्ट आबू आदि जैसे सांस्कृतिक पर्यटक केन्द्रों की महत्ता वाले स्थानों की हेरीटेज प्रकृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रयास करेगी। इन पर्यटक स्थलों की अनुपम पहचान को आरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे तथा स्थानीय प्राधिकारी इन पर्यटक कस्बों के विशेष स्वरूप को बनाए रखने के लिए विशेष उपविधियों बनाएंगे।

18.6.17 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण:

पर्यटन नीति में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार दुर्लभ स्मारकों, किलों एवं महलों की रक्षा हेतु निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करती है, जिससे कि वे इनके पुनर्स्थापन एवं नवीकरण के कार्य में अपना निजी पूंजी निवेश कर सकेंगे। जैसा कि इस क्षेत्र मे इजराइल में कार्य किया गया है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (ए.एस.आई.), पुरातत्व, देवस्थान, वक्फ बोर्ड, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों आदि - सभी विभागों के साथ मिलकर प्राचीन भवनो के परिरक्षण, संरक्षण एव रख-रखाव के लिए समन्वित रूप से प्रयास किए जाएंगे।

परम्परागत भवन निर्माण कलाओ आदि को पुनर्जीवित करने के प्रयत्नों को समर्थन दिया जाएगा। प्राइवेट व्यक्तियों / फर्मो एवं स्वयंसेवी संगठनों को, जो इस प्रकार के परिरक्षण में रूचि रखते हैं, उनके पुनर्स्थापन एवं परिरक्षण के लिए तयशुदा शर्तो पर वैयक्तिक रूप से स्मारकों को सौंपा जाएगा। ऐसी परियोजनाओं पर निगरानी रखने के लिए सरकार को सहायता देने के लिए प्रसिद्ध इतिहासविदों, पुरातत्वविदों, अभियंताओं आदि के एक तकनीकी ग्रुप का गठन किया जाएगा। चुने हुए संरक्षित स्मारकों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।

18.6.18 सहायक सेवाओं को क्रमोन्नत करना:

पर्यटन उद्योग में सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों दोनों के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता होती है। होटल प्रबन्ध एवं फूड क्राफ्ट के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु सरकार होटल प्रबंध एवं फूड क्राफ्ट्स संस्थानों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी। भारतीय पर्यटन एवं भ्रमण प्रबंध संस्थान, जो कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन के विकास हेतु स्थापित किया गया है, जोधपुर विश्वविद्यालय को अपने केन्द्र के रूप में चिन्हित किया है, जहां वर्तमान में एम.टी.ए. पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। जयपुर में आई.आई.टी.टी.एम के क्षेत्रीय चेप्टर के रूप मे कार्यरत राजस्थान यात्रा एवं पर्यटन प्रबन्ध संस्थान (आर.आई.टी.टी.एम.ए.एन.) को सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में पर्यटन उद्योग में लगे सभी श्रेणी के व्यक्तियों को विशेषीकृत पाठ्यक्रम / नवीकरण कार्यक्रम चालू करने के लिए और अधिक सक्षम बनाया जाएगा।

राज्य सरकार पर्यटन शिक्षा एव प्रशिक्षण पर एक स्थायी समिति का निदेशक पर्यटन की अध्यक्षता में गठित करेगी, जिसमें होटल प्रबन्ध की विभिन्न संस्थानों एवं संकायों के प्रभारी अधिकारियों को सदस्य के रूप में सहवरित किया जाएगा। यह समिति समय-समय पर स्थिति की समीक्षा कर पर्यटन शिक्षा को प्रोन्नति एवं पर्यटन क्षेत्र हेतु मानव संसाधन के विकास के लिए प्रयास करेगी।

18.6.19 पर्यटन व्यापार विनिमय अधिनियम:

पर्यटकों के संभावित शोषण को ध्यान में रखते हुए सरकार पर्यटन व्यवसाय को विनियमित करने का प्रयास करेगी। पर्यटन विभाग को ऐसे प्रतिष्ठानों को लाइसेन्स देने एवं उनका निरीक्षण करने के लिए शक्ति प्रदान की जाएगी, जो पर्यटकों को सेवा प्रदान करने में लगे हैं। होटलों के वर्गीकरण के लिए वर्तमान में प्रक्रिया चालू है। अत: विनियमन की प्रक्रिया में दुहरेपन से बचने के लिए, इन प्रतिष्ठानों को कानूनों के अधिकार क्षेत्र में नहीं लाया जाएगा। पर्यटकों से प्राप्त शिकायतों का निवारण पर्यटन पुलिस बल के माध्यम से भी किया जाएगा।

18.6.20 पर्यटन उद्योग की समस्याओं का निराकरण करना:

माउन्ट आबू, पुष्कर, जैसलमेर, नाथद्वारा, अजमेर आदि लोकप्रिय पर्यटक स्थलों की धारण क्षमता का निर्धारण करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा विशेष अध्ययन कराये जाएंगे। इन स्थानों पर पर्यटकों के यातायात को विनयमित करने के लिए प्रयास किये जाएंगे तथा इसके साथ यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि पर्यटन उद्योग के अनियमित विकास के कारण कोई सांस्कृतिक प्रदूषण न फैलें।

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग विस्तृत कार्य योजना बनायेंगे, जिससे कि नीति निर्णयों एवं उद्देश्यों का क्रियान्वयन संभव हो सके। जो विभाग पर्यटन क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वे इस पर्यटन नीति की अनुपालना मे कार्यादेश जारी कर, इसके निर्णयों को समयबद्ध तरीके से विभागीय कार्ययोजना के अन्तर्गत लागू करेंगे।

18.7 सारांश:

पर्यटन बगैर चिमनी और धुएँ का ऐसा उद्योग है जिसमें खर्च कुछ भी नहीं होता फिर भी बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है तथा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। विश्व में आज पर्यटन तीव्रतम विकास करने वाला सबसे बड़ा उद्योग बन गया है।

पर्यटन के आर्थिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ही राज्य में वर्ष 1989 मे इसे उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। उद्योग का दर्जा मिलने के साथ ही पर्यटन से संबद्ध विभिन्न अन्य उद्योगों को भी विशेष सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो गयी। यही नहीं इसी से पर्यटन को सुनियोजित रूप में क्रियान्वित किए जाने की दिशा में भी विशेष पहल प्रारंभ हो सकी।

पर्यटन के विकास के लिए ही विश्व पर्यटन दिवस 27 सितम्बर, 2001 को राज्य में नयी पर्यटन नीति की घोषणा की गयी। नयी नीति के तहत पर्यटन के लिये राज्य में उपलब्ध समृद्ध पर्यटन संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पर्यटन नीति निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य पर्यटन व्यवसाय को आर्थिक और सामाजिक विकास का एक सशक्त माध्यम बनाना है। इसके अंतर्गत पर्यटन के विविध पहलुओं पर विचार कर सभी स्तरों पर पर्यटन के तीव्रतम विकास पर ध्यान दिया गया है।

इस इकाई में आपको राज्य की पर्यटन नीति के बारे में ही विस्तार से जानकारी दी गयी है ताकि आप पर्यटन उद्योग के प्रभावी क्रियान्वयन में सभी स्तरों पर सहयोगी बन सकें।

बोध प्रश्न :

1. 'पर्यटन बिना चिमनी और धुएँ का उद्योग है।' इस कथन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में पर्यटन विकास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

   ....

   ....

2. पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से इसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है?

   ....

   ....

3. राज्य में पर्यटन नीति कब घोषित की गयी थी? संक्षेप मे पर्यटन नीति के बारे में जानकारी दीजिये।

   ....

   ....

4. राज्य की पर्यटन नीति के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।

   ....

   ....

5. राजस्थान की पर्यटन नीति में आधारभूत सुविधाओं के विकास के क्या प्रमुख बिन्दु रखे गए हैं?

   ....

इकाई - 19 : पर्यटन संगठन

रूपरेखा:

19.0 उद्देश्य
19.1 प्रस्तावना
19.2 पर्यटन संगठनों से आशय
19.3 पर्यटन संगठनों की पर्यटन विकास में भूमिका
19.4 राजस्थान में पर्यटन संगठन
19.5 पर्यटन विभाग, राजस्थान
19.6 राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड(आर.टी.डी.सी.)
19.7 राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान(रिटमैन)
19.8 सारांश

19.0 उद्देश्य:

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

- पर्यटन संगठनों की कार्यप्रणाली के बारे में जान सकेंगे।
- पर्यटन विकास में पर्यटन संगठनों की भूमिका से अवगत हो सकेंगे।
- राजस्थान के पर्यटन संगठनों से अवगत हो सकेंगें।

19.1 प्रस्तावना:

पर्यटन आज विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है। विश्व पर्यटन संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व का प्रत्येक 9 वां व्यक्ति अपने रोजगार हेतु पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और ऐसे अनुमान है कि वर्ष 2010 तक विश्व पर्यटकों की संख्या 1600 मिलियन हो जोयेगी।

आपको इन आंकड़ों के बारे में आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे इनका एकत्रण, संग्रहण प्रसार की व्यवस्था की गयी है। जी, हाँ- विश्व पर्यटन संगठन विश्व भर में हो रही पर्यटन गतिविधियों पर नजर ही नहीं रखता बल्कि पर्यटन से संबंधित सूचनाओं, समंकों के एकत्रीकरण के साथ ही पर्यटन उद्योग से संबद्ध विभिन्न समस्याओं के निराकरण संबंधी सुझाव प्रदान करने में भी महत्वपर्णू भूमिका निभाता है। विश्व में पर्यटन गतिविधियों पर जहां पर्यटन संगठन, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद् जैसे संगठन नजर रखकर पर्यटन को प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने में सहयोग करते हैं वहीं किसी देश में वहां के राष्ट्रीय पर्यटन संगठनों के रूप में पर्यटन विभाग कार्य करते हैं। राज्यों में राज्य सरकार के विभाग एवं निगम सार्वजनिक क्षेत्रों में पर्यटन विकास का कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र में भी बहुत से संगठन एवं संघ पर्यटन विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। क्या हैं पर्यटन संगठनों की भूमिका, कैसे करते हैं पर्यटन संगठन कार्य, पर्यटन विकास में किस रूप में करते हैं पर्यटन संगठन कार्य और राजस्थान में पर्यटन संगठनों की क्या कुछ है कार्यप्रणाली? आईए, जाने-

19.2 पर्यटन संगठनों से आशय:

पर्यटन उद्योग के प्रभावी विकास, नवीन नीतियों के निर्धारण और पर्यटकों के हितों के सभी स्तरों पर संरक्षण आदि की सोच के अंतर्गत पर्यटन संगठनों का जन्म हुआ है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के अंतर्गत स्थापित पर्यटन संगठन एवं संघ पर्यटन उद्योग, पर्यटक और आम जन के हितों का संरक्षण ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर मैत्री और सौहार्द पैदा करने में भी महत्ती भूमिका निभाते हैं। पर्यटन संगठन पर्यटन के समग्र विकास की दिशा में नियोजित रूप में कार्य करते हैं। पर्यटन से समाज पर पड़ने वाले प्रभावों, पर्यटन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करते हुए पर्यटन को व्यवहार में 'जन उद्योग' स्थापित करने की दिशा में कार्य करने का कार्य पर्यटन संगठन ही करते हैं।

भारत में पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत देश का पर्यटन विभाग एवं भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ही सबसे बड़े पर्यटन संगठन के रूप में पर्यटन का सभी स्तरों पर विकास सुनिश्चित करता है तो राजस्थान में पर्यटन विभाग एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पर्यटन के बड़े संगठन के रूप में कार्य करते हैं। पर्यटन संगठन पर्यटन उद्योग और पर्यटकों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की भी पूर्ति करते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के मध्य प्रभावी समन्वय, प्रशिक्षण और शिक्षा के जरिए पर्यटन में मानव संसाधन विकास में भी पर्यटन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही है। पर्यटन के संबंध में नई-नई नीतियों के निर्माण, शोध एम करने अधिसंरचनात्मक ढांचा निर्धारित करने, सभी स्तरों पर पर्यटन और पर्यटकों को प्रोत्साहित करने की दिशा में पर्यटन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ के 1963 में रोम में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकारों को पर्यटन संगठनों के जरिए पर्यटन सम्बन्धी राष्ट्रीय गतिविधियों के संयोजन, समन्वय पर ध्यान देने की बात कही गई थी। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने के लिए भी पर्यटन संगठनों की भूमिका पर विचार किया गया था।

पर्यटन संगठनों का कार्य केवल पर्यटन को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि वे पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थलों पर अधिकाधिक सुविधाओं के निर्माण और विकास के लिए भी कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, उनको पर्यटन विकास हेतु संरक्षण प्रदान करने की दिशा में भी पर्यटन संगठनों की विशिष्ट भूमिका होती है। कुल मिलाकर पर्यटन प्रोत्साहन, पर्यटन उद्योग के निर्देशन, नियंत्रण और विभिन्न स्तरों पर समन्वय का कार्य पर्यटन संगठनों द्वारा किया जाता हैं।

19.3 पर्यटन संगठनों की पर्यटन विकास में भूमिका:

पर्यटन संगठन पर्यटन संबंधी नीतियां और योजनाओं के निर्माण में ही महत्ती भूमिका नहीं निभाते बल्कि पर्यटन की भावी संभावनाओं की पहचान कर संबंधित क्षेत्र में पर्यटन विकास के कार्यो का व्यवहार में क्रियान्वयन करते हैं।

पर्यटन संगठन मुख्यत: तीन प्रकार से अपने कार्यो का क्रियान्वयन करते हैं। ये तीन प्रमुख कार्य हैं -

- संवर्धनात्मक

- विकासात्मक
- विनियामक

संवर्धनात्मक कार्यो के अंतर्गत पर्यटन संगठन क्षेत्र विशेष की पर्यटन संभावनाओं के आधार पर पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार की दिशा में कार्य करते हैं। इन कार्यो के अंतर्गत पर्यटक मेलों का आयोजन, पर्यटन उत्सवों, पर्यटन संबंधी सूचनाओं के प्रसार, पर्यटन साहित्य का प्रकाशन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में पर्यटन विज्ञापन जारी करने, पर्यटन संबंधी फिल्मों के निर्माण आदि के महत्ती कार्यो का क्रियान्वयन किया जाता है।

इसी प्रकार विकासात्मक कार्यो के अंतर्गत पर्यटन संगठन स्वदेशी एवं देशी पर्यटन के समुचित विकास के लिए अनुपूरक आवासों का विकास करने, पर्यटन के नीत नए उभरते स्वरूपों के आधार पर पर्यटको के लिए सुविधाओं के विस्तार आदि का कार्य किया जाता है। पर्यटन संबंधी विकास की गतिविधियों के अंतर्गत वन्य जीव पर्यटन, साहसी पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, खेल पर्यटन, पर्वतीय समुद्रतटीय पर्यटन के लिए स्थानों का संवर्धन करने, होटलों के लिए ब्याज विभेदीय इमदाद स्वीकृत करने, सावकाश पर्यटन व यात्रा परिपथों का विकास करने हेतु क्रमिक योजनाओं का निर्माण आदि का कार्य करते हैं।

विनियामक कार्यो के अंतर्गत पर्यटन संगठन होटलों, यात्रा अभिकर्ताओं, प्रचालकों, पर्यटक गाईडों और पर्यटक परिवहन प्रचालकों के परिचालन के लिए मानदंड तथा शर्ते निर्धारित करने संबंधी कार्य करते हैं।

पर्यटन संगठन पर्यटन संबंधी नीतियां और योजनाओं के निर्माण के साथ ही पर्यटन के लिए बेहतर वातावरण निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जाता है। पर्यटन करने वालों और पर्यटन स्थल पर रहने वाले स्थानीय लोगों के बीच सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए भी पर्यटन संगठन कार्य करते हैं। पर्यटन के लिए लोगों को जागरूक करने, उन्हे बताने कि पर्यटकों के अधिकाधिक आगमन से उन्हें लाभ होगा, उनके जीवन स्तर में वृद्धि की जा सकती है आदि के बारे में पर्यटन संगठनों की विशेष भूमिका होती है। पर्यटन के लिए सकारात्मक माहौल के निर्माण, पर्यटकों को पर्यटन स्थलों पर घर जैसा वातावरण दिए जाने की दिशा में पर्यटन संगठनों के कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

प्रमुख रूप से पर्यटन संगठन पर्यटन विकास में निम्न प्रकार से भूमिका निभाते हैं -

- नियम-कानूनों की पालना कराने के अंतर्गत पर्यटकों के साथ लूट-पाट, ठगी और उनसे सेवाओं के बदले मनमाने रूप में पैसों की वसूली को रोके जाने के संबंध में निर्धारित नियम-कानूनों की पालना करवाना।
- पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण, स्मारक-महलों के आस-पास अतिक्रमण, गंदगी नही करने देने के साथ ही पर्यटन उद्योग को नियम-कानूनों के जरिये नियंत्रित, निर्देशित करना।
- पर्यटन उद्योग में कार्यरत विभिन्न ट्रेवेल एजेन्सियां, होटल, दूर ओपरेटर, सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं आदि के मध्य समन्वय करना।

- पर्यटन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वदेशी पर्यटन को प्रोत्साहन की भी होती है। वे एक देश, राज्य और स्थान-विशेष में लोगों को घूमने-फिरने के लिए प्रेरित करने की दिशा में भी विभिन्न गतिविधियों के तहत कार्य करते हैं।
- पर्यटन उद्योग में कार्यरत लोगों के शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए भी पर्यटन संगठन समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित कर अपनी भूमिका निभाते हैं।
- अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पर्यटन प्रवाह के बारे में सर्व, पर्यटकों के रूझान के लिए बाजार सर्वेक्षण आदि के कार्य।
- पर्यटन से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं, एजेन्सियों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान कर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी पर्यटन संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न संबंधित पर्यटन विभागों, राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों में होटल, परिवहन, मनोरंजन एवं पर्यटकों के लिए विभिन्न स्तरों पर सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता, अनुदान, विशेष छूट प्रदान करना आदि में पर्यटन संगठन विशेष कार्य करते हैं।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय और प्रबंधन करना।

समग्रत: पर्यटन संगठन पर्यटन विकास को सभी स्तरों पर प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने में महत्ती भूमिका निभाते हैं। पर्यटन को अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बनाकर लोगों के जीवन स्तर को उच्च करने में पर्यटन संगठनों की भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता।

19.4 राजस्थान में पर्यटन संगठन:

राजस्थान में राज्य सरकार का पर्यटन विभाग ही प्रमुख रूप से प्रदेश के पर्यटन संगठन का कार्य करता है। पर्यटन मंत्री पर्यटन संगठन के मुखिया के रूप में काम करते हैं। पर्यटन विभाग के प्रशासनिक मुखिया प्रमुख पर्यटन सचिव हैं। शासन सचिव, पर्यटन, आयुक्त पर्यटन के अलावा दो अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और विभिन्न संभागों पर तैनात उप निदेशक, पर्यटन अधिकारी आदि राज्य में पर्यटन की विभिन्न नीतियों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का कार्य करते हैं।

पर्यटन संगठन ढांचे के रूप में प्रदेश में पर्यटन विभाग पर्यटन के प्रचार-प्रसार के साथ ही पर्यटकों को पर्यटन स्थलों के बारे में विविध स्तरों पर सूचना एवं सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। यही नहीं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर मेले, उत्सवों के आयोजन का कार्य भी पर्यटन विभाग विशेष रूप से करता है। पर्यटन संबंधी विकास नीतियों के निर्माण, पर्यटन के प्रभावी विपणन आदि की दिशा में पर्यटन विशेष रूप से भूमिका निभाता है।

पर्यटन विभाग के साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आर.टी.डी.सी.) प्रदेश मे पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटन के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से कार्य करता है। पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पर्यटकों के लिए आवास, भोजन, यातायात, नौकायन आदि की सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ टयूरिज़्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट (रिटमैन) जैसे संगठन भी प्रदेश में पर्यटन विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

19.5 पर्यटन विभाग, राजस्थान:

राजस्थान में पर्यटन एक संस्कृति है। 'पधारो म्हारे देसकृ' की राजस्थान की संस्कृति देशी-विदेशी सैलानियों के लिए आरंभ से ही आकर्षण का केन्द्र रही है। प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं का समुचित रूप से उपयोग करते हुए पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को विश्व पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाने, पर्यटन का सुनियोजित रूप में प्रभावी क्रियान्वयन करने, पर्यटन के समुचित प्रबंध, पर्यटन के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते सभी स्तरों पर पर्यटन के विकास के लिए प्रदेश में वर्ष 1956 में पर्यटन विभाग का गठन किया गया।

राजस्थान में पर्यटन विभाग के देश के चार प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं चैन्नई में भी शाखा कार्यालय कार्यरत हैं। क्षेत्रीय स्तर पर राज्य के दो संभागों उदयपुर एवं बीकानेर में उप निदेशक कार्यालय एवं राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटक स्वागत एवं सूचना केन्द्र संचालित किये जा हैं। पर्यटक स्वागत केन्द्र एवं पर्यटक सूचना केन्द्र मुख्यत: संबद्ध क्षेत्रों एवं पर्यटक स्थलों के पर्यटन संवर्धन के लिये कार्य करते हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से पर्यटकों को पर्यटक सूचना, निःशुल्क साहित्य एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त विकास कार्यो एवं विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है।

पर्यटन विभाग के नियंत्रण में दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड तथा एक स्वायत्त संस्थान राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान कार्यरत हैं|

पर्यटन विभाग द्वारा किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं -

- **मेले त्योहारों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन:** पर्यटन विभाग राज्य में जीवन्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक मेले एवं त्योहारों के माध्यम से पर्यटकों को प्रदेश में आकर्षित करने का कार्य करता है। विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले कुछ प्रमुख मेले एवं उत्सव इस प्रकार से हैं -
  - महावीर जी का मेला, सवाई माधोपुर
  - ग्रीष्म समारोह, माउन्ट आबू
  - जोधपुर स्थापना दिवस
  - तीज मेला, जयपुर
  - मेवाड़ समारोह, उदयपुर
  - विजय दशमी उत्सव, जयपुर
  - मीरा महोत्सव, चित्तौड़गढ़
  - दशहरा उत्सव, कोटा
  - पुष्करमेला, अजमेर
  - अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली
  - चन्द्रभागा मेला, झालावाड़
  - बूंदी उत्सव, बूंदी
  - शरद समारोह, माउंट आबू

- ऊँट उत्सव, बीकानेर
- ब्रज महोत्सव, भरतपुर
- नागौर पशु मेला, नागौर
- अलवर उत्सव, अलवर
- बेणेश्वर मेला, डूंगरपुर
- मरू मेला, जैसलमेर
- हाथी उत्सव, जयपुर

इन मेले-उत्सवों के अलावा भी पर्यटन विभाग समय-समय पर विविध मेलों एवं उत्सवों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश में करता है। हाल के वर्षो में 30 मार्च, राजस्थान दिवस का आयोजन भी पर्यटन विभाग द्वारा विशेष रूप से किया जाने लगा है। इसके तहत राज्य की समृद्ध कला-संस्कृति से पर्यटकों को रू-ब-रू कराने के लिए चित्ताकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

- **पर्यटन प्रचार-प्रसार एवं विपणन:** पर्यटन विभाग राज्य में स्थित पर्यटक स्थलों की जानकारी पर्यटकों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिवर्षब्रोशर्स, फोल्डर्स, लघु पुस्तिकाओं एवं पोस्टरों आदि का प्रकाशन करता है। देश-विदेश में पर्यटन साहित्य का वितरण विभाग द्वारा विशेष रूप से किया जाता है ताकि पर्यटकों को पर्यटन स्थलों के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान की जा सके। पर्यटन साहित्य विभाग द्वारा संचालित पर्यटक स्वागत एवं सूचना केन्द्रों के माध्यम से भी पर्यटकों को उपलब्ध कराये जाते हैं।
- **पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करना:** पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पर्यटकों को असामाजिक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करने, उनका सहयोग करने एवं सहायता प्रदान करने के लिए 1 अगस्त 2000 से राज्य में पर्यटक सहायता बल योजना प्रारंभ की गयी। पर्यटन सहायता बल अर्थात् पर्यटक पुलिस के माध्यम से राज्य में आने वाले पर्यटकों के प्रवास को सुखमय अनुभव के रूप मे सुनिश्चित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में पर्यटक पुलिस बल राज्य की राजधानी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर, माउन्ट आबू तथा सवाई माधोपुर में विशेष रूप से तैनात की हुई है। राज्य के विभिन्न स्थानों पर भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटक सहायता बल योजना के तहत नियुक्त किया गया है।
- **भूमि बैंक की स्थापना:** पर्यटन विभाग ने पर्यटन इकाईयों की सुगमता से स्थापना के उद्देश्य से ग्रामीण बैंक की स्थापना की है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की राजकीय भूमि या नजूल सम्पति, जो कि पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु विभाग द्वारा चयनित की जाकर पर्यटन विभाग के स्तर पर निस्तारण हेतु 'भूमि बैंक' में हस्तान्तरित की जाती है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के 9 जिलों में स्थित 28 नजूल सम्पतियों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है। नजूल सम्पतियों का निस्तारण भूमि बैंक के अंतर्गत सम्पतियों का व्ययन नियम, 1997 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।
- **विभागीय आतिथ्य सत्कार एवं परिचयात्मक भ्रमण:** पर्यटन विभाग पर्यटन विकास हेतु देश-विदेश के ख्याति प्राप्त पर्यटक लेखकों, छायाकारों, पत्रकारों, टेलिविजन दलों, यात्रा

अभिकर्ताओं, कलाकारों एवं पर्यटन व्यवसाय से संबंधित प्रमुख लोगों को परिचयात्मक भ्रमण हेतु आमंत्रित करता है। इन्हें विभागीय आतिथ्य प्रदान कर राज्य के पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाता है ताकि इनके लेखों, चित्रों एवं भ्रमण अनुभवों के माध्यम से प्रदेश के पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके।

- **पर्यटन अभिकर्ताओं को मान्यता एवं नवीनीकरण:** पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पर्यटन व्यवसाय में संलग्न अभिकर्ताओं को मान्यता प्रदान करने के साथ ही उनके नवीनीकरण का कार्य भी विशेष रूप से करता है|
- **पर्यटक स्वागत एवं सूचना केन्द्रों का संचालन:** पर्यटक स्वागत केन्द्र एवं पर्यटक सूचना केन्द्र मुख्यत: संबद्ध क्षेत्रों एवं पर्यटक स्थलों के पर्यटन संवर्धन के लिये कार्यरत हैं। विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए बनाए इन केन्द्रों के माध्यम से बेहतर पर्यटन साहित्य निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र विशेष में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने का कार्य किया जाता है। राज्य में वर्तमान में 21 पर्यटन स्वागत एवं सूचना केन्द्र कार्यरत हैं|

19.6 राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड:

राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटन के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से 1 अप्रेल 1979 को प्रदेश में पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का गठन किया गया था। पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पर्यटकों के आवास, भोजन, यातायात, नौकायन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

आरटीडीसी द्वारा राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं -

19.6.1 आवास सुविधा:

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की राज्य में यातायात इकाईयां तथा शाही रेलगाड़ी को मिलाकर कुल 74 इकाईया हैं, जिनमें से शाही रेलगाड़ी सहित निगम द्वारा 47 इकाईयों का संचालन किया जा रहा है। निगम की आवास इकाईयों में 911 कमरे एवं 24 डोरमेटरी हैं। इन सबमें आवास सुविधा के रूप में कुल 2034 शैयाएं उपलब्ध हैं। निगम में अपनी इकाईयों में से 4 इकाइयों को निजी भागीदारी सहयोग के आधार पर चलाया जा रहा है|

19.6.2 भोजन एवं बार सुविधाएं:

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित 43 इकाईयों में भोजन सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। भोजन सुविधा के अंतर्गत शाकाहारी एवं मासाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन पर्यटकों को उनकी मांग के अनुसार परोसे जाते हैं। इसके अलावा कान्टीनेन्टल, चाइनीज, भारतीय, राजस्थानी एवं दक्षिण भारतीय भोजन पर्यटकों को परोसे जाने की भी सुविधा उपलब्ध हैं। निगम द्वारा संचालित इकाईयों में से 18 में बार सुविधा भी उपलब्ध हैं। पर्यटकों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर वर्ष 2003-2004 में रतनपुर व माउन्ट आबू इकाई मे भी बार व्यवस्था प्रारंभ की गयी।

19.6.3 परिवहन सुविधाएं:

पर्यटकों को सुगम एवं आरामदायक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य भी राजस्थान पर्यटन निगम द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। निगम द्वारा जयपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, जोधपुर आदि स्थानों पर पर्यटक बसों के द्वारा दैनिक दृश्यावलोकन की सुविधा पर्यटकों हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम दैनिक दृश्यावलोकन के साथ ही राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों के लिए राजधानी दिल्ली से विभिन्न पैकेज टूर का भी संचालन करता है। इन पैकेज टूर के अंतर्गत 3 दिवसीय हवामहल टूर के अंतर्गत दिल्ली-आगरा-फतेहपुरसीकरी-भरतपुर-डीग-सरिस्का-जयपुर-दिल्ली की यात्रा करवायी जाती है। इसी प्रकार 7 दिन के डेजर्ट ट्रॉयंगल टूर के अंतर्गत दिल्ली-बीकानेर-जैसलमेर-जोधपुर-बाड़मेर-जयपुर-अजमेर-पुष्कर-दिल्ली की सैर करायी जाती है। मेवाड़ पैकेज 6 दिन का है। इसके अंतर्गत दिल्ली-जयपुर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर-हल्दीघाटी-रणकपुर-नाथद्वारा-अजमेर-पुष्कर-दिल्ली की यात्रा करायी जाती है। इसी प्रकार गोल्डन ट्रॉयगंल 3 दिन का है। इन तीन दिनों में दिल्ली-सरिस्का-जयपुर-भरतपुर-डीग-फतेहपुर सीकरी-आगरा-दिल्ली की सैर सम्मलित हैं। राजस्थान भ्रमण पैकेज 15 दिन का है। इस भ्रमण पैकेज के अंतर्गत दिल्ली-बीकानेर-जैसलमेर-जोधपुर-माउन्टआबू-रणकपुर-नाथद्वारा-उदयपुर-अजमेर-पुष्कर-जयपुर सरिस्का-दिल्ली की यात्रा 15 दिन में करायी जाती है।

राजस्थान के वन एवं वन्य जीव अभयारण्यों की सैर के लिए भी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 'वाइल्ड लाईफ भ्रमण' कराता है। इस भ्रमण के तहत निगम का 4 दिन का पैकेज खासा लोकप्रिय है। इस 4 दिन के भ्रमण के तहत दिल्ली-सरिस्का-रणथम्भौर-भरतपुर-दिल्ली की यात्रा करायी जाती है। इस दौरान वन्य जीवों को दिखाने के साथ ही प्रकृति के अद्भूत नजारों से भी पर्यटकों को रू-ब-रू कराया जाता है|

पर्यटकों के लिए इन पैकेज टूरों के अलावा उदयपुर से भी 5 पैकेज टूर संचालित किए जाते हैं। इन पैकेज टूरों के अंतर्गत उदयपुर-कुम्भलगढ़-रणकपुर-गोगून्दा-उदयपुर का पैकेज, उदयपुर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर का पैकेज, उदयपुर-माउन्ट आबू-उदयपुर का पैकेज, उदयपुर- हल्दीघाटी-नाथद्वारा-एकलिंगजी-उदयपुर का पैकेज तथा उदयपुर-जयसमन्दलेक-चावण्ड-ऋषभदेव- उदयपुर का पैकेज खासे आकर्षक हैं।

19.6.4 नौकायन सुविधाएं:

राजस्थान में पर्यटकों को दूर तक पसरा रेगिस्तान ही नहीं आकर्षित करता बल्कि शीतलता का अहसास प्रदान करने वाली झीलें भी पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय आनंद उत्पन्न करती हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा राजस्थान की विभिन्न झीलों, जलाशयों पर नौकायन की सुविधाएं भी विशेष रूप से उपलब्ध करायी जाती हैं।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा नौकायन सुविधाओं के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों पर नौकायन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं -

- उदयपुर - फतेहसागर झील
- अलवर - सिलीसेढ़ झील

- जोधपुर - कायलाना
- जयपुर - रामगढ़ झील

इनके अलावा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड विभिन्न छोटे जलाशयों एवं नहरों में पैडल बोट सुविधाएं भी प्रदान करता है। निगम द्वारा पिछले कुछ वर्षो से जल क्रिडाओं के लिए भी पर्यटकों के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं।

19.6.5 शाही रेलगाड़ी का संचालन:

राजस्थान दर्शन के लिए भारतीय रेलवे एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में विशेष वातानुकूलित पर्यटक रेल 'पैलेस ऑन व्हील' का संचालन किया जाता है। इस पर्यटक रेल को विश्व की सर्वोत्तम 10 रेलो में से एक माना गया है। 'पहियों पर रेल' नाम की इस रेल यात्रा से पर्यटन किसी रोमांचक अनुभव से कम नहीं है। राजस्थान को वैसे भी किले-महलों का प्रदेश कहा जाता है। राजसी ठाठ-बाठ की यात्रा का अनुभव कराती इस यात्रा में रेल के विभिन्न डिब्बे किसी महल से कम नहीं हैं। रेल में उपलब्ध राजसी सुविधाओं के कारण ही इसे पहियों पर चलता हुआ महल कहते हैं।

एक सप्ताह की 'पैलेस ऑन व्हील' की यात्रा में राजस्थान के ऐतिहासिक गौरव की झांकी देखने को मिलती है। 'पैलेस ऑन व्हील' प्रत्येक बुधवार को नई दिल्ली से राजस्थान के लिए प्रस्थान करती है। इसके प्रत्येक कोच मे चार कुप्पे हैं। इन चारों कुपों में चारों कोनों तक कालीन बिछे हैं। एक लाउंज और हर तरह की शराबों से भरा बार महाराजा और महारानी नाम की दो रेस्तराएँ कारें हैं जिनमें कांटिनेंटल, भारतीय और राजस्थानी भोजन मिलता है।

'पैलेस ऑन व्हील' की यात्रा के अंतर्गत पर्यटकों को निम्न प्रकार से राजस्थान के अतीत, वैभवशाली सांस्कृतिक परम्पराओं, गौरवमयी इतिहास और अनूठी संस्कृति से रु-ब-रू कराया जाता है -

- **प्रथम दिन -** राजधानी दिल्ली से पैलेस ऑन का प्रस्थान। रात्रि भोज गाड़ी में ही दिया जाता है।
- **द्वितीय दिन -** गुलाबी नगरी में सजे हुए हाथियों ओर शहनाई की धुनों से स्वागत। पाँच सितारा होटल रामबाग में मध्यान्ह भोजन तथा जयपुर में नगर भ्रमण कराया जाता है। रात्रि भोज गाड़ी में ही कराया जाता है। रात्रि में ही प्रस्थान।
- **तृतीय दिन -** जयपुर से चित्तौड़गढ़ आगमन और वहां भ्रमण। उदयपुर को प्रस्थान। उदयपुर में नगर भ्रमण। गाड़ी में रात्रिभोज और प्रस्थान।
- **चतुर्थ दिन -** जैसलमेर आगमन। जैसलमेर के महलों एवं हवेलियों का भ्रमण। राजस्थानी संगीत की धुनों के बीच रेत के धोरों में तारों की छांव में रात्रिभोज।
- **पांचवा दिन -** जोधपुर आगमन और जोधपुर में नगर भ्रमण। उम्मेद भवन पैलेस में मध्यान्ह भोज। प्रस्थान और रातभर यात्रा।

- **छठा दिन -** भरतपुर आगमन और घना राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य में भ्रमण। ताज व्यू में मध्यान्ह भोजन के लिए आगरा प्रस्थान। भोज के बाद ताजमहल और आगरा नगर भ्रमण। प्रस्थान और रातभर यात्रा।
- **सातवां दिन -** दिल्ली आगमन और यात्रा का समापन। 'पैलेस ऑन व्हील' की यात्रा को पर्यटक सर्वाधिक पसंद करते हैं। यही कारण है कि इसकी अग्रिम बुकिंग करवानी पड़ती है। इसके लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान से सम्पर्क किया जा सकता है। निगम की वेबसाईट पर भी पर्यटन सूचना एवं शाही रेलगाडी की बुकिंग करवायी जा सकती है। निगम की वेबसाइट का पता है - www.rajasthantourism.gov.in वेब साईट से विभिन्न अन्य पर्यटन सूचनाएं भी ज्ञात की जा सकती हैं।

19.7 राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट (रिटमैन):

पर्यटन विभाग के अंतर्गत राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट (रिटमैन) की स्थापना 29 अक्टूबर 1996 को की गयी थी। इस संस्थान द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। रिटमैन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं -

- राजस्थान में पर्यटन विभाग से संबंधित गतिविधियों के लिए मानव संसाधन का विकास करना।
- पर्यटन से संबंधित नवीनतम जानकारियां उपलब्ध कराना।
- राज्य, राजकीय उपक्रम एवं निजी क्षेत्र के पर्यटन अभिकरणों में कार्यरत मानव शक्ति की क्षमता का विकास करना।
- राजस्थान में तीव्रगति से बढ़ रहे पर्यटन के अवसरों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध के माध्यम से पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना।
- दुकानदारों, गाईड्स, कार चालकों, होटल वालों एवं पर्यटन कर्मियों के लिए विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम संचालित करना।
- गाईडों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- राजस्थान में पर्यटन को उन्नत एवं विकसित करने के लिए सेमिनार, कान्फ्रेन्स, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करना।
- राज्य, राजकीय उपक्रम एवं निजी क्षेत्र के लिए स्वतंत्र रूप से या अन्य अभिकरणों के संयुक्त तत्वावधान में सर्वे, अध्ययन, खोज एवं सलाह का कार्य करना।
- पर्यटन एवं यात्रा के क्षेत्र में उन्नत भविष्य के लिए स्नातकों को तैयार करना।

उपर्युक्त के अलावा अन्य किसी भी तरह की गतिविधि, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित हो, का संचालन करना।

रिटमैन द्वारा पैलेस ऑन व्हील्स के रूम अटैण्डेन्टस एवं हाउस असिस्टेन्स प्रशिक्षण के साथ ही राज्य स्तरीय गाइड रिफ्रेशर कोर्स का भी संचालन किया जाता है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटलों के लिए भी कार्मिकों को प्रशिक्षित करने का कार्य संस्थान द्वारा किया जाता है। संस्थान पर्यटन में बेहतर मेजबानी के साथ ही पर्यटकों के साथ मृदु व्यवहार, हाथी महावत प्रशिक्षण आदि के भी महत्ती कार्य करती है।

19.8 सारांश:

पर्यटन के निरंतर बढ़ते महत्व को इस बात से ही जाना जा सकता है कि आज विश्व का प्रत्येक 9 वां व्यक्ति अपने रोजगार हेतु पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और ऐसा अनुमान है कि 2010 तक विश्व पर्यटकों की संख्या 1600 मिलियन हो जायेगी। पर्यटन के संबंध में इस प्रकार के आंकड़ो के संग्रहण, उनके प्रसार और पर्यटन संवर्द्धन में पर्यटन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व में विश्व पर्यटन संगठन, भारत में पर्यटन मंत्रालय और राजस्थान में पर्यटन विभाग, पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पर्यटन संगठन के रूप में पर्यटन विकास को सभी स्तरों पर क्रियान्वित करते हैं।

पर्यटन संगठनों का कार्य केवल पर्यटन को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है बल्कि वे पर्यटको के लिए पर्यटन स्थलों पर अधिकाधिक सुविधाओं के निर्माण और विकास के लिए भी कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, उनको पर्यटन विकास हेतु संरक्षण प्रदान करने की दिशा में भी पर्यटन संगठनों की विशिष्ट भूमिका होती है। मुख्यत: पर्यटन संगठन संवर्धनात्मक, विकासात्मक और विनियामक रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं।

पर्यटन संगठन ढांचे के रूप में राजस्थान का पर्यटन विभाग पर्यटन के प्रचार-प्रसार के साथ ही पर्यटकों को पर्यटन स्थलों के बारे में विविध स्तरों पर सूचना एवं सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। यही नहीं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर मेले, उत्सवों के आयोजन का कार्य भी विभाग विशेष रूप से करता है। पर्यटन संबंधी विकास नीतियों के निर्माण, पर्यटन के प्रभावी विपणन आदि की दिशा में पर्यटन विभाग विशेष रूप से भूमिका निभाता है।

पर्यटन विभाग के साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आर.टी.डी.सी.) प्रदेश मे पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटन के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से कार्य करता है। पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पर्यटकों के लिए आवास, भोजन, यातायात, नौकायन आदि की सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूरिज़्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट (रिटमैन) जैसे संगठन भी प्रदेश में पर्यटन विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

बोध प्रश्न:

1. पर्यटन संगठन से क्या अभिप्राय है? पर्यटन विकास में इनकी क्या भूमिका होती है?

   ....

   ....

2. राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यो पर प्रकाश डालिए।

   ....

   ....

3. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर संक्षेप में लेख लिखिए।

....

....

4. पर्यटन मे मानव संसाधन विकास के तहत राजस्थान में किस तरह के कार्य किए जाते हैं। मानव संसाधन विकास में 'राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट' की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

....

....

5. 'पैलेस ऑन व्हील्स' के बारे में संक्षेप में जानकारी दीजिये।

....

....

इकाई - 20 : पर्यटन आकर्षण एवं व्यवस्थाएं

रूपरेखा:

20.0 उद्देश्य
20.1 प्रस्तावना
20.2 पर्यटन आकर्षण
20.3 राजस्थान में पर्यटन व्यवस्थाएं
20.3.1 पर्यटन पुलिस बल
20.3.2 पर्यटक स्वागत एवं सूचना केन्द्रों का संचालन
20.3.3 आवास सुविधाएं
20.3.4 भोजन एवं बार सुविधाएं
20.3.5 परिवहन सुविधाएं
20.3.6 नौकायन सुविधाएं
20.3.7 शाही रेलगाड़ी का संचालन
20.3.8 हैरिटेज ऑन व्हील्स
20.4 पर्यटन वातावरण निर्माण
20.5 सारांश

20.0 उद्देश्य:

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

- राजस्थान में पर्यटन आकर्षण से परिचित हो सकेंगे।
- राजस्थान में पर्यटकों के लिए विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली व्यवस्थाएं जान सकेंगे।
- पर्यटन वातावरण निर्माण की आवश्यकता को समझ सकेंगें।

20.1 प्रस्तावना:

पर्यटन बगैर चिमनी और धुंए का ऐसा उद्योग है जिसमें खर्च कुछ भी नहीं होता फिर भी बहुत से लोगों को रोजगार तो मिलता ही है और देश को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। इस लिहाज से पर्यटन का विकास वर्तमान समय की आवश्यकता कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे भी यही एक मात्र ऐसा उद्योग है जिसमें राज्यों की अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावी गति दी जा सकती है।

राजस्थान के संदर्भ में देखें तो यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि यहां पर्यटन के लिए न केवल बेहतर वातावरण है बल्कि विविध आकर्षक संभावनाए है। कहीं दूर तक लहराता रेत का समन्दर तो कहीं शीतलता का अहसास कराती झीलों और सरोवरों का सौंदर्य। कहीं ऐतिहासिक किलों का वैभव तो कहीं स्थापत्य से समृद्ध मंदिर और भव्य हवेलियां| सभी कुछ तो है मरू प्रदेश राजस्थान में।

इधर पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार के किए प्रयासों के सुखद परिणामों से पर्यटन के चित्ताकर्षक स्थलों पर सैलानियों की आवक भी बढने लगी है।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि पर्यटन स्थलों की खूबसूरती, उनकी आभा को बनाए रखा जाए। इसके साथ ही आवश्यक यह भी है कि पर्यटन स्थलों पर लूट-पाट, ठगी जैसी वारदाते नहीं हों। पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार, उनकी बेहतर मेहमाननवाजी से ही पर्यटकों को बार-बार पर्यटन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन के विकास के लिए यह जरूरी है कि पर्यटन संबंधी सुविधाओं और सेवाओ में निरंतर बढोतरी की जाए। राजस्थान में क्या कुछ है पर्यटन की सुविधाएं, पर्यटन प्रबंधन कैसा है? पर्यटकों के लिए कैसी है सुविधाएं? आईए, जानें -

20.2 पर्यटन आकर्षण:

पर्यटकों के लिए राजस्थान असीम आकर्षण लिए है। संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुन्दरता में यहां का कोई भी प्रदेश सानी नहीं है। मीलों तक फैला रेत का समुन्दर हो या फिर इतिहास की गौरव गाथा सुनाते यहां के किले, गढ़ और दुर्ग सभी कुछ पर्यटकों को सम्मोहित से करते हैं। समृद्ध हस्तकला व हस्तशिल्प, विविधताओं से भरे यहां के उत्पाद, उत्सवधर्मिता के लोग और विशिष्ट संस्कृति के प्रदेश राजस्थान के बारे में सही ही कहा गया है कि यह धरती तो स्वर्ग को भी शरमाने वाली है। आन-बान और शान के प्रदेश राजस्थान का लोक संगीत, यहां के लोक नृत्य मन को लुभाने वाले हैं। यही कारण है कि एक बार कोई सैलानी यहां आता है तो बार-बार आने को आतुर रहता है।

शताब्दियों पुराने मंदिर यंत्र-तंत्र सर्वत्र हैं और विभिन्न मतावलम्बियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गए है। वन्य प्राणियों में रूचि रखने वाले सैलानियों के लिए भी थार रेगिस्तान व सूखे उजाड़ जंगलों के शुष्क क्षेत्र अदभूत आश्रय स्थल है जिसमें वनस्पति व जीव जंतुओं की विविध किस्में हैं। राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और घने जंगल यहां प्रकृति प्रेमियो के लिए वरदान है।

खान-पान, रहन-सहन आदि सभी में राजस्थान की बात निराली है। रेगिस्तानी विशिष्टताओं से लेकर शाही स्वादिस्ट भोजन पर्यटकों को मानों आमंत्रित करते हैं तो सभी के बजट के अनुरूप यहां ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था सरकारी एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में है।

देश के लगभग सभी बड़े शहरों से राजस्थान वायु, रेल तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का लगभग हर जिला अपने आप में पर्यटन की विविध विशेषताएं लिए है। यहां की खास बात यही है कि आप एक ही मौसम में विविध ऋतुओं का आनंद यहां ले सकते है। भीषण गर्मी में माउन्ट आबू जैसा पर्वतीय पर्यटन स्थल शीतलता का अहसास कराता है तो यहां की सतरंगी संस्कृति वर्ष पर्यन्त ही पर्यटकों को 'पधारो म्हारे देसकृ' के मधुर स्वरों के साथ निमंत्रण प्रदान करती है। पर्यटकों के लिए असीम आकर्षण लिए है धरती राजस्थान की।

20.3 राजस्थान में पर्यटन व्यवस्थाएं:

पर्यटकों के लिए असीम आकर्षण लिए राजस्थान में पिछले कुछ समय से पर्यटन की व्यवस्थाएं की गयी है। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का जहां विस्तार किया है वहीं विरासत एवं धरोहर से जुड़े पर्यटन स्थलों के संरक्षण की दिशा में भी विशेष प्रयास किए गए है। जयपुर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिलने के साथ ही यहां

अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की व्यवस्था हो गयी है वहीं बहुत से अन्य स्थानों को भी हवाई यातायात से जोड़े जाने की दिशा में पहल की गयी है।

प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के साथ ही नये पर्यटन स्थलों की खोज एवं वहां पर आवागमन को सुनिश्चित किया गया है तो पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं के विकास की दिशा में भी महत्ती प्रयास किए गए हैं। पर्यटन के बजट को भी पहले से दुगना कर दिया गया है। प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के विकास के लिए जनसहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ 'एण्डोमेंट एण्ड मोन्यूमेंट' स्कीम हो या फिर पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 19 धार्मिक स्थानों को सड़क कार्य से जोड़े जाने की महत्वपूर्ण परियोजना, सभी में ध्यान इसी बात पर दिया गया है कि राजस्थान देश का विकसित एवं समृद्ध पर्यटन राज्य बन सके।

जयपुर के जलमहल, तिजारा के ऐतिहासिक किले, माउन्ट आबू एवं उदयपुर में 'रोपवे' के निर्माण का कार्य करवाया गया वहीं घाट की गुणी जैसी ऐतिहासिक एवं पुरा महत्व की इमारतों पर रोशनी करवाने महत्ती कार्यो को भी अंजाम दिया गया। नए पर्यटन स्थलों के विकास के साथ ही राजस्थान को वर्ष पर्यन्त पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य करने का भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है।

इधर धार्मिक पर्यटन के प्रति भी पर्यटको का रूझान तेजी से बढ़ा है। आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों के महत्व को पिछले कुछ वर्षो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकारा गया है। भारत मे भी पर्यटक सर्वाधिक धार्मिक स्थलों पर ही सैर को आते है। पिछले लगभग एक वर्ष के दौरान धार्मिक पर्यटन स्थलों के समुचित विकास पर राज्य सरकार ने जोर दिया है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री की पहल पर आध्यात्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए प्रारंभ 'अपना धाम-अपना काम' योजना भी प्रारंभ की गयी जिसे खासी सराहना भी मिली।

पर्यटन को जन उद्योग बनाने, अधिकाधिक निवेश आमंत्रण आदि के लिए किए जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों के फलक को अभी और विस्तार दिया जाना है। इस संबंध मे हाल ही में प्रदेश में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित त्रिदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन संगोष्ठी को भी खासा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस संगोष्ठी में इस बात को सभी स्तरों पर स्वीकारा गया कि राज्य में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं है। विरासत पर्यटन स्थलों की सार संभाल, वहां पर पर्यटन वातावरण निर्माण के लिए राज्य मे किए जा रहे प्रयासों, आगामी कार्ययोजनाओं के बारे मे खुलाशा करते हुए संगोष्ठी में मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने प्रदेश को पर्यटन समृद्ध किए जाने का विश्वास दिलाया। जोर इस बात पर भी रहा कि हवाई सेवाओं का विस्तार अगर प्रभावी रूप में प्रदेश में हो तो निश्चित ही यहां सैलानियों की अधिकाधिक आवक निरंतर बनी रहेगी।

पर्यटकों के लिए राजस्थान में किए जा रहे कुछ विशेष प्रयास इस प्रकार से है -

20.3.1 पर्यटक पुलिस बल:

पर्यटकों को धोखाधड़ी, लपकों आदि से बचाने के लिए राजस्थान में विशेष पहल की गयी है। राजस्थान देश का वह प्रदेश है जहां पर पर्यटन पुलिस बल का गठन किया गया। यही नहीं पर्यटन स्थलों पर पुलिस सहायता केन्द्र भी स्थापित किए गए है ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो वह वहां पर सम्पर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पर्यटकों को असामाजिक तत्वों से सुरक्षा प्रदान करने, उनका सहयोग करने

एवं सहायता प्रदान करने के लिए 1 अगस्त 2000 से राज्य में पर्यटक सहायता बल योजना प्रारंभ की गयी। पर्यटन सहायता बल अर्थात् पर्यटक पुलिस के माध्यम से राज्य में आने वाले पर्यटकों के प्रवास को सुखमय अनुभव के रूप में सुनिश्चित किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। वर्तमान में पर्यटक पुलिस बल राज्य की राजधानी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर, माउन्ट आबू तथा सवाई माधोपुर में विशेष रूप से तैनात की हुई है। राज्य के विभिन्न स्थानों पर भूतपूर्व सैनिकों को पर्यटक सहायता बल योजना के तहत नियुक्त किया गया है।

20.3.2 पर्यटक स्वागत एवं सूचना केन्द्रों का संचालन:

पर्यटक स्वागत केन्द्र एवं पर्यटक सूचना केन्द्र मुख्यत: संबद्ध क्षेत्रों एवं पर्यटक स्थलो के पर्यटन संवर्धन के लिये कार्यरत है। विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए बनाए इन केन्द्रों के माध्यम से बेहतर पर्यटन साहित्य निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र विशेष में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने का कार्य किया जाता है। राज्य में वर्तमान में 21 पर्यटन स्वागत एवं सूचना केन्द्र कार्यरत हैं।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की राज्य में यातायात इकाईयां तथा शाही रेलगाड़ी को मिलाकर कुल 74 इकाईयां हैं, जिनमें से शाही रेलगाड़ी सहित निगम द्वारा 47 इकाईयों का संचालन किया जा रहा है। निगम की आवास इकाईयों में 911 कमरे एवं 24 डोरमेटरी हैं। इन सबमें सुविधा के रूप में कुल 2034 शैयाएं उपलब्ध हैं। निगम में अपनी इकाईयों में से 4 इकाइयों को निजी सहयोग के आधार पर चलाया जा रहा है।

20.3.3 आवास सुविधाएं:

पर्यटकों के लिए आवास सुविधाएं मुहैया कराने की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति काफी अच्छी है। राजस्थान देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक हैरिटेज होटल हैं। होटल के अंतर्गत पुराने किले महल, हवेलियों आदि को होटल के रूप में परिवर्तित कर पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण पैदा किया गया है|

धरोहर पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से हेरिटेज होटलो का विशेष महत्व है। हैरिटेज होटलों के माध्यम से राजस्थान में पर्यटन का तेजी से विस्तार हुआ है। पुराने महलों, हवेलियों, किलों, दुर्गो ओर 1950 से पहले बने निवासों को आवास एककों में परिवर्तित करने की दृष्टि से हैरिटेज होटलों की अवधारणा आरंभ की गयी थी, क्योंकि ये पारम्परिक ढांचे बीते युग के परिवेश और जीवन शैली को प्रतिबिंबित करते हैं। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि हमारी विरासत से जुड़े किले, महल, हवेलियां, लैंडमार्क्स आदि के टूटने के कारण कोई क्षति नहीं हो बल्कि वे पर्यटकों के लिए अतिरिक्त कमरों की क्षमता प्रदान करने वाली वित्तीय रूप से व्यवहार्य सम्पतियों बन सकें।

हैरिटेज होटलों के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा तीन श्रेणियां की हुई हैं। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत 1950 से पूर्व निर्मित अवासों, हवेलियों, लॉजो, दुर्गो, किलों, महलों के होटल आते है। ऐसे होटल में कम से कम पांच कमरे अर्थात् 10 बिस्तर होने चाहिए। दूसरी हैरिटेज क्लासिक श्रेणी के अंतर्गत 1935 से पूर्व निर्मित अवासों, हवेलियां, हंटिंग लॉजो, दुर्गों, किलों, महलों के होटल आते हैं। ऐसे होटल में कम से 15 कमरे अर्थात् 30 बिस्तर होने चाहिए। तीसरी हैरिटेज ग्रांड श्रेणी के

अंतर्गत 1920 से पहले बने निवास स्थानो यथा हवेलियां, शिकार गाहों, दुर्ग, किलों, महलों के होटलों को शामिल किया जाता है।

भारत में हैरिटेज होटलों के संबंध में राजस्थान का आधिपत्य सा है। हैरिटेज होटलों के तहत एक ओर जहां पर्यटकों को राज्य की परम्परागत मेहमाननवाजी, संस्कृति का अनुभव मिलता है वहीं पुरातत्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के किले, महल, हवेलियों का भी इससे संरक्षण निजी क्षेत्र द्वारा संभव हुआ है। वैसे भी राजस्थान में औसत हर 10 किलोमीटर की परिधि में कोई न कोई गढ़, किला, महल या हवेली है। ऐसे में यह स्वाभाविक ही है कि राजस्थान हैरिटेज होटलों की दृष्टि से पूरे देश में अग्रणी स्थान रखता है। राजस्थान में 1990 में जहां 14 हैरिटेज होटल ही थे वहीं 2006 मे इनकी संख्या बढ़कर 94 हो गयी। देश के 'ब्रांड हेरिटेज' के खजाने का 90 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान को जाता है।

हालांकि आजादी से पहले ही यहां के राजा-महाराजाओं ने अपने किले, गढों के द्वार पर्यटकों के लिए खोलकर हैरिटेज होटलों की एक प्रकार से अनौपचारिक शुरूआत कर दी थी परन्तु आजादी के बाद 80 के दशक में हैरिटेज होटलों के कारोबार मे अचानक तेजी आयी। इस तेजी का कारण था राजा-महाराजाओं, जागीरदारों द्वारा अपने किले, महलों, हवेलियों के रख-रखाव के साथ ही मुनाफे के लिए उन्हें होटलों में तब्दील करना।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की राज्य में यातायात इकाईयां तथा शाही रेलगाड़ी को मिलाकर कुल 74 इकाईया हैं, जिनमें से शाही रेलगाड़ी सहित निगम द्वारा 47 इकाईयों का संचालन किया जा रहा है। निगम की आवास इकाईयों में 911 कमरे एवं 24 डोरमेटरी हैं। इन सबमें आवास सुविधा के रूप में कुल 2034 शैयाएं उपलब्ध हैं। निगम में अपनी इकाईयों मे से 4 इकाइयों को निजी भागीदारी सहयोग के आधार पर चलाया जा रहा है।

20.3.4 भोजन एवं बार सुविधाएं:

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित 43 इकाईयों में भोजन सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। भोजन सुविधा के अंतर्गत शाकाहारी एवं माँसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन पर्यटकों को उनकी मांग के अनुसार परोसे जाते हैं। इसके अलावा कान्टीनेन्टल, चाइनीज, भारतीय, राजस्थानी एवं दक्षिण भारतीय भोजन पर्यटकों को परोसे जाने की भी सुविधा उपलब्ध है। निगम द्वारा संचालित इकाईयों में से 18 में बार सुविधा भी उपलब्ध है। पर्यटकों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर वर्ष 2003-2004 में रतनपुर व माउन्ट आबू इकाई मे भी बार व्यवस्था प्रारंभ की गयी।

20.3.5 परिवहन सुविधाएं:

पर्यटकों को सुगम एवं आरामदायक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य भी राजस्थान पर्यटन निगम द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। निगम द्वारा जयपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, जोधपुर आदि स्थानों पर पर्यटक बसों के द्वारा दैनिक दृश्यावलोकन की सुविधा पर्यटकों हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम दैनिक दृश्यावलोकन के साथ ही राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों के लिए राजधानी दिल्ली से विभिन्न पैकेज टूर का भी संचालन करता है। इन

पैकेज टूर के अंतर्गत 3 दिवसीय हवामहल टूर के अंतर्गत दिल्ली-आगरा-फतेहपुरसीकरी-भरतपुर-डीग-सरिस्का-जयपुर-दिल्ली की यात्रा करवायी जाती है। इसी प्रकार 7 दिन के डेजर्ट ट्रॉयगंल टूर के अंतर्गत दिल्ली-बीकानेर-जैसलमेर-जोधपुर-बाड़मेर-जयपुर-अजमेर-पुष्कर-दिल्ली की सैर करायी जाती है। मेवाड़ पैकेज 6 दिन का है। इसके अंतर्गत दिल्ली-जयपुर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर-हल्दीघाटी-रणकपुर-नाथद्वारा-अजमेर-पुष्कर-दिल्ली की यात्रा करायी जाती है। इसी प्रकार गोल्डन ट्रॉयगंल 3 दिन का है। इन तीन दिनों में दिल्ली-सरिस्का-जयपुर-भरतपुर-डीग-फतेहपुर सीकरी-आगरा-दिल्ली की सैर सम्मलित हैं। राजस्थान भ्रमण पैकेज 15 दिन का है। इस भ्रमण पैकेज के अंतर्गत दिल्ली -बीकानेर-जैसलमेर-जोधपुर-माउन्टआबू-रणकपुर-नाथद्वारा-उदयपुर-अजमेर-पुष्कर-जयपुर-सरिस्का-दिल्ली की यात्रा 15 दिन मे करायी जाती है।

राजस्थान के वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की सैर के लिए भी राजस्थान विकास निगम लिमिटेड 'वाइल्ड लाईफ' भ्रमण कराता है। इस भ्रमण के तहत निगम का 4 दिन का पैकेज खासा लोकप्रिय है। इस 4 दिन के भ्रमण के तहत दिल्ली-सरिस्का-रणथम्भौर-भरतपुर-दिल्ली की यात्रा करायी जाती है। इस दौरान वन्य जीवों को दिखाने के साथ ही प्रकृति के अद्भूत नजारों से भी पर्यटकों को रुब-रू कराया जाता है।

पर्यटको के लिए इन पैकेज टूरों के अलावा उदयपुर से भी 5 पैकेज टूर संचालित किए जाते हैं। इन पैकेज टूरों के अंतर्गत उदयपुर-कुम्भलगढ़-रणकपुर-गोगन्दा-उदयपुर का पैकेज, उदयपुर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर का पैकेज, उदयपुर-माउन्ट आबू- उदयपुर का पैकेज, उदयपुर-हल्दीघाटी -नाथद्वारा-एकलिंगजी-उदयपुर का पैकेज तथा उदयपुर-जयसमन्द लेक-चावण्ड-ऋषभदेव-उदयपुर का पैकेज खासे आकर्षक हैं।

20.3.6 नौकायन सुविधाएं:

राजस्थान में पर्यटकों को दूर तक पसरा रेगिस्तान ही नहीं आकर्षित करता बल्कि शीतलता का अहसास प्रदान करने वाली झीलें भी पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय आनंद उत्पन्न करती है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा राजस्थान की विभिन्न झीलों, जलाशयों पर नौकायन की सुविधाएं भी विशेष रूप से उपलब्ध करायी जाती है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा नौकायन सुविधाओं के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों पर नौकायन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं -

- उदयपुर - फतेहसागर झील
- अलवर - सिलीसेढ़ झील
- जोधपुर - कायलाना
- जयपुर - रामगढ़ झील

इनके अलावा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड विभिन्न छोटे जलाशयों एवं नहरों में पैडल बोट सुविधाएं भी प्रदान करता है। निगम द्वार पिछले कुछ वर्षो से जल क्रिडाओं के लिए भी पर्यटकों के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं।

20.3.7 शाही रेलगाड़ी का संचालन:

राजस्थान दर्शन के लिए भारतीय रेलवे एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में विशेष वातानुकूलित पर्यटक रेल 'पैलेस ऑन व्हील' का संचालन किया जाता है। इस पर्यटक रेल को विश्व की सर्वोत्तम 10 रेलो में से एक माना गया है। 'पहियों पर रेल' नाम की इस रेल यात्रा से पर्यटन किसी रोमांचक अनुभव से कम नहीं है। राजस्थान को वैसे भी किले-महलों का प्रदेश कहा जाता है। राजसी ठाठ-बाठ की यात्रा का अनुभव कराती इस यात्रा में रेल के विभिन्न डिब्बे किसी महल से कम नहीं हैं। रेल में उपलब्ध राजसी सुविधाओं के कारण ही इसे पहियों पर चलता हुआ महल कहते हैं।

एक सप्ताह की 'पैलेस ऑन व्हील' की यात्रा में राजस्थान के ऐतिहासिक गौरव की झांकी देखने को मिलती है। ‘पैलेस ऑन व्हील’ प्रत्येक बुधवार को नई दिल्ली से राजस्थान के लिए प्रस्थान करती है। इसके प्रत्येक कोच मे चार कुप्पे हैं। इन चारों कुपों में चारों कोनों तक कालीन बिछे हैं। एक लाउंज और हर तरह की शराबों से भरा बार महाराजा और महारानी नाम की दो रेस्तराएँ कारें हैं जिनमें कांटिनेंटल, भारतीय और राजस्थानी भोजन मिलता है।

‘पैलेस ओंन व्हील’ की यात्रा के अंतर्गत पर्यटकों को निम्न प्रकार से राजस्थान के अतीत, वैभवशाली सांस्कृतिक परम्पराओं, गौरवमयी इतिहास और अनूठी संस्कृति से रु-ब-रू कराया जाता है -

- **प्रथम दिन -** राजधानी दिल्ली से पैलेस ऑन का प्रस्थान। रात्रि भोज गाड़ी में ही दिया जाता है।
- **द्वितीय दिन -** गुलाबी नगरी में सजे हुए हाथियों ओर शहनाई की धुनों से स्वागत। पाँच सितारा होटल रामबाग में मध्यान्ह भोजन तथा जयपुर में नगर भ्रमण कराया जाता है। रात्रि भोज गाड़ी में ही कराया जाता है। रात्रि में ही प्रस्थान।
- **तृतीय दिन -** जयपुर से चित्तौड़गढ़ आगमन और वहां भ्रमण। उदयपुर को प्रस्थान। उदयपुर में नगर भ्रमण। गाड़ी में रात्रिभोज और प्रस्थान।
- **चतुर्थ दिन -** जैसलमेर आगमन। जैसलमेर के महलों एवं हवेलियों का भ्रमण। राजस्थानी संगीत की धुनों के बीच रेत के धोरों में तारों की छांव में रात्रिभोज।
- **पांचवा दिन -** जोधपुर आगमन और जोधपुर में नगर भ्रमण। उम्मेद भवन पैलेस में मध्यान्ह भोज। प्रस्थान और रातभर यात्रा।
- **छठा दिन -** भरतपुर आगमन और घना राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य में भ्रमण। ताज व्यू में मध्यान्ह भोजन के लिए आगरा प्रस्थान। भोज के बाद ताजमहल और आगरा नगर भ्रमण। प्रस्थान और रातभर यात्रा।
- **सातवां दिन -** दिल्ली आगमन और यात्रा का समापन।

'पैलेस ऑन व्हील' की यात्रा को पर्यटक सर्वाधिक पसंद करते हैं। यही कारण है कि इसकी अग्रिम बुकिंग करवानी पड़ती है। इसके लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान से सम्पर्क किया जा सकता है। निगम की वेबसाईट पर भी पर्यटन सूचना एवं शाही रेलगाडी की बुकिंग करवायी जा सकती है। निगम की वेबसाइट का पता है -

www.rajasthantourism.gov.in वेब साईट से विभिन्न अन्य पर्यटन सूचनाएं भी ज्ञात की जा सकती हैं।

20.3.8 हैरिटेज ऑन व्हील्स:

पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर भारतीय रेलवे के सहयोग से राजस्थान में एक और शाही रेल वर्ष 2006 से चलायी जा रही है। राजस्थान की विरासत से रू-ब-रू कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ इस रेल के अंतर्गत प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों, राजस्थान की कला-संस्कृति आदि के बारे मे पर्यटकों को अवगत कराया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रारंभ की जा रही इस रेल की यह खास बात है कि यह पूरी तरह से राजस्थान के रंगो से सराबोर है।

हैरिटेज ऑन व्हील्स जयपुर से रवाना होकर दूसरे दिन बीकानेर, तीसरे दिन काले हिरणों के लिए देश भर में विख्यात तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य और शेखावटी की कलात्मक हवेलियों की सैर कराती हुई चौथे दिन पुन: जयपुर पहुंचती है। कुल 72 बर्थ की क्षमता वाली इस विरासत रेल के प्रति विदेशी पर्यटकों में खासा उत्साह है।

सितम्बर 2006 से प्रारंभ इस रेल की खास बात यह है कि यह मीटर गैज पर चलेगी। शाही रेल की तरह इसको भी पूरी तरह से सज्जित किया गया है। रेल में नौ सैलून रखे गए हैं हर सैलून में चार बैडरूम की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा दो रेस्टोरेंट भी ट्रेन में चलेंगे। इनका नाम महाराजा और महारानी रखा गया है। बार किचन, सर्विस कार के अलावा इसमें लाउन्ड्री की भी पृथक से व्यवस्था रखी गयी है।

20.4 पर्यटन वातावरण निर्माण:

पर्यटन को जन उद्योग कहा जाता है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि पर्यटन लोगों द्वारा लोगों के लिए की जाने वाली ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसका लाभ अंत में जनता को ही मिलता है। ऐसे में आम जन को ही इस दिशा में पहल करनी होगी कि कैसे सैलानियों को बेहतर वातावरण दिया जाए। भीख मांगने वाले भीखारी से लेकर प्रदेश की पहचान से संबद्ध शानदार वस्तुओं के विक्रय करने वाले बड़े व्यापारी को स्वयं इस दिशा में अपनी सोच को बदल कर कार्य करना होगा। अक्सर देखा यह जाता है कि विदेशी सैलानी को देखा और भिखारियों का झुण्ड का झुण्ड उसे घेर लेता है। यहां तक कि पर्यटकों से छिना झपटी तक करने से वे नहीं हिचकते, ऐसे में क्या पहचान बनती है यहां की, इसे समझा जा सकता है। क्या ऐसी छिना झपटी का शिकार पर्यटक फिर यहां आने का मानस बनाएगा या फिर अपने देश के परिचित किसी और व्यक्ति को यहां आने के लिए कहेगा? प्रदेश के लिए यह सुखद है कि यहां पर्यटन पुलिस के विचार की क्रियान्विंती हुई है, ऐसे में पर्यटन पुलिस द्वारा भीखारियों को विदेशी सैलानियों से भीख न मांगने के लिए न केवल पाबंद करना होगा बल्कि इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटकों की आवक वाले स्थानों पर भिखारी दिखाई ही न दें। अलावा इसके पर्यटकों के साथ तमीज से पेश आने की प्रवृति को भी सभी स्तरों पर सुनिश्चित करने की पहल आम जन को ही करनी होगी। यह तभी होगा जब आम व्यक्ति इस बात को अपने स्तर पर देखेगा कि कोई बाहर से आने वाले सैलानी के साथ बुरा सुलूक तो नहीं कर रहा है।

वैसे पिछले कुछेक वर्षो के इतिहास को देखें तो इस बात का भी स्वत: ही पता चलता है कि राज्य मे आने वाले पर्यटको के साथ न केवल लुट-पाट की घटनाओं में बढोतरी हुई है बल्कि

उनके साथ हमले, उन्हें तंग करने, भीखारियों के शिकार होने आदि की घटनाओं में भी कुछ ज्यादा ही बढोतरी हुई है। विदेशी महिला पर्यटकों के साथ बलात्कार, उन्हें लूटने आदि की घटनाएं पिछले कुछ वर्षो में रेत के सौन्दर्य वाले जैसलमेर, पुष्कर, उदयपुर आदि प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर ही नहीं घटी बल्कि अन्य स्थानों पर भी निरंतर घटी। इसमें भी खास बात यह है कि बहुत सी ऐसी घटनाएं भी इस दौरान घटी जो भले ही प्रकाश में नहीं आयी परन्तु उनसे स्थानीय वातावरण में कालीख जरूर पूर्ति। कालीख की स्याही फैली भी इस कदर की पर्यटकों का रूख राजस्थान की ओर कम होने लगा। हाल ही में जयपुर में इजरायली पर्यटक शॉय डवोरी से डील कैंसिल के नाम पर 40 हजार रूपये हड़पने के आरोप में हसनपुरा निवासी आमीन नामक लपके को भले ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर गिरफ्तार कर लिया गया परन्तु इस घटना से राज्य में पर्यटकों के साथ लपकों की लुट-पाट की सक्रियता से तो इन्कार किया ही नहीं जा सकता। इस घटना के अलावा आए दिन पर्यटकों से ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक की राशि वसूलने, होटल मालिकों द्वारा कम सुविधा व अधिक राशि पर्यटकों से वसूलने आदि की घटनाएं घटती ही रहती है। दरअसल बाहर से आने वाले विदेशी पर्यटकों को सोने की मूर्गी की तरह एक ही बार में हलाल करने की ही प्रवृति की परिणति रही है कि प्रदेश मे अब लपकों के साथ ही ऑटो रिक्शा चालक, होटल मालिकों आदि के ऐसे संगठित गिरोह पनप चुके हैं जो प्रदेश की 'पधारो म्हारे देस' की वर्षो से चली आ रही संस्कृति पर बदनुमा दाग लगा रहे हैं।

राज्य के पर्यटन उत्पादों के विक्रेताओं, गाइडों, रिक्शा चालकों, होटल मालिकों के साथ ही पर्यटकों द्वारा स्थानीय पर्यटन के लिए व्यय किए जाने वाली अन्य गतिविधियाँ से संबद्ध लोगों को इस बात पर विचारना होगा कि वे यहां आने वाले पर्यटकों को निंरतर आते देखना चाहते हैं या फिर एक बार ही में उनसे लाभ कमाकर इस गतिविधि को बंद करना चाहते हैं। जब भी कोई पर्यटक पर्यटन के लिए किसी स्थान विशेष पर आता है तो यह स्वाभाविक ही है कि उसका लाभ उस स्थान विशेष के लोगों को ही मिलता है। ऐसे में लाभ पहुंचाने वाले पर्यटकों को अगर सम्मान दिया जाए, उंनके साथ तरीके से पेश आया जाए, उन्हें सुरक्षा व आत्मीयता का वातावरण दिया जाए तो निश्चित ही वे बार-बार उस स्थान विशेष पर आने के लिए लालायित रहेंगे। और अगर बार-बार किसी स्थान पर पर्यटक आएंगे तो न केवल उनके द्वारा व्यय की जाने वाली राशि से स्थानीय पर्यटन विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है बल्कि उस स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को भी निरंतर उच्च से उच्चतम करने में मदद मिल सकती है। ऐसे में आज आवश्यकता इसी बात की है कि बाहर से आने वाले पर्यटकों से न केवल आत्मीयता से सम्मान के साथ पेश आया जाए बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए भी सरकारी व निजी क्षेत्र में सभी स्तरों पर प्रभावी प्रयास किए जाएं। पर्यटन की विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ से संबद्ध विभिन्न लोग, चाहे वे व्यापारी हों, पर्यटक गाइड हों, रिक्शा चालक हों या फिर आम जन, सभी को इस बात पर गंभीरता से विचार कर लेना है कि यदि वे यहां पर्यटकों की आवक को निरंतर जारी रखने के साथ ही उसकी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो पर्यटकों को सम्मान व सुरक्षा का ऐसा वातावरण दें जिसमें आत्मीयता के रंग घुले हों। यह संभव तभी होगा जब सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों ही इस दिशा में प्रयास करेंगे।

यहां आने वाले बाहर के पर्यटकों को पारम्परिक राजस्थानी संस्कृति का आत्मीय वातावरण अगर मिलता है तो वह दिन फिर दूर नहीं रहेगा जब देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों

की सर्वाधिक संख्या राजस्थान में ही होगी। और तब न केवल यहां रोजगार के संसाधनों में बढोतरी होगी बल्कि राज्य की आय भी बढेगी, बढेगा लोगों का जीवन स्तर। यह तभी संभव होगा जब सरकार के साथ ही निजी क्षेत्र भी इस बात को समझ लें कि पर्यटक ऐसी मुर्गी है जो निरंतर सोने के अंडे देती है। अगर इसे एक ही बार में सारे अंडे प्राप्त करने की दृष्टि से हलाल कर लिया गया तो फिर हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला।

20.5 सारांश:

राजस्थान पर्यटकों के लिए असीम आकर्षण लिए है। यहां पर कहीं दूर लहराता रेत का समन्दर पर्यटकों को आकर्षित करता है तो कहीं शीतलता का अहसास कराने वाली झीलों का अपना आकर्षण है। स्थापत्य कला से समृद्ध किले, गढ़ और दुर्ग अतीत की गौरवगाथा सुनाते प्रतीत होते हैं तो लोक संस्कृति, हस्तकलाएं एवं हस्तशिल्प यहां की समृद्ध संस्कृति की पहचान अनायास ही पर्यटकों को कराती है। वीरों और वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान के प्रति आरंभ से ही सैलानियों में आकर्षण रहा है।

सैलानियों के आकर्षण को देखते हुए ही पर्यटन के लिए प्रदेश में न केवल आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है बल्कि पर्यटन आकर्षण के नए आयामों पर भी ध्यान देने की पहल की गयी है। पैलेस ऑन व्हील के बाद हैरिटेज ऑन व्हील की शुरूआत भारतीय रेलवे के सहयोग से जहां की गयी है वहीं झीलों और नदियों पर नौकायन की भी विशेष व्यवस्थाएं सभी स्तरों पर सुनिश्चित की गयी है।

धोरों की धरती राजस्थान के विविध रंग हैं। 'पधारो म्हारे देस' के नारे के साथ यह धरती पर्यटकों को लगातार निमंत्रण देती है। पर्यटन के विकास के साथ ही जरूरी यह भी है कि पर्यटन का बेहतर वातावरण सभी स्तरों पर विकसित किया जाए। इस दिशा में पहल सरकार को नहीं आम जन को ही करनी होगी। वैसे भी पर्यटन को जन उद्योग कहा जाता है। जन उद्योग पर्यटन को सिद्धान्त में नहीं व्यवहार में परिणित कर कैसे यहां पर्यटन व्यवस्थाओं का सुदृढीकरण किया जाए, यही आपको इस इकाई में बताने का प्रयास किया गया है। इससे आप पर्यटन को सिद्धान्त में ही नहीं व्यवहार में उद्योग मानते हुए इसका प्रभावी क्रियान्वयन कर सकेंगें।

बोध प्रश्न:

1. पर्यटन को जन उद्योग क्यों कहा जाता है?

   ....

   ....

2. पर्यटन आकर्षण में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? पर्यटन वातावरण निर्माण कैसे किया जा सकता है?

   ....

   ....

3. राजस्थान में पर्यटन आकर्षण के बारे में जानकारी देते हुए पर्यटन व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालिए।

   ....

इस खंड के लिए उपयोगी पुस्तकें:

खंड 5 के अंतर्गत इकाई संख्या 18 से 20 तक आपने राजस्थान में पर्यटन के ढांचे एवं नीति, संगठन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है।

इस खंड के संदर्भ के लिए आपको निम्न पुस्तकें सुझायी जा रही हैं

1. टूरिज्म डवलपमैंट - ए.के. भाटिया
2. स्ट्रेटजी एण्ड प्लानिंग इन टूरिज्म इंडस्ट्री - दिलीप माकन
3. इंटरनेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट - ए.के. भाटिया
4. विश्व पर्यटन संगठन, वार्षिक रिर्पोट
5. पर्यटन एवं यात्रा के सिद्धान्त - डॉ जगमोहन नेगी
6. टूरिज्म एंड डवलपमेंट - ब्रेडन, जॉन, एम.
7. प्लानिंग फॉर टूरिज्म डवलपमेंट - कियरिंग चाटर्स
8. प्रगति प्रतिवेदन पर्यटन विभाग राजस्थान
9. पर्यटन नीति - राजस्थान